अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच

आंदोलन की कार्ययोजना
(जून 2018 से मई 2019 तक)

नवीनतम और अन्य जानकारी के लिए इस वेबलिंक पर जाएं :
http://aifrte.in/POA-June-2018-May-2019

राष्ट्रपति की हो या मज़दूर की संतान,
सबको शिक्षा एक समान !

---
15 सितंबर 2018 तक की सूचनाओं पर आधारित।

अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच : आंदोलन की कार्ययोजना (जून 2018 से मई 2019 तक)

पहला संस्करण – सितंबर 2018

प्रतियां – 1,000

प्रकाशक – अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच (अभाशिअम)
306, प्लेज़ेंट अपार्टमेंट्स,
बाज़ारघाट,
हैदराबाद 500 004, तेलंगाना

मुद्रक – मंगलमूर्ति ग्राफ़िक्स, मछुआटोली
आर्य कुमार रोड,
पटना 800 004, बिहार

अभाशिअम संपर्क

संगठन सचिव : डॉ. विकास गुप्ता, दिल्ली, ई-मेल - aifrte.secretariat@gmail.com
कोषाध्यक्ष : डॉ. एम. गंगाधर, वारंगल, मो. 9440414073, ई-मेल - manchalagangadhar@gmail.com
कार्यालय सचिव : श्री लोकेश मालती प्रकाश, भोपाल, मो.- 9407549240, 7024148240
ई-मेल - lokeshmaltiprakash@gmail.com
वेबसाइट : www.aifrte.in

सहयोग राशि – बीस रुपए

शिक्षा नहीं कोई कारोबार, है यह जनता का अधिकार!

अभाशिअम की जून 2018 से मई 2019 तक कार्ययोजना का मसौदा
और कुछ अहम कामों की सूची

- 9 जून 2018

सामूहिक संघर्ष में अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच (अभाशिअम) के सदस्य संगठन, साथी संगठन और निजी हैसियत के सदस्य, मुहिम में जुड़े सहभागी और एक जैसी सोच रखते संगठन और व्यक्तियों के लिए जारी :-

साथियो,

तालीम को बाज़ारीकरण, केंद्रीकरण, सांप्रदायीकरण और सामाजिक निष्कासन की ओर धकेलते नवउदारवादी पूंजी और ब्राह्मणवादी ताकतों के इकट्ठे हमले के जवाब में और समतामूलक शिक्षा व्यवस्था के लिए लंबे अरसे से चल रही हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए, 16-18 फरवरी 2018 को महाराष्ट्र के सेवाग्राम, ज़िला वर्धा में आयोजित अभाशिअम की पाँचवीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने साल भर की आंदोलन की कार्ययोजना (प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन) के लिए एक समिति गठित की। इस समिति की रिपोर्ट के मद्देनज़र और लंबी बातचीत के बाद, अभाशिअम के अध्यक्ष मंडल और सचिव मंडल ने जून 2018 से मई 2019 तक की अवधि के लिए कार्यक्रमों की विशद् योजना तय की है। इस कार्ययोजना को हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप इसे देखें और आम लोगों में इसके हक में बहुमत तैयार कर सियासी ताकतों को तीखे तेवर के साथ जन-पक्षधर नीतियां अपनाने को मजबूर करने के लिए ज़रूरी कारवाई करें। बेशक, आने वाले 2019 के चुनावों के मद्देनज़र यह काम और ज्यादा गौरतलब है। साथ ही, संलग्न कार्ययोजना में अभाशिअम की कई नई खासियतों को मजबूत करने की ख़्वाहिश है, ताकि मुल्क के हर कोने में हमारी मुहिम लंबे समय तक चल सके।

संलग्न कार्ययोजना के खंड 3.0 में अभाशिअम की बुनियादी मांगों की सूची दी गई है। इसके अलावा परिशिष्ट-एक में दीगर और मांगों की विस्तृत (अब तक की) सूची भी है, जिसमें हर राज्य/जिला/शहर/गांव/विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल के स्तर पर चल रहे आंदोलन अपनी ज्वलंत मांगों को जोड़ सकते हैं। हमारी कार्ययोजना का बुनियादी मकसद राज्य द्वारा संचालित पूरी तौरपर मुफ़्त 'केजी से पीजी' तक की 'समान शिक्षा व्यवस्था' के लिए लड़ना है, जिसमें पड़ोसी स्कूलों की धारणा के मुताबिक 'पूर्व-प्राथमिक स्तर से बारहवीं कक्षा' तक 'समान स्कूल व्यवस्था' (कॉमन स्कूल सिस्टम) शामिल हो। इसकी नींव बहुभाषी संदर्भ में मादरी-ज़ुबान या मातृभाषा के ज़रिए तालीम पर आधारित होगी। इसमें विषमताओं को दूर कर विविधताओं को शामिल करना होगा; इसके ज़रिए सामाजिक न्याय और बराबरी को बढ़ाना होगा; और इसका प्रशासनिक ढांचा लोकतांत्रिक, संघीय और जन-भागीदारी की संवैधानिक दृष्टि पर आधारित होगा। इसी तरह तालीम को बाज़ार की तर्ज़ पर मुनाफ़ाखोर, फ़िरकापरस्त, पोंगापंथी और पहले से ज्यादा निष्कासन करनेवाली व इसके मकसद को ही गुलाम मानस के कौशलों का पर्याय बनाने वाली मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नई शिक्षा नीति और नीति आयोग के दीगर दस्तावेजों का यह कार्ययोजना बुनियादी तौर पर विरोध करती है।

चुनांचे, कार्ययोजना हमारे ज़िम्मे नीचे लिखे काम सौंपती है :

(क) मुल्क के हर कोने में तालीम के मौजूदा खाके के खिलाफ लगातार संघर्ष छिड़े हुए हैं। ज़रूरी है कि इन सबको एक मंच पर लाकर खड़ा किया जाए ताकि हमारी सामूहिक मौजूदगी और ताकत का अवाम पर पुख़्ता असर पड़े। इसलिए अभाशिअम ने तय किया है कि उन सभी राज्यों में जहां आपसी तालमेल सही नहीं है, वहां संघर्ष के लिए संयोजन समितियां या मंच बनाए जाएं; और जहां ये पहले से मौजूद हैं, उनको और मजबूत किया जाए (अधिक जानकारी के लिए कृपया परिशिष्ट-दो में 'राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों में भावी राह और सांगठनिक रूपरेखा' देखें)। इस साल जून से मध्य-अगस्त तक राज्यों/ केंद्र-शासित क्षेत्रों के स्तर पर सलाह-मशविरे आयोजित किए जाएंगे। जहां राज्यों/ केंद्र-शासित क्षेत्रों के स्तर पर संघर्ष का विधिवत मंच या शुरुआती तालमेल समिति भी नहीं है, वहां संघर्ष के आम मुद्दों की पहचान के आधार पर एकजुटता के लिए तालमेल बनाने के लिए कदम उठाए जाएँगे। जिन राज्यों में पहले से ही संगठन का ढांचा मौजूद है, उसे और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। इस कार्ययोजना को लागू करने पर पूरा ध्यान देते हुए मुहिम को लंबे समय तक चलाने और बाद में इसके सटीक अनुवर्तन के लिए स्थानीय टीमों को विकसित करने के लिए अभाशिअम सचेत और प्रतिबद्ध है।

(ख) सोशल और प्रिंट मीडिया दोनों के ज़रिए देश के आम लोगों में बाज़ारीकरण, केंद्रीकरण, फ़िरकापरस्ती और भेदभाव पर आधारित तालीम के खिलाफ़ और भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखे आदर्शों के मुताबिक 'केजी से पीजी' तक साझी, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक और धर्म-निरपेक्ष तालीम की मांग के लिए मुहिम को आगे बढ़ाने की फ़ौरी ज़रूरत है (मौजूदा हुकूमत द्वारा तालीम पर हो रहे हमलों को विस्तार से समझने के लिए कृपया 'प्रस्तावना' और खंड 2 और 3 पढ़ें)। संघर्ष के तेवर में और तेज़ी लाने के लिए एक ज़रूरी कदम यह होगा कि बड़ी तादाद में अवाम को संवाद और ज़मीनी कामों में जोड़ा जाए। मसलन, मुल्क भर में ऐसे कई लोग हैं जो तालीम की लड़ाई के साथ जुड़ना चाहते हैं, पर वे शायद किसी खास संगठन से जुड़े नहीं हों। हमें उन्हें अभाशिअम के 'अभियान साथी' के रूप में जोड़ना चाहिए। यह हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि हम सोशल मीडिया के ज़रिए उनसे संपर्क कर सकते हैं और इस तरह एक बिरादरी बनाना मुमकिन होगा जिसके ज़रिए हमारे आंदोलन के साहित्य को भी साझा किया जा सकता है। अभाशिअम की वेबसाईट पर मौजूद ऑनलाइन विकल्प के

अलावा मुहिम का 'अभियान साथी' बनने या बनाने के लिए एक ऑफ़लाइन फ़ॉर्म भी इस कार्ययोजना के परिशिष्ट-तीन में दिया जा रहा है जिसको सदस्य-संगठनों द्वारा विभिन्न भाषाओं में अनूदित करके अपनी-अपनी ज़रूरतों के अनुसार छापा जा सकता है। हमारे सामूहिक संघर्षों के अन्य सांगठनिक सहयोगियों के साथ मुहिम के इन 'अभियान साथियों' को विमर्श के एक मंच पर लाना होगा (जैसे फ़ेसबुक, ई-ग्रुप्स, ह्वाट्स-ऐप आदि), जहां वे हमारे आंदोलन का साहित्य पढ़ सकें और हमारी ज़मीनी कामों में शामिल भी हो सकें। हर राज्य में हमें सोशल मीडिया पर ऐसे संपर्क-व्यक्तियों की पहचान करनी पड़ेगी, जो अपने कार्यक्षेत्र, अभाशिअम और पूरे मुल्क के बीच आपस में सूचना के आदान-प्रदान और संवाद के लिए ज़रूरी कड़ी बन सकें। अभाशिअम की केंद्रीय टीम ऐसे संपर्क-व्यक्तियों के साथ तालमेल बनाए रखेगी ताकि प्रगतिशील विमर्श को आगे बढ़ाने का मजबूत नेटवर्क स्थापित किया जा सके।

(ग) अगस्त से अक्तूबर तक हर राज्य में राज्य-स्तरीय तालीम के मुद्दों और अखिल-भारत स्तरीय मुद्दों पर भी केंद्रित एक विराट रैली का आयोजन करना होगा। इसके पहले अवाम को आगे बढ़ाने के मकसद से उन तक पहुंचने के लिए मुहल्लों, कस्बों, जिलों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में परचे बाँट कर, हस्ताक्षर अभियान कर, सेमिनार, स्थानीय सभाएं व रैलियां आयोजित कर बड़ी मुहिम छेड़नी होगी।

(घ) 22 सितंबर 2018 को पटना में 'भारत में शिक्षा का संकट – विकल्प की रणनीति' विषय पर एक दिन का राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा। इसके ठीक बाद 23-24 सितंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिनों की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें राज्य/ केंद्र-शासित क्षेत्रों में सलाह-मशविरा पूरा होने और राज्य/ केंद्र-शासित क्षेत्रों के स्तर पर मुहिम को आगे बढ़ाने और जनांदोलनों का मध्यवर्ती जायज़ा लिया जाएगा और अगर ज़रूरी लगे तो शेष कार्ययोजना में बदलाव पर भी विचार किया जाएगा। सेमिनार में बड़ी तादाद में लोगों को शामिल करना होगा। अभाशिअम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए।

(च) नवंबर 2018 से हम सब को एक साथ फरवरी 2019 में दिल्ली में होने वाली हुंकार रैली में लोगों को बड़ी तादाद में लामबंद करने की कोशिश में जुट जाना होगा। निजी तौर पर भागीदारी के अलावा, लोग हुंकार रैली में शामिल होने के लिए मशाल यात्राएं भी आयोजित कर सकते हैं (विस्तृत जानकारी के लिए कृपया कार्ययोजना के खंड 5 से 8 को देखें)। दिल्ली की हुंकार रैली में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को शामिल करने की कोशिश करनी होगी, ताकि सारा मुल्क यह देख सके कि लोगों में तालीम से वंचित किए जाने और तालीम के मकसद और उसकी पाठ्यचर्या व विषयवस्तु को विकृत करने को लेकर कितना गुस्सा है।

(छ) नई शिक्षा नीति के दस्तावेजों के दहन-अभियान के लिए प्रस्तावित समूची अवधि के दौरान अखिल-भारत स्तर पर या आंचलिक स्तर पर विख्यात शहीद, समाज-सुधारक और दूर-द्रष्टाओं के जन्म और पुण्य तिथि मनाई जाएँ (विस्तृत जानकारी के लिए कृपया कार्ययोजना के खंड 7.3 और परिशिष्ट-चार व पांच देखें)।

(ज) आगामी चुनाव-प्रचार के दौरान लोग यह मांग करें कि हरेक प्रत्याशी सार्वजनिक रूप से यह शपथ ले और अपने हस्ताक्षर के साथ बयान जारी करे कि अपनी हार या जीत – किसी भी हाल में, चुनाव जीतने वाले दल पर आंदोलन की मांगें मंगवाने के लिए जन-दबाव डालने की प्रतिबद्धता का वह ऐलान करता/करती है। (बयान अभाशिअम द्वारा तैयार किया जाएगा, पर स्थानीय स्तर पर इसे अनूदित किया और ज़रूरत के अनुसार बदला भी जा सकेगा)। लोग तालीम के मुद्दे पर उचित तथ्य और आंकड़े इकट्ठे करें और इन पर खुली चर्चाएं आयोजित करें, जिनमें सियासी नेताओं को भी शामिल होने को बुलाया जाए। इसके अलावा, विधानसभा या लोकसभा चुनावों से पहले ही, हर विधायक और सांसद को और हर प्रमुख सियासी पार्टी के नेताओं और मीडिया (इंटरनेट पोर्टल सहित) को अपनी मांगों का प्रतिवेदन देने के लिए हम तैयार हो जाएं। इसे हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया जाए।

(झ) कार्ययोजना की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। ज़ाहिर है कि इसके लिए मुल्क की तमाम ज़ुबानों में इसका तर्जुमा होना ज़रूरी है। अभाशिअम की केंद्रीय टीम ने इसका मूल अंग्रेजी से हिन्दी और उर्दू में अनुवाद का इंतज़ाम किया है। हमारी सदस्य-संगठनों व सहयोगी संगठनों और अन्य सभी लोगों से अपेक्षा है कि वे अपनी-अपनी ज़ुबानों में अनुवाद की संभावनाएं ज़रूर तलाशें। अनुवाद करते हुए हमें संस्कृतनिष्ठ भाषा से बचते हुए आम बोली के क़रीब की सरल और सहज ज़ुबान का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बावजूद, जो शब्दावली आम प्रचलन में आ चुकी है, अगर वह तत्सम में या संस्कृत से भी हो, तो उसे यंत्रवत नकारे नहीं या दरकिनार न करें।

हमें कार्ययोजना मिलने की सूचना दीजिएगा और इसके अनुसार शुरू किए गए कामों की खबरें भी समय-समय पर भेजते रहिएगा।

मेहर इंजीनियर	विकास गुप्ता	लोकेश मालती प्रकाश
(अध्यक्ष)	(संगठन सचिव)	(कार्यालय सचिव)

अनुक्रम

क्र.	खंड	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	01
1.0	एक विहंगम दृष्टि	03
2.0	नई शिक्षा नीति : कुछ बड़े खतरे	04
	2.1 तालीम का मकसद: इल्म (ज्ञान) पर हमला	06
	2.2 तालीम देने से इंकार और निष्कासन	07
	2.3 बाल श्रम	08
	2.4 उच्च शिक्षा: भविष्य की एक झलक	08
3.0	जनांदोलनों की शिक्षा-संबंधी मांगें	09
4.0	सांगठनिक परिप्रेक्ष्य	12
5.0	राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्रों में सलाह-मशविरा और आंदोलन खड़ा करना	13
6.0	अवाम के बीच जाना और अवाम से सीखना – कार्ययोजना का नक्शा बनाना	16
7.0	राजनीतिक संदेश	17
	7.1 चुनावी प्रत्याशियों से सवाल	17
	7.2 राजनीतिक दलों, सांसदों व विधायकों को ज्ञापन	18
	7.3 'नई शिक्षा नीति 2016' के मुख्य दस्तावेजों का सार्वजनिक दहन	18
8.0	मशाल यात्राएं, शहादत दिवस और 'दिल्ली हुंकार' रैली	19
9.0	कार्ययोजना की समय-सारिणी	20
	परिशिष्ट एक - मुद्दों और मांगों की विस्तृत सूची	22
	परिशिष्ट दो - राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों में सलाह-मशविरे के लिए दिशासंकेत और सांगठनिक रूपरेखा	24
	परिशिष्ट तीन - 'अभियान साथी' सदस्यता फ़ॉर्म	33
	परिशिष्ट चार - शिक्षा आंदोलन के लिए ऐतिहासिक महत्व की तारीखों का सालाना कैलेण्डर	34
	परिशिष्ट पांच - 'नई शिक्षा नीति' के मुख्य दस्तावेजों का सार्वजनिक दहन	35
	परिशिष्ट छह - अभाशिअम का सलाहकार मंडल और पदाधिकारीगण	38

प्रस्तावना

जून 2009 में 'आंध्र प्रदेश सेव एजुकेशन कमेटी' (एपीएसईसी) द्वारा हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय कैंपस में आयोजित 'शिक्षा का अधिकार और समान स्कूल व्यवस्था' विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान 'अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच' (अभाशिअम)[1] का गठन हुआ। आज यह 22 राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों के 75 से ज्यादा विद्यार्थी व और अध्यापक-संगठनों और तालीम के हक के लिए लड़ते हुए समूहों का संघीय मंच (फ़ेडरल प्लैटफ़ॉर्म) है। उक्त सेमिनार में 'हैदराबाद घोषणापत्र' पारित किया गया जिसमें उस वक्त राज्य सभा में विचाराधीन शिक्षा अधिकार विधेयक (2008) को वापस लेने और उसकी जगह संविधान-सम्मत पड़ोसी स्कूल की अवधारणा पर आधारित 'समान स्कूल व्यवस्था' (कॉमन स्कूल सिस्टम) के खाके में तैयार किए गए विधेयक को लाने की मांग की गई। घोषणापत्र में इस बात पर ध्यान दिलाया गया था कि उक्त विधेयक (क) राज्य को हर बच्चे को समतामूलक मुफ़्त और अनिवार्य तालीम देने की अपनी संवैधानिक जवाबदेही से पल्ला झाड़ने की इज़ाज़त देता है; (ख) राज्य द्वारा वित्त-पोषित विशाल सरकारी स्कूल व्यवस्था को कमज़ोर करते हुए अंततः ध्वस्त या खत्म कर देगा, सिवाय कुछ खास श्रेणियों के मुट्ठीभर अभिजात् सरकारी स्कूलों को छोड़कर; और (ग) स्कूली तालीम के निजीकरण और बाज़ारीकरण की रफ़्तार को तेज़ करता है जिसकी वजह कानून के दो मुख्य प्रावधान हैं। पहला, सरकारी स्कूलों के लिए घटिया स्तर के भवन व साजो-सामान और अध्यापक-संबंधी मानदंड जिनके चलते पालक निजी स्कूलों को पसंद करते हैं; और दूसरा, आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25% आरक्षण बतौर सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) के ज़रिए सार्वजनिक धन से फ़ीस प्रतिपूर्ति। बदकिस्मती से पिछले 8 सालों में शिक्षा अधिकार कानून के लागू होने पर 'हैदराबाद घोषणापत्र' की तीनों भविष्यवाणियां एकदम सही साबित हुई हैं!

अपने वजूद में आने से लेकर अब तक अभाशिअम पूरी तरह राज्य द्वारा वित्त-पोषित, बहुभाषी संदर्भ में मादरी-ज़ुबान (मातृभाषा) के ज़रिए तालीम पर आधारित और मुफ़्त 'केजी से पीजी' तक की 'समान शिक्षा व्यवस्था' के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें पड़ोसी स्कूलों की अवधारणा के मुताबिक पूर्व-प्राथमिक स्तर से बारहवीं कक्षा तक की 'समान स्कूल व्यवस्था' (कॉमन स्कूल सिस्टम) भी शामिल है। इसमें विषमताओं को दूर कर विविधताओं को शामिल करना होगा; इसके ज़रिए सामाजिक न्याय और बराबरी को बढ़ाना होगा; और इसका प्रशासनिक ढांचा लोकतांत्रिक, संघीय (फ़ेडरल) और जन-भागीदारी के संवैधानिक खाके पर आधारित होगा। अभाशिअम ने गैर-बराबरी, भेदभाव और सामाजिक-सांस्कृतिक, भाषायी और 'मानक शरीर' के वर्चस्वों का विरोध करने की कोशिश की है। लेकिन इन विसंगतियों को आज की बहुपरती, लगातार बजट कटौती से तंगहाल, महंगी फीस लेनेवाली और लगातार निजीकरण और बाज़ारीकरण की ओर धकेली जा रही तालीम व्यवस्था और अधिक पुख्ता करती है और इसकी पाठ्यचर्या (करीकुलम) का खाका भी ज्ञान को खरीद-फ़रोख्त के माल में बदलने के लिए बनाया गया है। इस शिक्षा व्यवस्था में ब्राह्मणवादी जाति-व्यवस्था और पितृसत्ता को मजबूत किया जाता है। इसका खाका भारत के कम-से-कम 85% बच्चों, किशोरों और युवाओं (यानी, बहुजनों) को शिक्षा से निष्कासित करने के लिए तैयार किया गया है, जिनमें दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और मुस्लिम शामिल हैं और इनमें से हर तबके में महिलाएं और विकलांग तालीम के नज़रिए से क्रमशः मर्दों और 'मानक शरीर' वालों से ज़्यादा अलग-थलग और निष्कासित हैं। इसके अलावा, यह खाका संवैधानिक सिद्धांतों व मूल्यों का उल्लंघन करता है और आज़ादी की लड़ाई के दौरान चले साम्राज्यवाद-विरोधी और जाति-विरोधी जुड़वां विमर्श को नेस्तनाबूद करता है।

'केजी से पीजी' तक समान शिक्षा व्यवस्था खड़ी करने और निजीकरण और बाज़ारीकरण से हुए नुकसान को पलटने के लिए अभाशिअम ने लगातार संघर्ष करते हुए अपने सदस्य, सहयोगी और साथी संगठनों के साथ मिलकर नीचे लिखे कार्यक्रम आयोजित किए -

- ✓ फरवरी 2010 में संसद तक जुलूस निकाला गया, जिसके अंत में संसद मार्ग पर बड़ी जनसभा की गई जहां सावित्रीबाई फुले को 'समान स्कूल व्यवस्था' की अवधारणा का मूल संस्थापक घोषित किया गया, जिन्होंने अपनी क़रीबी सहयोगी फ़ातिमा शेख के साथ 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में उत्पीड़ित जातियों के बच्चों, खासतौर पर लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे।
- ✓ जून-जुलाई 2012 में चेन्नई में 'तालीम के बाज़ारीकरण को खत्म करने और 'समान स्कूल व्यवस्था' को स्थापित करने के लिए अखिल भारत महासभा का आयोजन (अभाशिअम के साथ मिलकर 'राज्य-स्तरीय समान स्कूल व्यवस्था मंच, तमिलनाडु', द्वारा आयोजित)। वहां 'चेन्नई घोषणापत्र, 2012' पारित हुआ जिसमें राज्य द्वारा वित्त-पोषित, बहु-भाषी संदर्भ में मादरी-ज़ुबान के ज़रिए तालीम पर आधारित और मुफ्त 'पूर्व-प्राथमिक से बारहवीं' तक की 'समान स्कूल व्यवस्था' का वैकल्पिक नज़रिया पेश किया गया। यह विकल्प ऐसा था जिसमें 'केजी से पीजी' तक निजीकरण और बाज़ारीकरण को कोई जगह नहीं दी गई। घोषणापत्र में इस वैकल्पिक नज़रिए को हासिल करने के लिए संघर्ष की राह की रूपरेखा भी पेश की गई।

[1] All India Forum for Right to Education (AIFRTE).

- ✓ अक्तूबर 2013 में संसद तक जुलूस निकाला गया जिसके अंत में 'तालीम बिकाऊ नहीं है, यह हमारा हक है' नारे के साथ जन-संसद का आयोजन हुआ। 'तालीम के बाज़ारीकरण और सांप्रदायिकीकरण के खतरों के विरोध में एकजुट' होने का आह्वान दिया गया और यह तर्क रखा गया कि तालीम के बुनियादी मकसद को नज़रअंदाज करती बाज़ार की गुलाम नवउदारवादी नीति के खाके को तबाह किए बगैर तालीम के संवैधानिक हक का मिलना नामुमकिन है।
- ✓ नवंबर 2014 में एक साथ इंफ़ाल, भुवनेश्वर, कन्याकुमारी, गोवा और जम्मू से शुरु होकर भोपाल में दिसंबर 2014 में खत्म हुई 'अखिल भारत शिक्षा संघर्ष यात्रा - 2014'; इसमें जाति-व्यवस्था का विध्वंस करने और सामाजिक न्याय को पुख्ता करने के लिए सरकारी खर्च से चलने वाली, बहु-भाषी संदर्भ में मादरी-ज़ुबान के जरिए तालीम पर आधारित, पूरी तरह 'केजी से पीजी' तक मुफ्त 'समान स्कूल व्यवस्था' को एक सशक्त साधन के रूप में पेश किया गया। यह घोषित किया गया कि तालीम की व्यवस्था में न तो मुनाफ़ाखोरी, पीपीपी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) और तालीम को कारोबार का माल या बाज़ार के लिए कौशल में बदलने और न ही फ़िरकापरस्ती, मानस को नियंत्रित करने या गुलाम बनाने की कोई गुंजाईश हो सकती है।
- ✓ उच्च शिक्षा को व्यापार का माल बनने से बचाने के लिए इसे विश्व व्यापार संगठन व गैट्स से बाहर रखने को लेकर भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए 9 अगस्त 2015 ('भारत छोड़ो' आंदोलन दिवस) को सारे भारत में 'विश्व व्यापार संगठन - तालीम छोड़ो, भारत छोड़ो' मुहिम की शुरुआत की गई; यह मुहिम अक्तूबर 2015 के ऐतिहासिक 'ऑक्यूपाई यूजीसी' ('यूजीसी घेरो') आंदोलन का बीज बोने में मददगार रही, जिसकी परिकल्पना और नेतृत्व कई इंकलाबी छात्र संगठनों द्वारा की गई थी; दिसंबर 2015 में नई दिल्ली के जंतर-मंतर में अभाशिअम के बुलावे पर आयोजित 8 दिन के शिविर के साथ यह मुहिम खत्म हुई; इसमें कई अखिल-भारत छात्र और अध्यापक-संगठनों ने अहम भूमिका निभाई।
- ✓ शहीद रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के संदर्भ में 'तेलंगाना सेव एज्युकेशन कमेटी' द्वारा अभाशिअम के सहयोग से फरवरी 2016 में हैदराबाद में "सामाजिक विषमताएं: विश्वविद्यालयों में जातिगत और धार्मिक भेदभाव" विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया।
- ✓ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से तनख़ाह, मानदेय और दीगर माली लाभ पाने वाले सब लोगों के लिए – मुख्यमंत्री और विधायकों से लेकर आईएएस-आईपीएस अफसरों और चपरासियों तक – अपने बच्चों को सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में भेजना लाजिमी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अगस्त 2015 के ऐतिहासिक फ़ैसले के पक्ष में जनमत तैयार करने के मकसद से अप्रैल 2016 में इलाहाबाद में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, ताकि यह फ़ैसला अन्य सभी राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों में भी 'समान स्कूल व्यवस्था' बनाने का मानक बन सके।
- ✓ सितंबर 2016 में अभाशिअम ने 'नई शिक्षा नीति के मसौदे के लिए कुछ विचार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, जुलाई 2016' शीर्षक के दस्तावेज पर विस्तृत और सर्वांगीण आलोचना भेजी, जिसमें इस मसौदे को पूरी तरह खारिज करके इसकी जगह संविधान-सम्मत नीति की मांग की गई (वेबलिंक: www.aifrte.in/documents-of-AIFRTE)।
- ✓ अगस्त 2017 में बंगलूरु में उच्च शिक्षा का निजीकरण, बाज़ारीकरण और सांप्रदायिकीकरण किए जाने और आज़ादी के बाद से बड़ी शिद्दत से बनाए गए पेशेवर संस्थानों समेत भारत के प्रमुख शिक्षा संस्थानों को तबाह करने के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में तेज़ी से बढ़ते ब्राह्मणवादी-सह-फ़ासिस्ट हमलों का प्रतिरोध करनेवाले छात्र संगठनों के अखिल भारत समागम का आयोजन।

पूरे भारत में जिला-स्तरीय और राज्य-स्तरीय मुहिम और प्रतिरोध-संघर्षों और देशभर में छात्रों और अध्यापकों के जीवंत आंदोलनों के बावजूद, नवउदारवाद के मौजूदा चरण में वैश्विक वित्तीय पूंजी और ब्राह्मणवादी ऊंच-नीच वाली जाति-व्यवस्था के बीच का शर्मनाक गठबंधन और पुख्ता हुआ है। मौजूदा हुकूमत नीति-निर्धारण और प्रशासन के हरेक लोकतांत्रिक संस्थानों को सनकी ढंग से तबाह कर रही है। तालीम को महज वित्तीय पूंजी की ज़रूरत के मुताबिक 'निम्न दिहाड़ी के कौशल' का प्रशिक्षण देने और निष्कासन का औजार बना दिया गया है। बराबरी और सामाजिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों के उलट यह सोची-समझी बहु-परती व भेदभाववाली व्यवस्था खड़ी की गई है।

1990 के दशक में नवउदारवादी तथाकथित 'सुधार' (यानी 'बिगाड़') की नीतियों को लाने के बाद तालीम तेज़ी से बढ़ रहे निजीकरण के लिए कदम-दर-कदम ज़मीन तैयार की जा रही है। भाजपा-नीत राजग के नेतृत्व में मौजूदा केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति को लागू कर रही है जिसकी बुनियाद में कॉरपोरेटीकरण, केंद्रीकरण और फ़िरकापरस्ती हैं, हालांकि बार-बार कोशिशों के बावजूद ऐसी शिक्षा नीति के लिए सरकार को संसद से अनुमति नहीं मिल पाई है। शिक्षा संस्थानों के प्रबंधन और आर्थिक स्रोतों को बदला जा रहा है ताकि तालीम को मुनाफ़े का कारोबारी धंधा बनाया जा सके। सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) को आक्रामक ढंग से लागू किया जा रहा है; सरकारी खर्च से चलने वाले स्कूल या तो बंद किए जा रहे हैं, उन्हें एक-दूसरे में विलयन ('मर्ज़र') करके उनकी

संख्या घटाई जा रही है या फिर अलग-अलग चरणों वाली तालीम के स्कूलों को जोड़कर एक बड़ा स्कूल बनाया जा रहा है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय का 'एक छत तले स्कूली तालीम के सभी चरण' वाला भ्रामक फ़रमान)। स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों के बजट आबंटन में बुरी तरह कटौती की जा रही है और फीसें कई गुना बढ़ा दी गई हैं। अपने खर्च से पढ़ाई वाले 'स्ववित्त-पोषित' कोर्स जबरन लागू किए जा रहे हैं। वजीफ़े और शोध अनुदानों को बंद करके उनकी जगह कर्ज़ का इंतज़ाम किया जा रहा है। शिक्षा संस्थानों में लोकतांत्रिक विमर्श की गुंजाइश कम की जा रही है और राज्य सरकारों के संघीय (फ़ेडरल) संवैधानिक हकों पर आक्रमण किया जा रहा है। संघीय राजनीति के सिद्धांतों को खारिज करने की एक बेहद शोचनीय हालिया मिसाल मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और एमडी दोनों की सरकारी सीटों के दाखिले के लिए जबरन 'नीट' (NEET) का अखिल भारत स्तर की परीक्षा का थोपा जाना है। इस प्रक्रिया में दो साल से भी पहले तमिलनाडु विधानसभा में पारित आपस में जुड़े दो कानूनों को केंद्र द्वारा दरकिनार किया गया और इस तरह संविधान में तालीम के समवर्ती दर्ज़े (केंद्र और राज्य की साझा ज़िम्मेदारी) के सिद्धांत का खुलकर उल्लंघन किया गया।

ऐसे माहौल में अभाशिअम ने एक बार फिर समतामूलक गुणवत्ता की मुक्तिकामी शिक्षा के लिए 12 महीनों की देशव्यापी लंबी लड़ाई (जून 2018 से मई 2019 तक) छेड़ने का निर्णय लिया है ऐसी तालीम के लिए जो अवाम को पूरी तरह मुफ़्त और बिना किसी भी तरह के भेदभाव के मिल सके - चाहे उस भेदभाव की जड़ें वर्ग, जाति, पितृसत्ता, मजहब, भाषा, अंचल, विकलांगता या और किसी भी तरह के ऐतिहासिक भेदभाव में क्यों न हों - जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बदलकर लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक, न्यायपूर्ण, प्रबुद्ध और मानवीय बना सके।

अप्रैल-मई 2019 में मुल्क में नई लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। हमें सरकारी खर्च से चलने वाली सार्वजनिक तालीम में कटौती, निजीकृत और बाज़ार बन रही मुनाफ़ाखोर तालीम में बढ़त और इल्म व तालीम के सामाजिक स्वरूप पर फ़िरकापरस्त, प्रतिक्रियावादी और ब्राह्मणवादी हमलों के बारे में तथ्य और आंकड़े अवाम के पास ले जाने होंगे। जब तक लोगों को लामबंद नहीं किया जाएगा तब तक हम न तो मसलों का हल निकाल पाएंगे और ना ही तालीम के अपने संवैधानिक मकसद को पूरा कर पाएंगे। इस मकसद से हमें आम समाज में अवाम के अलग-अलग तबकों में काम कर रहे जन-संगठनों और आंदोलनों से सहयोग लेना होगा। ज़ाहिर है कि एक मजबूत आंदोलन खड़ा करने में छात्र व अध्यापक-संगठनों, किसान-खेत मज़दूर व मछुआरों-कारीगरों के संगठनों और ट्रेड यूनियनों की अहम भूमिका होगी। यह कार्ययोजना इस समझ के साथ पेश की जा रही है ताकि सभी सहयोगी-, सदस्य-, और साथी संगठन अभाशिअम के इस वैकल्पिक नज़रिए को अवाम तक ले जा सकें, जिससे ऐसी शिक्षा के लिए देशव्यापी मांग खड़ी की जा सके जो आज़ादी की लड़ाई के सपनों और संविधान के मुताबिक हो।

1.0 एक विहंगम दृष्टि

वैश्विक पूंजीवाद के लगातार चल रहे संकट के इस ऐतिहासिक मोड़ पर भारत की जनता को शासकवर्ग, फ़ासीवादी तानाशाही हुकूमत की ओर धकेल रहा है। आज़ादी की लड़ाई की साम्राज्यवाद-विरोधी और जाति-विरोधी जुड़वां विरासत को बनाए रखने वाली विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं को (जिनमें विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलावा कई नीति-निर्धारक, निगरानी रखनेवाली और नियामक वैधानिक संस्थाएं शामिल हैं) और संवैधानिक मूल्यों को आक्रामक ढंग से अंदर से खोखला किया जा रहा है, जिसके चलते तालीम पर अत्यधिक बजर गिरा है। हाल के बरसों में समाज और अधिक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक, न्यायपूर्ण, तर्कशील और प्रबुद्ध बनने की बजाय बढ़ते क्रम में गैर-लोकतांत्रिक, गैर-बराबर, अन्यायी, तर्कहीन, असहिष्णु, संकीर्ण और कट्टरपंथी बनता जा रहा है। यह इस बात से ज़ाहिर होता है कि आर्थिक गैर-बराबरी शोचनीय रूप से बढ़ी है। हाल की एक रिपोर्ट में उजागर हुआ है कि सन् 2017 में उत्पन्न राष्ट्रीय संपदा का 73% हिस्सा भारत की जनसंख्या के 1% से कम लोगों ने हड़प लिया है, जिसके चलते अवाम की ग़रीबी बढ़ी है। शोषित और दरकिनार बहुजन - आदिवासी, दलित, अन्य पिछड़े वर्ग और मुस्लिम, खासतौर पर इन सभी तबकों की महिलाओं और विकलांगों - को जीने की बुनियादी ज़रूरतों से वंचित कर दिया गया है, जिसमें रोज़गार या जीविका, घर, शिक्षा, पोषण, सेहत और सबसे ऊपर सम्मानजनक जीवन शामिल हैं।

समकालीन समाज में तीन बड़ी ताकतें हैं - संपत्ति, सत्ता और ज्ञान। समाज में संपत्ति और सत्ता का पूरी तौर पर विषमतामूलक बंटवारा है और बढ़ते क्रम में इल्म पर इनका हमला बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से नीचे के तबकों का समाज में ऊपर उठना तक़रीबन नामुमकिन होता जा रहा है। बेशक, हमें एक और आज़ादी की लड़ाई की ज़रूरत है, ताकि साम्राज्यवाद-विरोधी और जाति-विरोधी पिछली आज़ादी की लड़ाई की आकांक्षाएं और सपने नए सिरे से हासिल किए जा सकें।

आज़ादी के बाद भारत ने संविधान में प्रतिष्ठित दृष्टि के साथ शुरुआत की थी। संविधान की प्रस्तावना में कुछ सभ्यतामूलक मूल्यों पर पुरज़ोर तरीके से बात रखी गई थी। जिसमें भारत की जनता को लोकतंत्र, समाजवाद, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध किया गया। संविधान के चौथे भाग यानी 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों' में समतामूलक समाज के लक्ष्य का वायदा है जिसको हासिल

करने के लिए संविधान के तीसरे भाग में बुनियादी हकों और स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है। दरअसल, संविधान ने राजसत्ता पर यह जवाबदेही सौंपी थी कि वह शांतिपूर्ण बदलाव की एजेंसी की तरह काम करे। इस वजह से आमजनों के लोकतांत्रिक संघर्षों के मार्फ़त जनपक्षी सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां उभर सकेंगी जिसके चलते समाज को विस्फ़ोटक टूटन से बचाया जा सकेगा। इससे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई थीं लेकिन नवउदारवादी मॉडल ने राजसत्ता को वैश्विक पूंजी और आक्रामक, आत्म-केंद्रित, मुनाफ़ाखोर बाज़ारी ताकतों का दलाल बना डाला।

नवउदारवादी 'सुधारों' (सही तौर पर 'बिगाड़' कहना चाहिए) ने भारतीय समाज में वैश्विक पूंजी व बाज़ार को बेलगाम अधिकाधिक घुसपैठ करने की इज़ाजत दे दी, जिससे संवैधानिक सिद्धांत और मूल्य औंधे मुंह गिर पड़े। बराबरी और सामाजिक न्याय के सरोकारों से धीरे-धीरे पल्ला झाड़ लिया है और साथ-साथ डिजिटल तकनीक के बलबूते 'रोज़गार-विहीन आर्थिक वृद्धि' के वैश्वीकरण के महामंत्र ने शासक वर्गों के मानस को मंत्रमुग्ध करते हुए गुलाम बना डाला है। यह वही विकास का पूंजीवादी मॉडल है जिसे नोबेल पुरस्कृत अर्थशास्त्री जोसेफ़ स्टिग्लित्ज़ ने 'क्रूर और जड़-विहीन' कहा है। मौजूदा सत्ताधारियों की नज़र में लोकतांत्रिक बदलाव की संस्कृति और जनांदोलन उनके विनाशकारी और तबाही मचाने वाले जन-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी आर्थिक विकास के मॉडल थोपने के रास्ते में ज़बर्दस्त अवरोध हैं। इसी वजह से संविधान निर्माताओं द्वारा बनाया गया लोकतांत्रिक ढांचा चरमराने लगा है। एक ओर, वैश्वीकरण के मिथक या सही कहा जाए तो, साम्राज्यवाद की गहरी घुसपैठ और दूसरी ओर, सामाजिक संबंधों में सांप्रदायिकता व राष्ट्रीय सरोकारों में संकीर्णता व कट्टरपंथ की बढ़त में सीधा और चौंकाने वाला संबंध देखा जा सकता है। इस खतरनाक तालमेल ने हिंदुत्ववादी-फ़ासीवादी ताकतों के आक्रामक कूच के लिए उर्वरक ज़मीन तैयार की है। 1960 के दशक के आखिरी सालों में अमरिकी भाषाविद् और दार्शनिक नोअम चॉम्स्की ने फ़ासीवादी हुकूमतों के उभरने व फैलने और उनके 'वाशिंगटन' संबंधों के खतरों के प्रति चेतावनी दी थी। साम्राज्यवाद ने हमारे राष्ट्रीय जीवन को कई जगह चोट पहुंचाई है लेकिन तालीम के मामले में यह चोट सबसे ज्यादा खतरनाक और हैरत में डालने वाली है। तालीम पर हिंदुत्ववादी-फ़ासीवादी और वैश्विक वित्तीय पूंजी की जुड़वा ताकतों के संगठित हमलों की वजह से भारत में लोकतांत्रिक शिक्षा का भविष्य खतरे में है।

भारत में लोकतंत्र को लकवा मार गया है, चूंकि कमोबेश सभी सियासी पार्टियां एक ही शोषक पूंजीवादी विकास के मॉडल के सहारे सत्ता-संघर्ष में उलझी हुई हैं। अगर वैकल्पिक दृष्टियों पर चर्चा, बहस और प्रयोगों के लिए गुंजाइश नहीं बची है तो लोकतंत्र न तो ज़िंदा रह पाएगा और ना ही टिक पाएगा। सामाजिक आंदोलनों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे लोकतांत्रिक दृष्टि को टिकाएं रखें और बदलाव के लिए जनमानस को लामबंद करते रहें। यदि ये आंदोलन न हों, तो रूढ़िवादी, संकीर्णपंथी और प्रतिक्रियावादी ताकतें लोकतांत्रिक ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेंगी और नफ़रत, भेदभाव और विभाजनकारी राजनीति के सहारे फलती-फूलती रहेंगी जिसके चलते सारी राजनीतिक प्रक्रिया मृतप्राय सांस्कृतिक गलियारों में उलझकर रह जाएगी।

चूंकि सामाजिक अस्तित्व के लिए संस्कृति ज़रूरी है, इसलिए संस्कृति के मानव चेतना बनने के सवाल पर छात्र और अध्यापक-संगठनों द्वारा सुलगाई गई जारी जीवंत बहस को अवाम तक ले जाना ही होगा। सामाजिक आंदोलन, लोकतांत्रिक चेतना में गहराई लाते हैं और उन मूल्यों को प्रतिष्ठित करते हैं जो समाज को मानवता की ऊंचाइयों और बेहतर भविष्य में दृढ़ आस्था तक ले जाते हैं। औपचारिक शिक्षा और चेतना के उत्थान, दोनों ही रूप में तालीम से हमें अपने सामाजिक अस्तित्व को आलोचनात्मक नज़रिए से परखने के बेहतर मौके मिलते हैं। समाज में तालीम के मकसद को कैसे समझा जाता है, यह इसी पर यह निर्भर करता है कि तालीम हमें मूल्यों के वर्चस्व में उलझा देगी या साथ ही हम सबको एकरूपी बना देगी या फिर हमें मुक्ति की राह पर ले जाएगी।

अगर सही वक्त पर सही सवाल न उठाए जाएं व उचित आंदोलन न खड़े किए जाएं तो शोषित और उत्पीड़ित करोड़ों आमजनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चूंकि हम शिक्षा के आंदोलन में लोकतांत्रिक मूल्यों, बराबरी और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए हमें एक नई दिशा की राह तलाशनी होगी और इसी प्रक्रिया में अपने अस्तित्व की गहराइयों का अहसास भी करना होगा।

2.0 नई शिक्षा नीति : कुछ बड़े खतरे

तक़रीबन 3 साल से बन रही नई शिक्षा नीति, 2016, को न तो किसी औपचारिक सार्वजनिक नीतिगत के दस्तावेज बतौर जारी किया गया है और न ही इसे संसद में स्वीकृति के लिए पेश किया गया है। यह इन निम्नांकित रूपों में ही दिखी है:

(क) सुब्रह्मण्यन समिति रिपोर्ट, अप्रैल 2016 - अजीब बात है कि इसको सरकार ने न तो स्वीकारा है और न ही खारिज किया है;

(ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) की वेबसाइट पर 'इनपुट्स' (कुछ विचार) वाला दस्तावेज, जून 2016 जिसमें लोगों की राय मांगी गई लेकिन उसके बाद से मंत्रालय ने अजीबोगरीब चुप्पी साध ली है; और

(ग) डॉ. कस्तूरीरंगन समिति की घोषणा: लगता है यह भी चिरनिद्रा में चली गई है, शायद इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला नीति आयोग 'तालीम और कौशल विकास' का 3 वर्षों का एजेंडा जारी कर चुका है (देखिए - India: Three-Year Action Agenda - 2017-18 to 2019-20, August 2017, pp. 135-143)।

इसके बावजूद सरकारी खर्च से चल रही शिक्षा-व्यवस्था को बदनाम कर और उसे खत्म करके तालीम का और ज्यादा निजीकरण और बाज़ारीकरण करने की रफ्तार बढ़ाने की नीति को, संसद की स्वीकृति के बिना ही बड़ी तेज़ी से लागू किया जा रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से मसौदे को स्वीकृत करवाकर अवाम से रुबरू होने से डरती राजग-2 की सरकार ने उचित नीति की जगह अपनी मनमर्जी से समय-समय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इससे जुड़े यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, एनएएसी और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) जैसे संवैधानिक संस्थानों और राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों में इनके प्रतिरूपों के जरिए सूचनाएं/ निर्देश/आदेश जारी किए हैं।

हर मुख्यमंत्री छात्रों और अध्यापकों के लिए एक जैसे 'तोहफ़े' और 'पुरस्कार' या 'सजा' की घोषणा कर अपनी तदर्थ नीतियों पर मुहर लगाता/लगाती है। जनवरी 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने 80,000 स्कूल बंद करके उनकी जगह मंडल/तालुका स्तर पर 'अंतर्राष्ट्रीय स्कूल' लाने की घोषणा की। जनता के विरोध के बावजूद पहली किश्त में 1300 स्कूलों को बंद किया जाना जारी है।

जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया कि 5000 हिन्दी-माध्यम स्कूलों को बदल कर 5000 अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल बनाए जाएंगे। ज़ाहिर है कि बच्चों को अच्छी अंग्रेज़ी सिखाना इसका मकसद नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भाषाविज्ञान और शिक्षा के सर्वमान्य सिद्धांतों के मुताबिक सरकार ने स्कूली तालीम की सर्वांगीण बेहतरी की कोशिश की होती, जिससे बच्चे हिन्दी माध्यम से पढ़ते हुए न केवल बेहतर अंग्रेज़ी सीख लेते, बल्कि वे अन्य विषयों में भी बेहतर ज्ञान पा लेते। तो आखिर मकसद क्या है? सरकार के नवउदारवादी एजेंडे को ध्यान में रखें तो समझ में आता है कि असली मकसद बच्चों को स्कूल से निकाल बाहर करना है; क्योंकि अंग्रेज़ी माध्यम से बड़ी तादाद में बच्चे न तो अंग्रेज़ी और न ही दूसरे और विषय (गणित, विज्ञान, नागरिक-शास्त्र) सीख पाएंगे और वे स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। सरकार यही चाहती है कि वह स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या के ('तर्कसंगतिकरण' के बहाने) नाम पर स्कूलों को बंद करना शुरू कर सके, जैसा कि दूसरे राज्यों में किया गया है।

जनवरी 2018 की शुरूआत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री (आरएसएस की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष) ने सरकारी अध्यापकों के लिए 'पश्चिमी' शैली की यूनिफ़ार्म तय की, जो मर्द और औरत दोनों के लिए थी, जिस पर 'राष्ट्र निर्माता' का बिल्ला भी लगा होगा! विडंबना यह है कि इसके साथ ही उसकी सरकार उचित तादाद में कक्षाएं, पीने का पानी, शौचालय, बिजली और कंप्यूटर उपलब्ध नहीं करवाती, सालों से खाली पड़े दसों हजारों ज़रूरी अध्यापक-पदों की भर्ती नहीं करवाती और यहां तक कि अपर्याप्त सुविधाओं में काम कर रहे अध्यापकों को कक्षा से बाहर रखने के लिए उन्हें गैर-शैक्षणिक/गैर-अकादमिक काम पर लगाती रहती है। यह कोई अचरज की बात नहीं है कि 32 राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय शैक्षणिक स्तर सूचकांक में मध्यप्रदेश का नाम नीचे से तीसरे नंबर पर आता है।

अप्रैल 2018 में ग़रीबों के लिए कम खर्च से चलने लायक घटिया दर्ज़े के स्कूलों की हिमायत करने वाले राष्ट्रीय स्वतंत्र स्कूल संघ (एनईएसए), ने शिक्षा अधिकार कानून में तय स्कूल में लाज़िम न्यूनतम मानदंडों के खिलाफ़ दिल्ली में एक रैली की थी। दरअसल राष्ट्रीय स्वतंत्र स्कूल संघ, सेंटर फॉर सिविल सोसायटी (सीसीएस) द्वारा उभारा गया संगठन है, जो वाउचर स्कूल (नियत अवधि की पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा निजी स्कूलों की फ़ीस भरपाई की गारंटी का सर्टिफिकेट) के प्रणेता 'अर्थशास्त्र के शिकागो स्कूल (गुट)' के दिवंगत मिल्टन फ्रीडमैन के समर्थकों के पैसे से चल रहा पूरी तरह से नवउदारवादी एनजीओ (गैरसरकारी संस्थान) है। तक़रीबन 4 साल पहले सेंटर फॉर सिविल सोसायटी द्वारा वाउचर स्कूलों पर दिल्ली के इंडिया हेरिटेज सेंटर में आयोजित एक सभा के बाहर अभाशिअम ने विरोध प्रदर्शन किया था। बेशक सीसीएस-एनईएसए जैसे एनजीओ एक ओर तो सरकारी स्कूल व्यवस्था को तबाह और खत्म करके शिक्षा अधिकार कानून से बनी ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी ओर वे कानून के खंड 12(1)(सी) का लाभ उठाते हुए निजीकरण और बाज़ारीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं।

इस सारी ग़फलत के बीच मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की कि सरकार, स्कूली तालीम के सभी चरणों को 'केजी से बारहवीं तक' एक ही छत तले लाने का महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है ताकि स्कूली तालीम में किसी अगले चरण के लिए किसी को मारा-मारा न फिरना पड़े। मध्यम-वर्ग ने इस घोषणा पर ज़रूर जश्न मनाया होगा। लेकिन असली एजेंडा का खुलासा तब हुआ जब असम सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को बंद करना शुरु किया, क्योंकि उनको सेकंडरी स्कूलों के साथ जोड़ कर एक जगह लाना था! इनमें से अधिकतर स्कूल नवउदारवाद के निजीकरण एजेंडे के सामने आने के पहले से ही सरकारी खर्च से बने अच्छे स्तर के भवनों में चलाए जा रहे थे। मई 2018 में असम के अखबारों में यह खबर छपी कि स्कूलों को साथ जोड़ने की नीति की वजह से 25,000 अध्यापकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा!

मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह भी घोषणा की कि कुछ कॉलेज-विश्वविद्यालयों को ग्रेडेड (श्रेणीकृत) स्वायत्तता दी जाएगी (एनएएसी द्वारा आकलन, जिनमें निजी क्षेत्र के एनएएसी भी शामिल हैं) ताकि वे अपने-आप तय किए कोर्स और पाठ्यचर्या चला सकें। पर इसके लिए उन्हें खुद बाज़ार से पैसा बटोरना पड़ेगा। इसका मकसद क्या है? ज़ाहिर है कि सरकार यह कह रही है कि

राजसत्ता आपके कोर्स और पाठ्यचर्या पर नियंत्रण नहीं रखेगी, बल्कि बाज़ार (जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट घराने शामिल हैं) तय करेगा कि आप क्या पढ़ाएंगे और क्या नहीं पढ़ाएंगे! अध्यापक संघों ने नवउदारवादी एजेंडे को ताड़ लिया और वे इस मांग के साथ सड़कों पर उतर आए कि हमें पूरी स्वायत्तता दी जाए और आज़ादी के समय से विश्वविद्यालयों को दी जा रही आर्थिक मदद जारी रहे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 की तीन मूल खासियतों को यथा, तालीम का कॉरपोरेटीकरण, केंद्रीकरण और सांप्रदायिकीकरण को व्यापक तौरपर समझ लिया गया है। इस नीति के मर्म में तालीम का बेरोकटोक कॉरपोरेटीकरण है। केंद्रीकरण से 'एकल खिड़की (सिंगल विंडो)' का वह रणनीतिक औजार बनता है, जो वैश्विक बाज़ार के हाथ में तालीम थमा देने वाले विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)-गैटस् के हुक्म से बने एजेंडे के लिए ज़रूरी है, हालांकि इससे राष्ट्र के हितों का कभी भी भरपाई न किया जा सकने वाला नुकसान होगा।

तालीम में सांप्रदायिकता लाना बहुत ही तबाही मचाने वाला, भड़काऊ और गैर-संवैधानिक एजेंडा है जिसका तालीम के कॉरपोरेटीकरण और केंद्रीकरण के गैर-संवैधानिक मकसद के साथ गहरा तालमेल है। तालीम में 'धंधे की आसानी' (ईज ऑफ़ बिज़नेस) को बढ़ाने और तेज़ करने की वजह से ही छात्र और अध्यापक-संगठनों के बढ़ते प्रतिरोध को बेइंतहा दमन का शिकार होना पड़ रहा है और यहां तक कि उन्हें देशद्रोही कह कर उन पर राजद्रोह का आरोप भी लगाया जा रहा है! आज़ादी के बाद के हमारे इतिहास में असहमति के लिए लोकतांत्रिक गुंजाइश अभूतपूर्व रफ्तार से सिकुड़ती जा रही है।

यहां एक स्पष्टीकरण ज़रूरी है। मौजूदा हुकूमत ने 'गौ-रक्षक' भीड़तंत्र के हत्यारों और 'लव-जिहाद' सेनाओं के तांडवों वाले ध्यान भटकाने वाली लेकिन गंभीर रूप से गैर-लोकतांत्रिक, भूमिका अपनाई हुई है ही, पर इसके अलावा उसका हिंदुत्ववाद को आगे बढ़ाना संविधान की आत्मा पर सीधा हमला है, क्योंकि वे बहुसंख्यकवादी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो नागरिकों के बीच मजहब के आधार पर भेदभाव पर टिका हुआ होगा और वे जाति-आधारित मनुस्मृति का बेधड़क समर्थन करते हैं और इसे सामाजिक रस्मो-रिवाज़ के नाम पर आगे बढ़ा रहे हैं। इससे आज़ादी की लड़ाई के दौरान विकसित तर्कशीलता, वैज्ञानिक सोच और लोकतांत्रिक हकों पर आधारित संप्रभु और आधुनिक गणतंत्र से हटकर ठीक उलटी ओर जाने का संकेत मिलता है।

तालीम के दायरे में हिन्दू राष्ट्र के प्रोजेक्ट पर चलने से निम्नांकित बातें मजबूत हुई हैं और संकट की हदें पार कर गई हैं - (क) कामगार वर्गों में फ़िरकापरस्ती और जाति के आधार पर टुकड़े हो गए हैं, जिससे नवउदारवाद के खिलाफ संघर्ष कमजोर पड़ गए हैं; और (ख) तर्कहीनता, कट्टरता, मिथकों में आस्था और गैर-वैज्ञानिक सोच के माहौल को बढ़ावा मिला है। बेटे का सिर काट कर उसकी जगह हाथी का सिर रखने से, प्रधानमंत्री शिव को दुनिया का पहला प्लास्टिक सर्जन बताते हैं और अब उत्तर प्रदेश का मानव संसाधन विकास मंत्री कहता है कि सीता दुनिया की पहली टेस्ट-ट्यूब बेबी थी - समझ में नहीं आता है कि ये लोग कैसे शिक्षा नीति तय कर सकते हैं! इसके अलावा अब यूनिवर्सिटी रीफ्रेशर और ओरिएंटेशन कोर्स का हिन्दू राष्ट्र की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है।

तेज़ी से बढ़ती जा रही एक और बात यह है कि हिन्दू राष्ट्र की ताकतें, खासकर उनके छात्र (एबीवीपी) और संघ-परिवार से जुड़े दूसरे संगठन उनकी विचारधारा और शिक्षा नीतियों पर सवाल उठाने वाले और उसका विरोध करने वाले छात्रों और अध्यापकों पर हमला करते हैं (गाली-गलौज, सोशल मीडिया पर नफ़रत भरे बयान और पोस्ट्स और यहां तक कि मारपीट की धमकियां भी)। नरेन्द्र दाभोलकर, कामरेड गोविंद पानसरे, प्रो. कलबुर्गी और पत्रकार-समाजकर्मी गौरी लंकेश की जघन्य हत्याएं यह दिखलाती हैं कि मौजूदा हुकूमत के समर्थन से ये प्रतिक्रियावादी ताकतें किस हद तक नीचे गिर सकती हैं। इसलिए कार्ययोजना का खाका बनाते हुए, अभाशिअम को हिन्दू राष्ट्र की विनाशकारी सियासत और विचारधारा के खिलाफ प्रतिरोध खड़ा करने के सवाल से भी जूझना होगा।

अब हम कुछ चुनिंदा मुद्दों पर ध्यान दिलाएंगे, जिनसे यह पता चलता है कि वैश्विक वित्तीय पूंजी और उनकी ताकतवर एजेंसियों के हुक्म बजाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016/2018 क्या-क्या करना चाहती है (खंड 3.0 में 'जनांदोलनों की शिक्षा-संबंधी मांगें' के संदर्भ में कई और मुद्दे स्पष्ट हो जाएंगे)।

2.1 तालीम का मकसद: इल्म (ज्ञान) पर हमला

वैश्विक पूंजी के नवउदारवादी रूप में यह माना जाता है कि तालीम के मसले इस ऊंचे आदर्श से तय नहीं होते कि सामाजिक विकास और इल्म (ज्ञान) पैदा करना हर इंसान का बुनियादी हक है, बल्कि मुनाफ़ाखोरी की हैवानियत ही इन मसलों को तय करती है। यह तालीम को महज खपत की जाने वाली जिंस बना देता है, जिसका राष्ट्र के अंदर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतहीन मुनाफ़ाखोरी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आजकल जो खुले बाज़ार की पूंजीदारी चल रही है, नवउदारवाद उसका गुटका है, जो किसी भी और तरह के हस्तक्षेप को नकारता है, चाहे वह इंसानियत के नाम पर या राजसत्ता का 'कम से कम' हस्तक्षेप क्यों न हो। इससे भी

ज्यादा गौरतलब यह है कि इल्म, तालीम और इसकी पाठ्यचर्या की अवधारणा और प्रकृति तक को ध्वस्त करने के लिए नवउदारवाद ने बहुआयामी ज्ञान-मीमांसात्मक हमला किया हुआ है।

श्रम के सामाजिक इस्तेमाल से इल्म पैदा होता है। कॉरपोरेटीकरण ने अवाम के लिए तालीम को महज काबिलियतों (कौशलों) में समेट दिया है, जैसा कि 'स्किल इंडिया' मिशन से ज़ाहिर है। तालीम के लिए निजी तौर से लगाया गया भारी खर्च, पढ़ाए जाने वाले उन विषयों की उपलब्धता और प्रभाव को कम कर देता है, जो 'बाज़ार' की मांग से नहीं जुड़े हैं। इसकी वजह से इल्म की परिवर्तनकामी ताकत को हासिल करने के लिए ज़रूरी आलोचनात्मक-सोच, सामाजिक सरोकार, ऐतिहासिक चेतना, वैज्ञानिक मानस और लोकतांत्रिक नागरिकता से हट कर पाठ्यक्रम का फोकस 'टीमवर्क (टीम के साथ काम करना)', 'कम्युनिकेशन (लोगों तक बाज़ार के संदेश पहुंचाना)', और 'लीडरशिप' जैसे कौशलों (स्किल्स) में सिमट गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016/2018 की समूची शब्दावली कौशल (स्किल) हासिल करने के खाके में तैयार की गई है। 'काबिलियतें, 'उत्पादकता' और 'नतीजे' ऐसे मापदंड हैं, जिनका आकलन किया जाएगा, उन्हें मापा जाएगा, ग्रेड (श्रेणियां) दिया जाएगा और उन्हें बाज़ार के लिए पुख्ता किया जाएगा। तालीम का मकसद कामगार की फौज़ की बढ़त के लिए 'मानव संसाधन' तैयार करने तक सीमित कर दिया गया है, जिसकी मांग और आपूर्ति की घट-बढ़ की ज़रूरत के मुताबिक बाज़ार में आमद होगी।

शिक्षा पर हो रहे इस ज्ञानमींमासत्मक हमले के खतरे को पहचानना क्यों ज़रूरी है? जो पढ़ाया गया उसे बिना सोचे-समझे सही मान लेना और गुलाम मानसिकता को पाठ्यचर्या के जरिए बढ़ाया जा रहा है जहां आलोचनात्मक तर्कशीलता या गंभीर जांच-पड़ताल के बाद सच तक पहुंचने या इल्म के वैकल्पिक तौर-तरीकों की खोज के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची (बाज़ारमुखी कॉरपोरेटी और ब्राह्मणवादी दोनों तरह की मानसिकता के साथ यह मेल खाता है। बहरहाल, ऐसा होता है कि तरक्कीपसंद आलोचक और जनांदोलन भी निजीकरण की वजह से तालीम के बढ़ते खर्च पर, या जैसा हाल में दिखता है, वजीफों और फेलोशिप की कटौती (यानी, सामाजिक न्याय) पर ही ध्यान देते हैं जिससे बहुआयामी हमले को अनदेखा करते हुए इसे महज तालीम की उपलब्धता की समस्या तक सीमित कर दिया जाता है। संक्षेप में ज्ञानमीमांसात्मक हमला यह दिखलाता है कि नवउदारवादी खाका न केवल तालीम पाने में रुकावट पैदा करता है, बल्कि यह भी कि बेहद महंगी फीस देने के बाद भी विद्यार्थी को जो मिलता है, वह न तो उसके अपने लिए और न ही समाज के लिए किसी काम का है।

2.2 तालीम देने से इंकार और निष्कासन

शिक्षा का निजीकरण और बाज़ारीकरण मौजूदा घोर असमान (गैर-बराबर) शिक्षा व्यवस्था को भारत की उस 85% आबादी के बच्चों की पहुंच से पूरी तरह बाहर करने पर उतारू है जिसके खिलाफ जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा, क्षेत्र व विकलांगता के आधार पर भेदभाव होता है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम (2002) भारत के संविधान में पहला नवउदारवादी हस्तक्षेप है। इसे शैक्षिक संसाधनों में कटौती करने के राज्य पर नवउदारवादी आदेशों को लागू करने के लिए रचा गया था, जिससे कि राज्य सभी बच्चों को समतामूलक गुणवत्ता वाली शिक्षा देने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सके। इसने भारत सरकार की प्रतिबद्धता को केवल 6-14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को 'जैसा कि राज्य कानूनन तय करे' तक सीमित कर दिया। इसने राज्य को "14 साल तक" के सभी बच्चों के प्रति (6 वर्ष से कम उम्र सहित) मूल संवैधानिक प्रतिबद्धता (मूल अनुच्छेद 45) से पलटने की अनुमति दी; करोड़ों बच्चों को अच्छी शिक्षा से महरूम कर दिया। विश्व बैंक के 'संरचनागत समायोजन' (शैक्षिक खाके को घटते आबंटन के मुताबिक समायोजित 'एडजस्ट' करना) के तहत सर्व शिक्षा अभियान में भी कम खर्च के, शोषणकारी व अन्यायपूर्ण तौर-तरीकों को शामिल किया गया (जैसे, व्यापक स्तर पर शिक्षकों को ठेके पर कच्ची नौकरी (अनियमितीकरण), बहु-कक्षायी अध्ययन (एक अध्यापक द्वारा एक साथ एक ही कमरे में एक से अधिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम पढ़ाना), घटिया दर्जे के स्कूलों का बहु-परतीकरण और स्कूली व्यवस्था का एनजीओकरण। नतीजतन, महंगे व 'कम बजट' वाले घटिया दोनों श्रेणियों के निजी स्कूलों का एक विशाल बाजार खुल गया। नई शिक्षा नीति 2016/2018 ने माध्यमिक (सेकेंडरी) स्तर के शुरु में ही दो समानांतर कोर्स प्रस्तावित किए हैं; एक तथाकथित मेधावी विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में प्रवेश की राह तैयार करने के लिए और दूसरा तथाकथित कमजोर विद्यार्थियों को कौशल शिक्षा की दुकानों में धकेल कर उन्हें वैश्विक पूंजी के लिए ज़रूरी व सस्ते मजदूर बनाने के लिए।

सार्वजनिक हित को चालाकी से तबाह करने की वैचारिकी के क्रम में शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) को 2010 में स्कूली शिक्षा की तमाम बुराइयों की संजीवनी के रूप में लागू किया गया। इसने असमान, भेदभावपूर्ण, बहु-परती शिक्षा व्यवस्था को कानूनी मान्यता दे दी और निजी स्कूलों को वस्तुत: अनियंत्रित छोड़ दिया। इसके ऊपर तुर्रा यह कि इसने सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत निजी स्कूलों में उनकी दर्ज़ संख्या के 25% तक आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों के बच्चों को दाखिल करने के बहाने उनकी फीस की सरकारी खजाने से भरपाई करने का प्रावधान खड़ा किया। जैसा कि अभाशिअम के हैदराबाद घोषणापत्र, 2009 (देखें प्रस्तावना, पृष्ठ 1) में भविष्यवाणी की गई थी, इस अधिनियम ने सरकारी स्कूल व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और

निजीकरण व बाज़ारीकरण की गति तेज की है। 2010 से लेकर अबतक लगभग 1.5 लाख स्कूलों को बंद या विलय किया जा चुका है जिसके कारण अभिभावक अपने बच्चों को कम बजट वाले घटिया निजी स्कूलों में नामांकित करने को मजबूर कर दिए गए हैं।

आज समाज के उत्पीड़ित तबकों के पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों में से 10% से भी कम बारहवीं पार करके उच्च शिक्षा में प्रवेश की आर्हता (एलिजीबिलिटी) हासिल कर पाते हैं। ये भयावह आंकड़े इस प्रकार हैं: अनुसूचित जनजाति के 6%, अनुसूचित जाति के 8%, मुस्लिमों के 9% और अन्य पिछड़ा वर्गों के 10 फीसद। इसका मतलब है कि वर्तमान स्कूल व्यवस्था समाज के इन तबकों के 90% से अधिक बच्चों को उनके बारहवीं कक्षा पूरी करने से पहले ही बाहर धकेल देती है या निष्कासित कर देती है। इसका अर्थ यह भी है कि इन बच्चों में से 10% से भी कम उच्च शिक्षा के लिए न्यूनतम आर्हता हासिल कर पाएंगे और अपना कैरियर तय करने का हक पाएंगे। यही अनुपात आरक्षण व सामाजिक न्याय की अन्य सुविधाओं की आर्हता हासिल कर पाता है। इन तबकों की लड़कियों और विकलांगों की तुलनात्मक संख्या का तो और भी कम होना तय है। नई शिक्षा नीति - 2016/2018 के उपरोक्त व अन्य प्रावधानों के लागू होने पर यह तय है कि अजजा/अजा/अपिव/मुस्लिम बच्चों का उच्च शिक्षा व सामाजिक न्याय के लिए न्यूनतम आर्हता हासिल करने वाला अनुपात आज से और भी कम हो जाएगा क्योंकि इस नीति को निष्कासन की दर को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए ही रचा गया है।

2.3 बाल श्रम

दुनिया के किसी भी देश ने शिक्षा को अनिवार्य किये बग़ैर बाल श्रम को ख़त्म करने में कामयाबी नहीं पाई है। राज्य का यह अनिवार्यतः दायित्व है कि वह बच्चों को आर्थिक शोषण और माता-पिता की ग़रीबी की मजबूरी भरी परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करे। चाहे वह 1872 का जापान रहा हो या दूसरे विश्वयुद्ध के बाद दोनों कोरिया, ताइवान और चीन, इन सभी एशियाई देशों ने जब यह बीड़ा उठाया तो वो बेहद ग़रीब ही थे। उनका विकास राज्य की इस वैधानिक ज़िम्मेदारी को कामयाबी से निभाने पर आधारित था कि सभी बच्चों के स्कूल जाने को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में उचित रूप से स्थित स्कूल मुहैया कराए जाएं। इसके विपरीत, भारत सरकार की प्रस्तावित शिक्षा की नई राष्ट्रीय नीति (एनईपी 2016/2018) के विभिन्न ड्राफ्ट इस रणनीति के खिलाफ़ जाते हैं। पहले-से ही गड़बड़ शिक्षा अधिकार अधिनियम को संशोधित करके 'वैकल्पिक' स्कूलों को अधिनियम में दिए गए निम्नस्तरीय ढांचागत और शिक्षक-संबंधी मानकों से भी 'छूट' दे दी जाएगी; 'फेल न करने' की नीति को प्राथमिक स्तर (कक्षा 5) तक सीमित कर दिया जाएगा और आदिवासी व अन्य अभिवंचित इलाकों के चिन्हित वर्गों के बच्चों को 'निम्न आय अर्जित करने वाले कौशल' प्रदान करने के लिए प्रारंभिक पाठ्यचर्या को 'वोकेशनल/व्यावसायिक' स्वरूप दे दिया जाएगा। कौशल विकास कार्यक्रम और हाल में संशोधित बाल श्रम क़ानून के साथ, जोकि अब 14 साल तक के बच्चों को 'पारिवारिक उद्यमों' में काम करने की इजाज़त देता है, यह 'शिक्षा' नीति जाति-आधारित पेशों को फिर से प्रतिष्ठित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उत्पीड़ित व हाशिए पर धकेले गए तबकों के बच्चों का बचपन हमेशा मजदूरी को जबरन अभिशप्त रहे।

2.4 उच्च शिक्षा: भविष्य की एक झलक

जैसा कि भाग 2.1 में दिखाया गया था, शिक्षा के उद्देश्य में ही बदलाव करने के लिए ज्ञान-मीमांसीय हमले ने शिक्षा की शब्दावली को बदलकर रख दिया है। उच्च शिक्षा में शिक्षक ज्ञान का 'उत्पादक' होगा और विद्यार्थी को महज़ एक 'उपभोक्ता' होने तक सीमित कर दिया जाएगा। कॉलेज/विश्वविद्यालय 'ज्ञान प्रदाता' होंगे और उप-कुलपति स्टॉक-एक्सचेंज पर पंजीकृत ज्ञान-प्रदाता कॉरपोरेट घरानों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की तरह काम करेंगे। इन कॉरपोरेट घरानों की फ़ीस सट्टा बाज़ार में इनकी कीमत (एनएवी) के सीधे अनुपात में होगी, जो कि उनके द्वारा उत्पादित बाज़ार में बेचे गए और पेटेंट-प्राप्त ज्ञान के मूल्य पर निर्भर करेगी।

सार्वजानिक व निजी क्षेत्रों में 10-10 के हिसाब से कुल मिलाकर 20 'उत्कृष्टता के संस्थान' प्रस्तावित करके नई शिक्षा नीति (एनईपी-2016/2018) ने पहले ही भारत में विशालतम 'ज्ञान कॉर्पोरेशन' खड़े करने की योजना पेश कर दी है। इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक संस्थान को 1,000 करोड़ रुपये का सरकारी अनुदान मिलना तय है जिसके लिए उच्च-स्तर पर दांव-पेच लगने भी शुरु हो गए हैं (मगर 'बेचारी/ग़रीब' सरकार के पास स्कूलों में ब्लैकबोर्ड, चाक या टाट-पट्टी उपलब्ध कराने के लिए पैसे नहीं हैं)। इन 'उत्कृष्टता के संस्थानों' को पीपीपी के तहत संसाधन आबंटित करने के बावजूद, सामाजिक न्याय के प्रावधान इतने अस्पष्ट हैं कि जब तक कि वो सीट के लिए बाज़ारी कीमत चुकाने के लिए तैयार न हों, इसकी संभावना कम ही है कि उत्पीड़ित तबकों के लिए इनके दरवाजे कभी खुलेंगे भी। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उस महामंत्र के अनुसार ही है, जो कहता है, 'पढ़ो, अगर दाम चुका सकते हो, वर्ना तुम्हारे लिए हमारे पास कौशल की दुकानें हैं। इससे पहले कि ये 'उत्कृष्टता के संस्थान' काम करना शुरु करेंगे, वर्तमान में अनुदान-प्रदान व विनियमन करने की सभी वैधानिक संस्थाओं (यूजीसी व एमसीआई से लेकर एनसीटीई व एआईसीटीई तक) को समेटकर, विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ-गैटस् के आदेशों के तहत ऐसे 'उच्च शिक्षा आयोग' को गठित किया जायेगा, जो अति-सशक्त होगा और जिसकी अध्यक्षता या तो प्रधानमंत्री के पास रहेगी या वो सिर्फ उनके कार्यालय के प्रति जवाबदेह होगा। शिक्षा के समवर्ती

सूची में होने के बावजूद, वैश्विक पूंजी की सहूलियत के लिए यह विशिष्ट 'एकल खिड़की स्वीकृति' की प्रक्रिया संसद व विधानसभाओं के नियंत्रण से परे लेकिन डब्ल्यूटीओ-गैट्स के खाके के अनुसार होगी। इस संदर्भ में यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि वर्ष 2015 में अभाशिअम के नेतृत्व में चले अभियान के तहत अनेकों अखिल-भारत विद्यार्थी व शिक्षक संगठनों द्वारा की गई अपील के बावजूद वर्तमान केंद्र सरकार ने डब्ल्यूटीओ-गैटस् के पटल से उच्च शिक्षा के 'प्रस्ताव' को वापस लेने से इंकार कर दिया था!

कहां गई भारत की संप्रभुता, कहां गया भारत का संविधान और गणतंत्र! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आप सुन रहे हैं, न!! दलितों को 1935 में दिए गए आपके उद्घोष को याद करते हुए, आज 82 साल बाद हम आपसे आग्रह करते हैं कि अभाशिअम में हम सबको और साथ ही भारत के सभी देशप्रेमी, संवेदनशील व सरोकार रखने वाले और संघर्षशील नागरिकों के लिए इसे फिर से ज़ारी करें –

शिक्षित हो! संघर्ष करो!! संगठित हो!!!

3.0 जनांदोलनों की शिक्षा-संबंधी मांगें

नई शिक्षा नीति 2016/18 के ज़रिए नवउदारवादी और ब्राह्मणवादी ताकतों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर जिस तरह का बहु-आयामी हमला किया है उसे देखते हुए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जनांदोलन अपनी प्रमुख केंद्रीय मांगों का एक परचा तैयार करें। मांगों का यह परचा एक ओर संविधान-सम्मत शिक्षा के लिए वैकल्पिक दृष्टि की रूपरेखा को दर्ज़ करेगा। दूसरी ओर, यह परचा भारत की शिक्षा व्यवस्था को विकृत करने/तबाह करने/बेचने के इरादे से रची गई शिक्षा के कॉरपोरेटीकरण, केंद्रीकरण और सांप्रदायिकीकरण की नीति को खारिज करने हेतु जन-दबाव बनाने के लिए काम करेगा। उपरोक्त दोनों श्रेणियों की मांगों को लेकर अभाशिअम पहले से ही संघर्षरत है। इस परचे के ज़रिए इन मांगों को न केवल देशव्यापी बनाया जाएगा वरन् साथ-साथ इसे समाज के विभिन्न तबकों को दीघर मुद्दों पर लामबंद करने वाले अन्य जन संगठनों के एजेंडे में भी शामिल करवाने की पुरजोर कोशिश रहेगी। ये मांगें प्राथमिक तौर पर केंद्र, राज्य और केंद्र-शासित क्षेत्रों की सरकारों को संबोधित करेंगी लेकिन साथ-साथ यह परचा विभिन्न राजनीतिक दलों और केंद्रीय व राज्य-स्तरीय वैधानिक संस्थाओं के लिए ज्ञापन तैयार करने का आधार भी देगा।

नीचे दी गयी मांगें न सिर्फ संविधान के अनुरूप हैं बल्कि उन्हें कैसे हासिल किया जा सकता है उसकी रणनीतिक रूपरेखा भी यहां प्रस्तुत की गई है (विस्तृत मांगों के लिए परिशिष्ट - एक देखें, जो हमारे सदस्य-संगठनों द्वारा अपने-अपने इलाकों के गांव/कस्बे/शहर/ जिले /राज्य-स्तर पर किए गए संघर्षों पर आधारित हैं और जो स्थानीय स्तर पर लोगों को लामबंद करने का ठोस आधार बन सकती हैं) :

3.1 बारहवीं कक्षा तक की समान स्कूल व्यवस्था को समाहित करते हुए 'केजी से पीजी' तक समान शिक्षा व्यवस्था

(क) 'पूर्व प्राथमिक से बारहवीं कक्षा तक' पड़ोसी स्कूल के सिद्धांत पर आधारित पूरी तौरपर राज्य द्वारा वित्त-पोषित व मुफ़्त ऐसी 'समान स्कूल व्यवस्था' को स्थापित करने के लिए सभी ज़रूरी सामाजिक-राजनीतिक और वैधानिक उपाय अपनाएं जो बहुभाषिक संदर्भ में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा की बुनियाद पर खड़ी हो; जो गैर-बराबरियों को बाहर करे व विविधताओं को शामिल करे; जो समानता और सामजिक न्याय को बढ़ावा दे; और जो संवैधानिक खाके के अनुसार लोकतांत्रिक, संघीय, और सहभागिता के सिद्धांत पर संचालित हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले कदम बतौर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले (अगस्त 2015) को एक केंद्रीय अधिनियम के ज़रिये समूचे देश में एक साथ लागू किया जाए।

> इस अधिनियम के तहत सभी राज्यों और केंद्र-शासित क्षेत्रों के साथ आवश्यक सलाह-मशविरा करते हुए और उक्त न्यायिक मूल मंशा को आगे बढ़ाते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि वे सभी लोग जो किसी-न-किसी रूप में सरकारी कोष से लाभान्वित होते हैं[2] उन्हें यानी मुख्यमंत्री-मंत्रियों व विधायकों, आईएएस-आईपीएस अफ़सरों से लेकर चपरासी व ठेकेदारों-सलाहकारों तक, अपने बच्चों को सबसे नज़दीक के सरकारी स्कूल में भेजने की अनिवार्यता होगी और साथ ही इन बच्चों को (i) राज्य द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया व (ii) अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने पर उनकी आर्हता/योग्यता के अनुरूप उपयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते कि उन्होंने कक्षा बारहवीं तक की (या उसके समतुल्य) शिक्षा सरकारी स्कूलों/संस्थानों में पूरी की हो।

(ख) आगे, 'समान स्कूल व्यवस्था' की उपरोक्त अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए 'केजी से पीजी' तक[3] पूरी तरह राज्य द्वारा वित्त-पोषित मुफ़्त 'समान शिक्षा व्यवस्था' स्थापित की जाए। पड़ोसी संस्थान में प्रवेश की बाध्यता न रखते हुए बारहवीं कक्षा के बाद उच्च

[2]वेतन-मानदेय, ठेका व सलाहकार की फ़ीस आदि शामिल हैं।

[3]इसमें सभी चरणों की उच्च शिक्षा यानी मेडिकल – इंजीनियरिंग – मैनेजमेंट – कानून – अध्यापक शिक्षण (बी.एड./एम.एड.) जैसे प्रोफ़ेशनल कोर्स और एम. फ़िल व पी. एच. डी. जैसे शोध-आधारित कोर्स शामिल हैं।

शिक्षा के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जाएं। साथ में, सामाजिक न्याय के एजेंडा का आवश्यक समर्थन हो (यथा, दाखिले में आरक्षण, छात्रावास की सुविधा, भेदभाव-मुक्त माहौल, कमी-पूर्ति के लिए विशेष अध्यापन, अधुनातन पुस्तकालय और प्रयोगशाला की सुविधा, इन्टरनेट समेत कंप्यूटर की निरंतर उपलब्धता आदि) ताकि सभी विद्यार्थी समानता व सामाजिक न्याय की बुनियाद पर ज्ञान हासिल करते हुए अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सकें।

3.2 सन् 1966 से अब तक के संचयी घाटे की भरपाई के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का आबंटन

तपस मजुमदार समिति की रिपोर्ट, 2006, की सिफ़ारिशों के मद्देनज़र वर्ष 2018 से राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कम से कम 10 फीसदी प्रतिवर्ष 'पूर्व-प्राथमिक से उच्च शिक्षा' पर खर्च करने के लिए आबंटित किया जाए ताकि वर्ष 1966 (कोठारी आयोग की रिपोर्ट के वर्ष) से अब तक के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर खर्च करने की सिफ़ारिश को पूरा नहीं करने के चलते वर्ष 2017 तक के 51 साल के संचयी घाटे की जल्द-से-जल्द भरपाई की जा सके।

3.3 बहुभाषी माहौल में 'शिक्षा के माध्यम' के रूप में मातृभाषा

इस सार्वभौमिक अवधारणा को ध्यान में रखते हुए कि बहुभाषी माहौल (बहुभाषीयता के मायने वे भाषाएं हैं जो बच्चों के परिवारों, रिश्तेदारों व पड़ोस में बोली जाती हैं।) में बच्चों की मातृभाषा ही शिक्षाशास्त्रीय दृष्टि से उनका सबसे कारगर '*शिक्षा* का माध्यम' ('*निर्देश* का माध्यम' नहीं) होती है। इसलिए भारत की भाषाई-विविधता के मद्देनज़र बच्चों की मातृभाषा को 'पूर्व प्राथमिक से उच्च शिक्षा' के स्तर तक सभी विषयों में सीखने के माध्यम के रूप में अपनाना एकमात्र ऐतिहासिक विकल्प होगा। **इस नीति की सफलता के लिए ज़रूरी है की इसे पूरे देश में सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में एक साथ लागू किया जाए।** 'समान स्कूल व्यवस्था' में बच्चों के बहुभाषिक परिवेश के साथ उनकी मातृभाषाओं की विविधता का जीवंत रिश्ता एक महत्वपूर्ण खासियत होगी। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के निहायत ज़रूरी समर्थन के साथ ब्रेल और सांकेतिक भाषाएं हर हाल में शामिल रहेंगी। बहुभाषिक परिवेश में मातृभाषा को शिक्षा के सबसे सशक्त माध्यम के रूप में मान्यता मिली हुई है चूंकि यह बच्चों में ऐसी क्षमता पैदा करती है कि वे (क) चिंतन व विश्लेषण करते हुए अगला कदम उठाएं; (ख) आधुनिक ज्ञान अर्जित करें, उसको आत्मसात करें और उसके प्रति आलोचनापरक नज़रिया रखते हुए उसमें लाएं; (ग) अंग्रेजी समेत अन्य भाषाएं सक्षमता से सीखें; (घ) सामाजिक-सांस्कृतिक और साहित्यिक रनेसां (पुनर्जागरण) को प्रोत्साहित करें; (च) विमुखीकरण की ताकतों से मजबूती से जूझ सकें ताकि खुद को हाशिए पर धकेले जाने रोक सकें और (छ) उत्पीड़न पर सवाल उठाएं, प्रतिरोध करें और मुक्ति का रास्ता तलाशें।

3.4 निजीकरण और बाज़ारीकरण की नीति को वापस लो और पीपीपी को उसके हर रूप में खत्म करो

(क) ऐसे सभी कानूनों व नीतियों और कार्यक्रमों व योजनाओं को वापस लो जो शिक्षा के निजीकरण-बाज़ारीकरण और ज्ञान के जिंसीकरण को बढ़ावा/समर्थन देती हैं। साथ ही, केंद्र और राज्यों व केंद्र-शासित क्षेत्रों में ऐसे सभी जरूरी कानूनी व अन्य प्रावधान खड़े किए जाएं ताकि 'पूर्व प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक' के सभी निजी शिक्षण संस्थानों का कड़ाई से नियमन किया जा सके, खासतौर से उनके हिसाब/ऑडिट के तौर-तरीकों व मुनाफ़े का प्रबंधन; आयकर व अन्य संबंधित कानूनों का पालन करना; शैक्षिक और गैर-शैक्षिक कर्मियों को दिए जाने वाले वेतन का नियमन; फीस में बढ़ोत्तरी; छात्रों और अभिभावकों को निर्धारित बोर्ड द्वारा तय की गई किताबों के बजाए दुकानों से अन्य किताबें तथा यूनिफ़ॉर्म, स्टेशनरी, खेल व संगीत-संबंधी उपकरण, खान-पान की सामग्री आदि खरीदने के लिए मजबूर करना आदि।

(ख) यह सुनिश्चित करो कि सभी तरह के सार्वजनिक संसाधनों (सांसद व विधायक राशि समेत) का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सरकारी शिक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए ही किया जाए और सार्वजनिक धन को पीपीपी के नाम पर निजी संस्थानों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाओ। मसलन, शिक्षा के अधिकार कानून 2009 की आड़ में 25% प्रतिशत बच्चों के दाखिले के लिए निजी स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति, चाहे इसके लिए संबंधित कानूनों में संशोधन क्यों न करवाना पड़े।

3.5 राज्य द्वारा वित्त-पोषित उच्च शिक्षा-संस्थानों को अकादमिक स्वायत्तता प्रदान करो, फीस में बढ़ोत्तरी वापस लो और फ़ैकल्टी में उत्पीड़ित जातियों का वैधानिक प्रतिनिधित्व बरकरार रखो

(क) राज्य द्वारा वित्त-पोषित उच्च शिक्षा के संस्थानों व विश्वविद्यालयों के वित्त-पोषण की ज़िम्मेदारी बरकरार रखते हुए सरकार उन्हें अकादमिक स्वायत्तता दे।

(ख) गैर-लोकतांत्रिक ढंग से थोपे गए कॉरपोरेट हित साधने वाले शिक्षा विरोधी तमाम तथाकथित 'सुधार' वापस लिए जाएं, मसलन, सेमस्टरीकरण, क्रेडिट आधारित चयन व्यवस्था (सीबीसीएस), बजट कटौती और फीस में कई गुना बढ़ोत्तरी, 30:70 फ़ंडिंग फ़ार्मूला, राज्य द्वारा वित्त-पोषित उच्च शैक्षिक संस्थानों को बाज़ार से कर्ज़ लेने के लिए मजबूर करना, स्तरीकृत स्वायत्तता, शिक्षक पदों पर नियुक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधानों में शिथिलीकरण व अन्य छेड़छाड़, सामाजिक न्याय के प्रावधानों जैसे, वज़ीफ़े, फ़ेलोशिप, हॉस्टल सुविधा आदि में कटौती-उन्मुख या पूरी तौर पर नकारना और बाज़ार रैंकिंग और मान्यता की व्यवस्था करो।

(ग) आईआईटी जैसे राज्य द्वारा वित्त-पोषित उच्च शिक्षण संस्थानों समेत अन्य सभी शैक्षिक संस्थानों में, खासतौर से विगत 4-5 सालों में, अंधाधुंध तरीके से बढ़ाई गई फ़ीसों को वापिस किया जाए।

(घ) राज्य द्वारा वित्त-पोषित उच्च शैक्षिक संस्थानों में सामाजिक-आर्थिक ज़रूरतों और युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप सीटें बढ़ाई जाएं।

(च) उच्च शिक्षा में प्रगतिशील दाखिला नीति और समतामूलक भागीदारी का संस्थानीकरण किया जाए ताकि समाज के उत्पीड़ित तबकों (वर्ग, जाति, धर्म, जेंडर, विकलांगता, अंचल और भाषा के आधार पर) की न्यून-भागीदारी, हाशियाकरण और क्षेत्रीय विषमताओं को खत्म किया जा सके। जिसके लिए सच्चर समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार 'विविधता सूचकांक' को अनिवार्यतः लागू किया जाएऔर इसे उच्च शैक्षिक संस्थानों के अनुदान से जोड़ा जाए।

ऊपर ज़िक्र किए गए नीतिगत तौर-तरीकों में से कई ऐसे हैं जो देश के 85% से अधिक युवाओं को जो मुख्यतः बहुजन हैं, शिक्षा से निष्कासित करते हैं, इनका पुरजोर प्रतिरोध किया जाना चाहिए।

3.6 नियुक्तियों में ठेकाकरण खत्म हो और वर्तमान नियुक्तियों को नियमित करो, छात्र-शिक्षक अनुपात का उचित स्तर सुनिश्चित करो और शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक काम लेना बंद करो

(क) स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों व गैर-शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्तियों में ठेकाकरण खत्म करके सम्मानजनक सेवा-शर्तों के साथ उनका नियमितीकरण किया जाए।

(ख) गुणवत्ता के साथ समझौता किए बगैर ऐसे अनुबंधित कर्मियों को जिन्होंने वांछित योग्यता और प्रशिक्षण हासिल कर लिया है उनकी नियुक्तियों के नियमितिकरण को प्राथमिकता देने के लिए यथोचित कदम उठाए जाएं। ।

(ग) शिक्षा के सभी चरणों में छात्र-शिक्षक अनुपात को यथोचित करने के लिए तत्काल ज़रूरी कदम उठाए जाएं, साथ ही पर्याप्त संख्या में गैर-शैक्षणिक कर्मियों की भी नियुक्तियां की जाएं ताकि शिक्षकों को हर तरह के गैर-शैक्षणिक काम से पूर्णतः मुक्त रखा जा सके। यह भी ज़रूरी है कि संसद में संशोधन के द्वारा शिक्षा अधिकार कानून 2009 के खंड 27 को हटाने की दिशा में प्राथमिकता बतौर प्रयास शुरू किए जाएं (जिसके तहत सरकारी शिक्षक पर विविध गैर-शैक्षणिक कार्यों की कानूनी जवाबदेही थोपी गई है, जबकि निजी स्कूल का शिक्षक बिना किसी व्यवधान केअध्यापन पर ध्यान दे सकता है)।

3.7 स्कूलों को बंद करना/विलय करना/संयोजन रोको और 'सतत व सर्वांगीण मूल्यांकन' (सीसीई) के साथ पांचवीं कक्षा के बाद भी बच्चों को 'एक ही कक्षा में न रोकने' की नीति जारी रखो एवं बच्चों की अंतर्निहित संभावनाओं को उजागर करने के लिए यथोचित समर्थक हालात सुनिश्चित करो

(क) प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को तथाकथित 'तर्कसंमतिकरण' के नाम पर बंद करना/विलयन/संयोजन या उन्हें बेचना/नीलाम करना/एनजीओकरण करना जैसे कदमों पर तुरंत रोक लगाई जाए जिनकी वजह से शिक्षा की उपलब्धता घटती जा रही है।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूलों में आवश्यक अधोसंरचनात्मक सुविधाएं और शैक्षिक व गैर-शैक्षिक स्टाफ़ आगे भी न सिर्फ सरकारी स्कूलों में उपलब्ध रहे बल्कि उनकी गुणवत्ता में भी लगातार सुधार होता रहे।

(ग) शिक्षा अधिकार कानून, 2009 के तहत पांचवीं कक्षा के बाद 'एक ही कक्षा में रोकने' की नीति को रद्द करने के फैसले को तुरंत वापिस लिया जाए। यह फैसला करोड़ों बच्चों को शिक्षा व्यवस्था से निष्कासित कर सस्ते मज़दूर बनाने की 'कौशल की दुकानों' में धकेल देगा या फिर जाति-आधारित पारिवारिक पेशे में लौटने के लिए मजबूर कर देगा। इसके बजाए बच्चों की अधिकतम अंतर्निहित संभावनाओं के विकास के अवसर मुहैय्या करने निरंतर व सर्वांगीण मूल्यांकन (सीसीई) की मूल मंशा को लागू करने और इसे सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के रूप में अपनाए जाने के लिए स्कूल के भीतर और बाहर उसके लिए अपेक्षित समर्थक हालात सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाए ।

(घ) बच्चों में लोकतांत्रिक नागरिक और समाज के ज़िम्मेदार सदस्य के रूप में उनकी संभावनाओं के अधिकतम विकास के लिए सरकार द्वारा उनके घर व स्कूल और पड़ोस में ज़रूरी सामाजिक-आर्थिक हालात और शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक जवाबदेही पूरी की जाए ताकि सीखने-सिखाने की गुणवत्ता समृद्ध हो।

3.8 कोचिंग की महामारी पैदा करनेवाली तथा बराबरी और सामाजिक न्याय को नकारने वाली 'नीट' और अन्य केंद्रीकृत प्रवेश-परीक्षाएं बंद करो, शिक्षा में राज्यों की समवर्ती भूमिका को खोखला करना बंद करो

(क) पेशेवर (प्रोफ़ेशनल) शिक्षा के क्षेत्र में 'नीट' या ऐसी अन्य केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षाएं बंद की जाएं क्योंकि ये कोचिंग सेंटर जैसे 'जाली' तालीमी धंधे को बढ़ावा देती हैं। इस तरह ये परीक्षाएं समूचे भारत के स्तर पर उच्च वर्गों-जातियों का सामाजिक-आर्थिक और

भाषाई वर्चस्व बढ़ाती है और बाज़ार द्वारा नियंत्रित एकरूपी पाठ्य-पुस्तकें और आकलन के लिए एक-सरीखे मापदंडों व निर्रथक 'ओएमआर' ('ऑप्टिकल मार्क्स रेकिगनेशन') प्रणाली का इस्तेमाल कर ज्ञान–संबंधी और भाषागत विविधता का हाशियाकरण करती हैं।

(ख) इस तरह के केंद्रीकृत परीक्षण की व्यवस्था समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के साथ जबरदस्त भेदभाव बरतती है, क्योंकि इसमें ऐसे क्षेत्रों के लिए कोई प्रावधान नहीं होता जहां स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बेहद खराब है, और इनसे बहुजन समाज के विद्यार्थियों छात्रों को अनुच्छेद 14, 15(1), और 16 में दिए गए मौलिक अधिकारों की उपेक्षा होती है।

(ग) इस तरह के परीक्षण को केंद्रीकृत रूप से सब पर थोपना संवैधानिक संघीय ढांचे और शिक्षा के क्षेत्र में संविधान के तहत राज्य व केंद्र-शासित क्षेत्रों की समवर्ती भूमिका का उल्लंघन है। तमिलनाडु विधान सभा में पारित दो कानून इसके सटीक उदाहरण हैं, जिनके द्वारा मेडिकल कालेजों के दाखिले को 'नीट' की अनिवार्यता से बाहर रखने की मांग की गई थी, पर दो साल से वे राष्ट्रपति की सहमति का इंतज़ार कर रहे हैं।

(घ) इस नीति का घोषित उद्देश्य तो देश भर में चयन और परीक्षण के मापदंडों का मानकीकरण करना है जबकि व्यापक तौर पर देशभर के विभिन्न राज्यों की आन्तरिक और अंतर-राज्यीय शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त गैर-बराबरी व भेदभाव को यह पूरी तरह नज़रअंदाज़ करती है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? दाखिले के पैमानों का मानकीकरण मेडिकल जैसे पेशे की उतनी मांग नहीं है, जितनी कि कॉरपोरेट निवेशकों और बाज़ार की है जो एक सरीखे उत्पादों – डॉक्टरों, इलाज और उपकरणों – के सहारे मुनाफ़ाखोरी करते हैं और इसीलिए वे विविधता व भिन्नता से सिंचित आलोचनात्मक चिंतन से खौफ़ खाते हैं। इसमें निहित है कि भारतीय युवाओं में से 85% जिनमें तमाम वंचित जातियां व वर्ग खासतौर से इन तबकों की महिलाएं, मेडिकल शिक्षा हासिल करने से बाहर (निष्कासित) कर दिए जाते हैं। इस वजह से मेडिकल पेशे में ब्राम्हणवादी सोच व दबदबे को बढ़ावा मिलता है और यह पेशा उच्च जातियों व वर्गों के लिए कुलमिलाकर 'आरक्षित' हो जाता है।

3.9 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) – गैट्स के पटल पर रखे गए उच्च शिक्षा के प्रस्ताव वापस लो

उच्च शिक्षा को 'कारोबारी सेवा' बनाने के लिए डब्ल्यूटीओ को दिए गए प्रस्ताव को वापस लिया जाए क्योंकि इसके तहत उच्च शिक्षा पर हमेशा के लिए गैट्स का नियंत्रण हो जायेगा जो देश की संप्रभुता को बेहद गंभीर नुकसान पहुंचाते हुए सामाजिक न्याय के एजेंडे का खात्मा, ज्ञान का जिंसीकरण, सार्वजनिक धन का जबरन निजी हाथों को हस्तांतरण (पीपीपी) और मुनाफ़ाखोरी के लिए उच्च शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) करवाता है।

3.10 मुक्तिदायी शिक्षा के लिए 'केजी से पीजी' तक की पाठ्यचर्या का पुनर्गठन करो और इसे कौशल-विकास तक सीमित कर देने का प्रतिरोध करो

(क) विविधता के प्रति सम्मान, वैज्ञानिक मानस के विकास और लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक, न्यायशील, मानवीय और प्रबुद्ध सामाजिक विकास के संवैधानिक नज़रिए को पुख्ता करने के मकसद से मुक्तिदायी शिक्षाशास्त्र के मुताबिक तार्किक शिक्षण पद्धतियों को संभव बनाने के लिए 'केजी से पीजी' तक पाठ्यचर्या का पुनर्निर्माण किया जाए।

(ख) सभी सांप्रदायिक, रूढ़िवादी, पितृसत्तात्मक, संकीर्णतावादी, अंधविश्वासी, गैर-वैज्ञानिक और विकलांगता-विरोधी क्रिया-कलापों व प्रक्रियाओं को शिक्षण संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षण पद्धतियों से निकाल बाहर करें (अध्यापक शिक्षण के संस्थानों से भी) और व्यवस्थित रूप से इनकी जगह आलोचनात्मक चिंतन, ऐतिहासिक चेतना, अन्वेषण, तर्क, विविधता और बहुलता की सराहना और समानता व मानवीय गरिमा के प्रति सम्मान को पुख्ता करनेवाले क्रिया-कलाप व पद्धतियां स्थापित की जाएं।

(ग) शिक्षा को तथाकथित कौशल विकास के कार्यक्रम से जोड़ने के नीति आयोग के हालिया प्रस्ताव को तुरंत वापस लिया जाए क्योंकि मुक्तिदायी पाठ्यचर्या और शिक्षण पद्धतियों का ऊपर खंड 3.10 (क) व (ख) में पेश नज़रिया शिक्षा को कॉरपोरेट-समर्थक, जन-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी 'राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन' के वैचारिक खाके के मुताबिक औजार बनाने की छूट नहीं देता जो वैश्विक वित्तीय पूंजी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 'गुलाम और अर्ध-कुशल या कुशल कामगारों की फ़ौज तैयार करे।

4.0 सांगठनिक परिप्रेक्ष्य

अभाशिअम के सहयोगी व सदस्य संगठन 22 राज्यों और केंद्र-शासित क्षेत्रों से हैं जिन्हें मोटे तौरपर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है, यथा (1) शिक्षक संगठन, (2) विद्यार्थी संगठन व (3) शैक्षिक अधिकार समूह। इसलिए एक राष्ट्र-व्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए ज़रूरी है कि अभाशिअम विभिन्न राज्यों और केंद्र-शासित क्षेत्रों में आंदोलनों को मजबूत करे। या यूं कहें कि अभाशिअम की ताकत अपने सहयोगी- व सदस्य- संगठनों की ताकत में ही निहित है। बेशक, हरेक इलाके में अन्य हमराही संगठनों को इस प्रक्रिया में जोड़ने की भी पुरजोर कोशिश करनी होगी। आंदोलन की इस कार्ययोजना की रूपरेखा के केंद्रीय तत्व के मुताबिक

अभाशिअम के नज़रिए में विभिन्न राज्यों व केंद्र-शासित क्षेत्रों में समान सोच वाले संगठनों के साथ मिल कर काम करने के सवाल को उच्च प्राथमिकता देनी होगी। यह भी ज़रूरी है कि एक देशव्यापी आंदोलन के रूप में अभाशिअम विभिन्न संघर्षशील ताकतों को एकजुट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को और अधिक धारदार बनाने के लिए एक साझे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को लगातार विकसित, विस्तारित और समृद्ध करता रहे। इसके साथ ही अभाशिअम को एक ऐसी वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था के पक्ष में व्यापक फलक पर साझे नज़रिए के निर्माण में भी भूमिका निभानी होगी जिसमें भारतीय समाज को ब्राम्हणवादी जाति व्यवस्था और पितृसत्ता की ऐतिहासिक जंजीरों से मुक्त करने की संभावना हो।

इस स्पष्टता के साथ चलिए, कुछ और निहितार्थों की सूचीबद्ध करें :

(क) अभाशिअम को हरेक राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्र में, वहां के सामाजिक-राजनीतिक हालात और हरेक राज्य के अंदर विभिन्न भू-सांस्कृतिक अंचलों के मद्देनज़र सभी संघर्षशील संगठनों के बीच आपसी समन्वय संभव बनाने की भरसक कोशिश करनी होगी।

(ख) हरेक राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्र में एक ऐसी टीम का गठन करना होगा जिसे विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं (सिवाय हिंदू राष्ट्र की विचारधारा के) के व्यापक फलक पर स्वीकार्यता मिल सके और जिसके सदस्य अपनी ऊर्जा व समय का एक अहम हिस्सा उपर्युक्त समन्वय का काम कारगर ढंग से संचालित करने में लगाने को तैयार हों।

(ग) हरेक राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्र में ऐसे मुद्दों को चिह्नित करने में सहयोग करना जिन पर सभी संगठन मिल कर काम करना चाहेंगे ताकि एक साझा आंदोलन खड़ा किया जा सके ।

(घ) यह अभाशिअम की ज़िम्मेदारी होगी कि वह अपनी अखिल भारत टीम में से हरेक राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्र को ऐसे उपयुक्त लोग उपलब्ध कराए जो भविष्य की शिक्षा के प्रति एक साझे नज़रिए को लेकर गहरी समझ विकसित करने में सहयोग कर सकें और आंदोलनों को मजबूत करने की रणनीति की समझ को पैना कर सकें – राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्रों में ज़मीनी स्तर से उठने वाली मांगों और अखिल भारत या राज्य-स्तर के कार्यक्रमों की ज़रूरतों दोनों के मद्देनज़र ऐसे चयनित व्यक्ति को उस राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्र की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करके उन्हें समझना होगा ताकि वे आंदोलन में प्रभावी भूमिका निभा सकें।

(च) राज्य-स्तरीय समन्वय और अभाशिअम के बीच कारगर संप्रेषण की कड़ी स्थापित करनी होगी ताकि ज़मीनी स्तर के संघर्षों से उभरने वाले विचार, अनुभव और रिपोर्टें आदि अभाशिअम के न्यूज़लेटर, वेबसाइट, सोशल मीडिया अभियान, इन्टरनेट ई-समूहों और 'आंकड़ों के संकलन व विश्लेषण प्रकोष्ठ' तक पहुंचती रहें जहां से इनको देशभर से साझा किया जा सके।

5.0 राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्रों में सलाह-मशविरा और आंदोलन खड़ा करना

जैसाकि इससे पूर्व खंड 4.0 में रेखांकित किया गया है, हमें राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र-स्तरीय आंदोलनों को प्राथमिकता बतौर सक्रिय करने के लिए वहां संघर्षरत अपने सहयोगी- व सदस्य- संगठनों को साथ लेना होगा और, जहां भी संभव हो हमराही संगठनों या उनकी स्थानीय इकाईयों/शाखाओं को भी इस प्रक्रिया में जोड़ना होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हम सचेत रूप से अखिल भारत विद्यार्थी संघर्षों की परिषद् (एआईसीएसएस) के सदस्य संगठनों को (जहां भी वे मौजूद हों) साथ लिया जाए। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि वे अखिल भारत विद्यार्थी संगठन जो पहले से ही अभाशिअम के सदस्य रहे हैं उनको शुरू से ही हर राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्र की इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। यहां इस मकसद के लिए जो पद्धति प्रस्तावित की जा रही है उसके तहत एक राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्र में एक से अधिक सलाह-मशविरे आयोजित करने होंगे। यह इस पर निर्भर करेगा कि उस राज्य में आंदोलन किस चरण पर है और वहां जनसहभागिता को अधिकतम करने के लिए विभिन्न भू-सांस्कृतिक अंचलों में चरणबद्ध सलाह-मशविरे आयोजित करने की कितनी ज़रूरत है।

कुछ राज्यों में पहले से ही एक प्रभावी समन्वय तंत्र काम कर रहा है जिसके तहत कई राज्य स्तरीय संगठन एक साझे मंच पर इक्टठे हो गए हैं। स्वाभाविक है कि इन राज्यों में हम राज्य स्तरीय सलाह-मशविरे की प्रक्रिया पहले से मौजूद समन्वय मंचों से ही शुरू करेंगे। लेकिन बहुतांश राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों में ऐसे मंच या तो अस्तित्व में नहीं आए हैं या केवल नाम के लिए हैं। इस दूसरी श्रेणी के राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों में हमारा सबसे ज़रूरी कदम होगा कि हम हरेक राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्र में 5-6 व्यक्ति निम्नांकित कसौटी पर चिन्हित करें -

ऐसे व्यक्ति जो

- प्रस्तावना, खंड 1.0 व 2.0 में पेश नीतिगत परिप्रेक्ष्य से विचारधारात्मक स्तर पर मोटे तौर पर सहमत हों;

- खंड 3.0 में वर्णित दस सूत्रीय मांगों या उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मांगों के पक्ष में लड़ने के मकसद से एक जीवंत शिक्षा-आंदोलन खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध हों;
- गांधीवादी, समाजवादी, फुले-पेरियार-आंबेडकरवादी और विभिन्न राजनितिक रूझानों वाले मार्क्सवादी संगठनों जैसे व्यापक राजनीतिक फलक (सिवाय हिंदू राष्ट्र की राजनीति के) पर स्वीकार्य हों;
- जो अगले नौ महीनों के दौरान अपने समय और ऊर्जा का एक अहम हिस्सा स्वेच्छा से उपरोक्त को प्रभावी बनाने के लिए तैयार हों।

इन व्यक्तियों को सम्बंधित राज्य में समन्वय के काम की पहलकदमी और नेतृत्व करने के लिए बीजक समूह (कोर ग्रुप) के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। यह समूह उपरोक्त प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए या तो एक स्वतंत्र समूह के रूप में काम कर सकता है या फिर राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्रों के स्तर पर पहले से ही सक्रिय किसी समन्वय समिति/मंच में शामिल होकर काम कर सकता है। यह समन्वय समिति/मंच नवगठित बीजक समूह (कोर ग्रुप) के साथ मिलकर इस कार्ययोजना के तहत सांगठनिक गतिविधियों, लामबंदी व आंदोलन को शुरू से ही आगे बढ़ाते हुए फरवरी 2019 में दिल्ली में इसे चरम अंजाम तक पहुंचाने और उसके बाद तक के लिए ज़िम्मेदार होगा।

बेशक, राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्रों के स्तर पर लोगों को शिक्षा से जुड़े स्थानीय मुद्दों पर ही लामबंद किया जाएगा, जो खंड 3.0 के तहत दस-सूत्री मांगों या परिशिष्ट - एक में सूचीबद्ध मांगों में से हों या नहीं भी हो सकते हैं लेकिन यह ज़रूरी है कि लोगों को संगठित करने में उनकी मांगों और ऊपर प्रस्तुत नीतिगत परिप्रेक्ष्य व खाके के बीच मोटे तौरपर सामंजस्य बरकरार रहे। किसी भी आंदोलन को खड़ा करना राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों में हमारे सहयोगी- और सदस्य-संगठनों और हमराही संगठनों द्वारा संबंधित राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्र के लोगों के बीच लगातार, समन्वित व सतत प्रयास की मांग करता है। हमें शुरू से ही विद्यार्थियों, शिक्षकों व गैर-शैक्षणिक कर्मियों के संगठनों, महिला संगठनों, विभिन्न पेशों की ट्रेड यूनियनों, संगठनों व बैंक कर्मचारी व अधिकारी संघों, मेडिकल प्रतिनिधि संघों, आंगनवाड़ी कर्मी यूनियनों, मछुआरों व किसान संगठनों आदि ऐसे तमाम जन संगठनों व आंदोलनों के साथ बिरादराना सम्बंध बनाने होंगे।

हमें किसी भी एक विद्यार्थी, युवा, शिक्षक-शिक्षिका, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, डॉक्टर, वकील, फैक्ट्री मज़दूर या रिक्शा चालक, बस ड्राइवर या परिचालक, किसान या खेत मज़दूर जैसे किसी भी व्यक्ति में मौजूद ललक या चिंगारी को भी भांपने के प्रति सजग रहना होगा। गौरतलब है कि इन सभी लोगों में हमारे अखिल भारत आंदोलन के अभियान साथी बनने की जबर्दस्त संभावना हो सकती है। हम ऐसे सभी लोगों, संगठनों/समूहों से यह मान कर मिलें कि उनके बच्चे भी शिक्षा पर नवउदारवादी और ब्राह्मणवादी हमले से उत्पीड़ित हैं लेकिन संभवतः या तो उन्हें इस तरह के हमलों की व्यापक राजनीति का अहसास न हो या फिर उन्हें यह समझ न हो कि किसी सांगठनिक समर्थन के बगैर ऐसे हमलों से कैसे जूझा जाए। दरअसल, यही हमारा काम है कि हम इन लोगों को उनके स्थानीय शैक्षिक सरोकारों के इर्द-गिर्द उनके राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्र में उभर रहे संगठन से जोड़ें।

और फिर उनके साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर तब तक संघर्ष में शामिल रहें जब तक कि या तो उस स्थानीय मुद्दे का हल न निकल आए या उसके समाधान के लिए उसे देशव्यापी व वैश्विक निहितार्थों से जोड़ना ज़रूरी न हो जाए यानी स्थानीय संघर्ष वैश्विक पूंजीवाद-फ़ासीवाद के खिलाफ़ दुनियाभर में चल रहे व्यापक संघर्षों का हिस्सा न बन जाए।

राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्र के स्तर पर सलाह-मशविरों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नांकित कदम संभव हो सकते हैं (यह सूची सांकेतिक मात्र है और ज़रूरी है कि राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्र विशेष के हालात के मुताबिक बदला जाए) :

(1) प्रतिबद्ध और ऊर्जावान लोगों का एक ऐसा बीजक समूह (कोर ग्रुप) गठित किया जाए जो शैक्षिक अधिकारों के लगातार छीने जाने के खिलाफ़ प्रतिरोध करने का रूझान रखनेवाले व्यक्तियों व मौजूदा संगठनों के साथ मिलकर एक समन्वय/मंच खड़ा करने की प्रक्रिया की पहलकदमी करते हुए नेतृत्व निर्माण करना;

(2) किसी राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्र विशेष में वहां आंदोलन के ऐतिहासिक चरण और/या भू-सांस्कृतिक ज़रुरतों के मद्देनज़र आंचलिक सलाह-मशविरे आयोजित करना;

(3) गांवों या कस्बों में ऐसे चंदेक स्थानीय शैक्षिक मुद्दों को चिह्नित करना जिनको लेकर शुरूआती कदम बतौर लोगों को संघर्ष के लिए एकजुट किया जा सके;

(4) जल-जंगल-ज़मीन-जीविका के मुद्दों पर काम करने वाले व्यक्तियों, समूहों व संगठनों के साथ संवाद स्थापित करना ताकि उनके साथ मिल कर शिक्षा आंदोलन को आगे ले जाने के लिए एक व्यापक जनाधार वाला मोर्चा खड़ा किया जा सके;

(5) इस प्रक्रिया में ब्लॉक/तहसील-तालुका/ जिलावार गांवों, कस्बों, शहरों, झोपड़-पट्टियों, मज़दूर बस्तियों और शैक्षिक परिसरों में अभियान, लामबंदी व आंदोलन की ठोस रूपरेखा बनाना ताकि आंदोलन के सामाजिक आधार को व्यापक बनाया जा सके। चरणबद्ध सलाह-मशविरों के ज़रिए जिला और/या राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्र के स्तर पर एक 'मांग-अधिकार घोषणापत्र' (डिमांड चार्टर) तैयार करना जिसमें स्थानीय मुद्दों को शामिल करते हुए अंतिम रूप दिया जाए। ***इसके मायने है किसी भी राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्र के 'मांग-अधिकार घोषणापत्र' (डिमांड चार्टर) का चरणबद्ध विकास वहां आंदोलन के विकसित होने की प्रक्रिया के साथ ताल-में-ताल मिलाकर होगा ;***

(6) हरेक नए चरण में हम अभाशिअम के नए 'अभियान साथी' दर्ज़ करने का अभियान चलाएंगे ताकि लोगों में एकजुटता और देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा होने का भाव मजबूत हो, न कि अलग-थलग रहकर जूझने का। इसी आशय से एक प्रारूप पेश है (देखें परिशिष्ट - तीन)। यह नामांकन ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह से किया जा सकता है लेकिन ऑफ़लाइन नामांकन की खूबी यह है कि इसमें 'अभियान साथियों' के साथ अनौपचारिक माहौल में चाय की गुमटियों या शैक्षिक परिसरों की बैठकों के विभिन्न दौरों में और बसों व ट्रेनों में सफ़र करते हुए 'अभियान साथियों' के साथ अपनेपन के रिश्ते बनाने का मौका मिलता है, जो ऑनलाइन नामांकन में संभव नहीं है। इसलिए आप सबसे अपेक्षा है कि आप अपनी-अपनी भाषा में परिशिष्ट-तीन के प्ररूप का भाषांतरण करके उसकी फ़ोटोप्रतियों को अपनी चलती-फिरती 'आंदोलन किट' का हिस्सा बना लेंगे।

(7) गीतों, नाटिकाओं, नुक्कड़ नाटकों, पोस्टर प्रदर्शनियों, परचे बांटने और आंचलिक रैलियों में भागीदारी सांस्कृतिक प्रतिरोध के कारगर तौर-तरीके हो सकते हैं जो न सिर्फ अवाम तक हमारे विचार को ले जाने और उनके साथ संवाद शुरू करने का ज़रिया हैं बल्कि युवा कलाकारों और संस्कृति कर्मियों को भी आंदोलन से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं।

(8) परिशिष्ट-चार ऐसे लोगों की जयंती और मृत्यु या शहादत दिवस का कैलेंडर उपलब्ध कराता है जिन्होंने देश के विभिन्न इलाकों में समाज सुधारक, जाति-विरोधी आंदोलनों, सामाजिक लैंगिक समानता के संघर्षों, उत्पीड़ितों की शिक्षा के प्रसार और आज़ादी के आंदोलन के दौरान साम्राज्यवाद-विरोधी व जाति-विरोधी विमर्श को आगे बढ़ाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई हो। इन यादगार तारीखों को स्थानीय संदर्भ के अनुरूप आंदोलन की कार्ययोजना का हिस्सा बनाया जा सकता है और अवाम की जोरदार भागीदारी के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं ताकि ब्राह्मणवादी-मनुवादी वर्चस्व और साम्राज्यवाद के खिलाफ़ संघर्ष की भारत की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत अवाम की चेतना का अभिन्न हिस्सा बन सके। हम अपने राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों, जिलों और यहां तक कि गांवों-कस्बों से इस तरह के शख्सियतों से जुड़ी तारीखों को इस सूची में शामिल कर सकते हैं ताकि लोग अधिक अपनेपन के साथ इनसे जुड़ाव महसूस करें व प्रेरणा ले सकें। ऐसी अमूल्य व ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण जानकारियों को अभाशिअम के केंद्रीय कार्यालय तक पहुंचा जाए ताकि ये तारीखें भी अखिल भारत स्तर की ऐतिहासिक चेतना को समृद्ध करें।

(9) जैसे-जैसे आंदोलन की तस्वीर आकार लेने लगे, वैसे-वैसे ब्लॉक-स्तर पर महापंचायतों, जिला-स्तर पर कार्यशालाओं/ सेमीनारों/सम्मेलनों और अंतत राज्य-स्तर पर रैली का आयोजन किया जाए जिसका समापन एक विशाल जन सम्मेलन में हो। इस सघन जनवादी कार्यक्रम के ज़रिए तय है कि हमारे शिक्षा आंदोलन की व्यापक परिवर्तनकामी तस्वीर अवाम के बीच खुलकर और समृद्ध होकर स्थापित हो जाएगी।

(10) उपयुक्त समय पर यदि ज़रूरी हो तो व्यापक जन चेतना निर्माण के लिए राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्र के दायरे में आंचलिक व उप-आंलिक शिक्षा यात्राओं का आयोजन किया जाए जिनका समागम राज्य की राजधानी या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर हो।

पूरे देश में राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों में सलाह-मशविरों के आयोजनों के मद्देनज़र अभाशिअम सचिवालय ने एक सांगठनिक चार्ट तैयार किया है (देखें, परिशिष्ट - दो) जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों (सिवाय अध्यक्ष मंडल व सचिव मंडल सदस्यों के) और क्षेत्र (ज़ोन)-वार ज़िम्मेदारी अध्यक्ष मंडल व सचिव मंडल को सौंपी गई है। जैसे-जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्र-स्तरीय समन्वयक टीमों से अपेक्षा है कि वे उपरोक्त सांगठनिक चार्ट के 'राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाहर से व्यक्ति' नामक तीसरे कॉलम में गतिशील तरीके से और नाम जोड़ते जाएं। इस तरह यह चार्ट विभिन्न राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों में आंदोलन की गतिशील संभावनाओं का साक्षी बन जाएगा। ज़िम्मेदारियों के भौगोलिक विभाजन के मद्देनज़र हमने राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों का निम्नांकित 'नौ' क्षेत्रों (ज़ोन) में समूहीकरण किया है:

क) उत्तर-पूर्व क्षेत्र - अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा
ख) पूर्व क्षेत्र - ओडिशा, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम
ग) उत्तर - एक क्षेत्र - उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार

घ) उत्तर - दो क्षेत्र - चंडीगढ़, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा
च) मध्य क्षेत्र – छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
छ) दक्षिण - एक क्षेत्र - केरल, तमिलनाडु और पांडुचेरी
ज) दक्षिण - दो क्षेत्र - आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना
झ) पश्चिम क्षेत्र - गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र
ट) दिल्ली क्षेत्र – दिल्ली राज्य

अपेक्षाएं – अब हम प्रत्येक राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्र से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे अपने राज्य में पहले सलाह-मशविरे के स्थान, तारीख और बैठक के स्वरुप के सम्बन्ध में सहमति बनाने के लिए सक्रिय पहल करते हुए चर्चाएं शुरू करें और साथ-साथ अध्यक्ष मंडल व सचिव मंडल के सदस्य भी इस प्रक्रिया को गति देने, समृद्ध करने और अंतिम स्वरुप देने में प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भूमिका खुद-ब-खुद तय करें। अंततः हर क्षेत्र के लिए अध्यक्ष मंडल द्वारा मनोनीत एक या अधिक सदस्य/सदस्यों से अपेक्षा है कि वे सम्बंधित क्षेत्र में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका निभाएं।[4]

हम उम्मीद करते हैं कि हममें से हरेक को इसका अहसास होगा कि
दूसरों के द्वारा पहलकदमी का इंतज़ार करने का कतई समय नहीं बचा है।
राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्रों में सलाह-मशविरों की पूरी प्रक्रिया को
मध्य-अगस्त 2018 तक पूरा किया जाना है –
इसलिए जितनी जल्दी की जाए उतना बेहतर होगा।

6.0 अवाम के बीच जाना और अवाम से सीखना – कार्ययोजना का नक्शा बनाना

चार साल पहले अखिल भारत शिक्षा संघर्ष यात्रा-2014 (अभाशिसंया-2014) ने हमारे आंदोलन के निर्माण, उसकी पैठ बनाने और उसके सामाजिक आधार को समृद्ध करने के लिए एक शिक्षाशास्त्रीय सूत्र दिया था, जो नीचे पेश किया जा रहा है-

लोगों के पास जाओ,
उनके साथ काम करो,
अपनी समझ, अपने सरोकारों
और सपनों को साझा करो!

उनसे सीखो,
अपने विचारों को ज़मीनी हकीकत पर परखो,
उनको कला जत्थों में बदलो,
नए संघर्षों में तब्दील करो!

वापस लोगों के पास जाओ,
उनसे तुमने जो सीखा,
उन्हें आलोचना से परिपक्वऔर धारदार बनाओ
और आगे बढ़ते जाओ!

आज हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि इस शिक्षाशास्त्रीय सूत्र को अभाशिसंया-2014 में कहां तक अमल में लाया जा सका। मई 2014 के मुक़ाबले हमारी शिक्षा व्यवस्था आज चार साल बाद पहले से भी कहीं अधिक निजीकरण और बाज़ारीकरण का शिकार है और ज्ञान भी कहीं अधिक एक बिकाऊ माल (जिंस) बन चुका है; शिक्षा की कीमत बढ़ने की गति भी तेज़ होती जा रही है; गैर-बराबरी और भेदभाव के बढ़ने के साथ-साथ सामाजिक न्याय के एजेंडे के शिथलीकरण और ब्राह्मणवादी वर्चस्व व वित्तीय पूंजी का गठजोड़ खतरनाक तौर पर और ज़्यादा मजबूत होने के चलते कुलमिलाकर निष्कासन की रफ़्तार बढ़ती जा रही है; स्कूलबंदी और स्कूलों के विलय का एजेंडा पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा आकार ले चुका है; और बजट कटौती के साथ सार्वजनिक धन को

[4] **छपते-छपते:** इस कार्ययोजना में यह मानकर चला गया है कि हरेक राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्र में सलाह-मशविरे की शुरूआत राज्य-स्तरीय सलाह-मशविरे से ही होगी। लेकिन अभाशिअम यह भी मानता है कि हरेक राज्य में आंदोलन का स्वरूप वहां के आंदोलन के ऐतिहासिक चरण और राजनीतिक-सामाजिक हालात से परिभाषित होगा (देखिए, खंड 5.0, पहले दो पैराग्राफ़)। इसलिए इस गुंजाइश से इंकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे राज्य भी होंगे जहां राज्य-स्तरीय समन्वय/मंच के कमी में सलाह-मशविरे की प्रक्रिया आंचलिक या उप-आंचलिक स्तर पर शुरू करके राज्य-स्तर तक पहुंचाना व समेकित करना बेहतर होगा। - 14 सितंबर 2018

कॉरपोरेट पूंजी को हस्तांतरित करके (पीपीपी) सरकारी खर्च से चलने वाली शिक्षा को इस कदर कमजोर कर दिया गया है जैसाकि पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था! इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान खतरनाक नीतियों को रोकने और शैक्षिक व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए एक जनांदोलन के निर्माण की दृष्टि से उपर्युक्त शिक्षाशास्त्रीय सूत्र का महत्व निःसंदेह कई गुना बढ़ गया है।

हम अच्छी तरह समझते हैं कि भारत की शिक्षा पर इस जन-विरोधी, संविधान-विरोधी एवं राष्ट्र-विरोधी नवउदारवादी-सह-ब्राह्मणवादी हमले को रोकना 'कच्छ से कोहिमा और लद्दाख से लक्षद्वीप' तक गांवों – कस्बों और ब्लाक/तालुक/जिला मुख्यालयों से लेकर राज्यों की राजधानियों तक विविध जनांदोलनों, जो मोटे तौर पर समान समझ से परस्पर जुड़े भी होंगे, के एक साथ आए बिना संभव नहीं होगा। इसके साथ हमें अपने जाति-विरोधी और साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष की समृद्ध विरासत की खासियत को भी लेकर चलना होगा ताकि अपने लोगों और गणतन्त्र को सामने खड़ी बरबादी से बचाया जा सके।

> **टीप**: इस शिक्षाशास्त्रीय सूत्र को अपनी भिन्न-भिन्न समझ और अवाम के साथ काम करने के ज़मीनी अनुभवों के आधार पर और ज़्यादा सूत्रबद्ध व इसका खुलासा करने की ज़रूरत है।

कार्ययोजना का आगे का नक्शा (रोडमैप)

राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्र-स्तरीय आंदोलन खड़ा करने के विभिन्न तत्वों का विस्तृत विवरण खंड 5.0 में दिया जा चुका है। इस खंड में वर्तमान हालात बदलने के लिए व्यापक जनाधार वाले आंदोलन के निर्माण में उपरोक्त शिक्षाशास्त्रीय सूत्र के महत्व को रेखांकित किया गया है। यह सब ध्यान में रखते हुए राज्यवार/केंद्र-शासित-क्षेत्रवार समन्वय के मंच को "लोगों तक पहुंचने और उनसे सीखने के लिए" कार्यक्रम की एक रूपरेखा बनानी होगी। इसे ऐसी पूर्वदृष्टि के साथ तैयार करना होगा ताकि हमारी सम्पूर्ण उपलब्ध सांगठनिक क्षमता को रणनीतिक रूप से पूरी तरह जुटाया और उपयोग में लाया जा सके। लोगों तक पहुंचने और ब्लाक-स्तरीय महापंचायतों एवं जिला-स्तरीय कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों और अंतत: आंचलिक व उप-आंचलिक यात्राओं की राज्य-स्तरीय रैली एवं महासम्मेलन में समागम तक के कार्यक्रम के लिए 50 से 60 दिन (स्थानीय स्थितियों के अनुसार कहीं कुछ अधिक भी) का समय निर्धारित किया गया है जिसे कुल तीन महीने के भीतर यानी 01 अगस्त से 31 अक्टूबर 2018 तक पूरा किया जाना है।

इस कार्ययोजना को राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों की ज़रूरतों एवं हालात के मुताबिक सतत रूप से चलने वाले एकीकृत कार्यक्रम के रूप में या समानान्तर या क्रमिक रूप से पांच या छह चरणों में चलाया जा सकता है। यथासंभव अधिक-से-अधिक गांवों और झोपड़पट्टियों या मज़दूर बस्तियों तक पहुंचने के लिए ब्लॉक/जिलावार योजनाओं या उप-योजनाओं और उनके संचालन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी। इस उद्देश्य से प्रत्येक ब्लॉक/जिला के लिए किसी न किसी रूप में समन्वय समिति/मंच गठित करने की ज़रूरत हो सकती है जिसका बाद में आंदोलन को जारी रखने के लिए समीक्षा करके पुनर्गठन भी किया जा सकेगा। परचों, पोस्टरों, बैनरों, नारों एवं सांस्कृतिक प्रतिरोध कार्यक्रमों के लिए अग्रिम तैयारी की ज़रूरत होगी। इस कार्ययोजना में अभाशिअम के सचिवालय द्वारा निर्धारित दिवसों (देखें, खंड 4) पर ऐतिहासिक महत्व के जन्म एवं मृत्यु व शहादत दिवसों को मनाने के साथ-साथ ब्लॉक/जिला-स्तर पर लोगों के लिए महत्वपूर्ण तिथियों को भी शामिल किया जा सकता है।

कार्ययोजना के इस नक्शे में समय-समय पर वस्तुनिष्ठ समीक्षाओं का प्रावधान करना होगा ताकि समयानुसार संशोधनों व अन्य परिमार्जनों को अपनाया जा सके।

7.0 राजनीतिक संदेश

कार्ययोजना, 2018-2019 का क्रियान्वयन उस दौर में किया जा रहा है जब देश आम चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। अप्रैल-मई, 2019 के लोकसभा चुनावों के अतिरिक्त कुछ राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी होने हैं। इस कार्ययोजना के लिखे जाने के दौरान ही केंद्रीय सरकार एवं चुनाव में जानेवाले राज्यों की सरकारों ने अखबारों के पूरे-पूरे पृष्ठों में पिछले चार वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तथाकथित 'महान' उपलब्धियों का गुणगान करना शुरू कर दिया है। जबकि, हकीकत यह है कि अभाशिअम ने अपने इस दस्तावेज में जिन मुद्दों व सरोकारों को उठाया है उनको यह भ्रामक प्रचार छूता तक नहीं है!

7.1 चुनावी प्रत्याशियों से सवाल

हरेक राजनीतिक दल और उनके चुनावी प्रत्याशी जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। लोगों को अपने शैक्षिक अधिकारों और उनके लगातार छिनते जाने के मुद्दों पर उक्त राजनीतिज्ञों से सवाल करने के लिए तैयार होना होगा। हमारा कर्तव्य है कि शिक्षा से संबन्धित मुद्दों को जोड़ते हुए सभी तथ्यों और आंकड़ों को लोगों के सामने पेश करें। हमें उन्हें स्पष्ट करना होगा कि राज्य द्वारा वित्त-पोषित शिक्षा किस प्रकार संकुचित की गई है, निजी और बाज़ार की महंगी शिक्षा क्यों और कैसे फल-फूल रही है, पीपीपी के नाम पर सार्वजनिक धन को किस प्रकार निजी संस्थाओं को सौंपा जा रहा है, स्कूल बंदी या स्कूलों का विलय करके और उनमें प्रतिगामी

विचारधारा को थोपे जाने का शिक्षा और लोगों के जीवन व समाज पर कैसा नुकसानदेह प्रभाव पड़ रहा है! इस समझ व तथ्यों के आधार पर लोग प्रत्याशियों से निम्नलिखित सवाल पूछ सकेंगे-

- पिछले चार सालों में इस जन-विरोधी शिक्षा नीति को रोकने के लिए आपने क्या किया, चाहे आप का दल सत्ता में रहा हो या नहीं?
- क्या आप यह मानते हैं कि ये नीतियां न तो जनता के हित में हैं और न ही देश के हित में?
- अगर हां, तो क्या आप जनता के सामने लिखित शपथ लेते हुए वचन देंगे कि आप इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाएंगे, चाहे आप चुनाव जीतें या नहीं?

जनता और प्रत्याशियों के बीच सार्वजनिक रूप से (पंचायत भवन, ग्राम चौपाल, आंगनवाड़ी केंद्र, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्कूल या कालेज भवन या चुनावी मंच) यह संवाद आयोजित होना ज़रूरी होगा जिससे सभी लोग इस चर्चा को सुन सकें और सवाल उठा सकें। अभाशिअम इस संबंध में अपनी ओर से सरल स्थानीय भाषा में एक शपथ पत्र तैयार कर सकता है जिसे लोग देशभर में इस आग्रह से अपने इलाके के प्रत्याशी के सामने रख सकते हैं कि वह सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकारे और हस्ताक्षरित करे कि वह चुने गए दल को इन मांगों को मनवाने के लिए बाध्य करेगा/करेगी, चाहे वह खुद चुनाव जीते या हारे। यह सब केवल इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में ही नहीं बल्कि, ज्यादा ज़रूरी तौर पर अभाशिअम की सोशल मीडिया और वेबसाइट समिति द्वारा सोशल मीडिया में 'पोस्ट' किया जाए और उसके अंग्रेज़ी व हिन्दी न्यूजलेटर ('रिकंस्ट्रक्टिंग एजुकेशन फॉर इमैंसीपेशन' एवं 'तालीम की लड़ाई') में भी प्रकाशित हो। अगर लाखों नहीं तो कम-से-कम दसियों हजार लोग इसे पढ़ेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आम लोगों के बीच यह बहस जानी चाहिए। इस कवायद का उद्देश्य हमारी मांगों को सार्वजनिक और लोकमत की मांगें बनाना है और इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों को चुनावी माहौल में अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए जनदबाव बनाना है। इस प्रकार हम अपनी मांगों को अपनी आंतरिक बैठकों, संगोष्ठियों और आंदोलन की कार्ययोजना (पीओए) के दस्तावेज से बाहर निकालकर जनता के व्यापक दायरे और विधान सभाओं व संसद के पटल पर लाने में सफल होंगे। यदि हम यह हस्तक्षेप सक्षमता और यथोचित रूप से बड़े पैमाने पर लागू करें तो निश्चित ही हम शासकों की नींद हराम कर सकते हैं। **अगर हमारा यह हस्तक्षेप देश के शासकों को असहज कर सकता है तो हमारा यह लोकतांत्रिक कर्तव्य है कि हम उन्हें और असहज कर दें।**

7.2 राजनीतिक दलों, सांसदों व विधायकों को ज्ञापन

एक और राजनीतिक काम है जो हम सबको हर हालत में करना चाहिए। विधान सभाओं और लोकसभा के चुनावों के पहले ही हमें अपनी मांगों का एक स्मरण-पत्र/ज्ञापन सभी विधायकों व सासंदों के साथ-साथ सभी प्रमुख दलों के नेतृत्व और मीडिया (इंटरनेट के पोर्टलों समेत को भेजना होगा) और अपनी वेबसाइट व सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करना होगा। इसके आगे विभिन्न भाषाओं के कतिपय प्रगतिशील टी.वी. चैनलों (उदाहरणार्थ एनडीटीवी के रवीश कुमार) से इस विषय पर सार्वजनिक बहस चलाने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हमारे सभी सहयोगी- व सदस्य-संगठन और हमराही संगठन व अभियान साथी अपने-अपने चुनावी क्षेत्रों के सांसदों के पास प्रतिनिधि मंडल लेकर ज्ञापन देने जाएं और उन पर दबाब डालें कि वे इस विषय पर सार्वजनिक बहस में शामिल होकर अपना पक्ष रखें। कुलमिलाकर इस कवायद के पीछे हमारा मकसद अपने मुद्दों, सरोकारों और नीतिगत आलोचनाओं को सार्वजनिक करना और राजनीतिक व्यवस्था पर जन-दबाव डालना है।

7.3 'नई शिक्षा नीति 2016' के मुख्य दस्तावेजों का सार्वजनिक दहन

यह एक तीसरा राजनीतिक काम है। अभी अपना अंतिम रूप लेने की प्रतीक्षा कर रही 'नई शिक्षा नीति, 2016' (यहां प्रस्तावित कार्यक्रम कस्तूरीरंगन रिपोर्ट पर भी लागू होगा जब कभी भी उसको सार्वजनिक किया जाएगा) के अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने आए तीन नीतिगत मसविदे (दस्तावेज) हैं। इन्हें यहां सूचीबद्ध किया जा रहा है-

(i) 'नई शिक्षा नीति को विकसित करने के लिए समिति' का प्रतिवेदन/रिपोर्ट (टी. एस. आर. सुब्रमण्यम समिति रिपोर्ट), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, अप्रैल 2016; (वेबलिंक: http://aifrte.in/sites/default/files/aifrte%20docs/Documents%20%26%20Reports/TSR Subramaniam- Committee Report for Evaluation of the New Education Policy 2016.pdf)

(ii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसविदे के लिए कुछ विचार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, जुलाई 2016 (वेबलिंक: http://aifrte .in/sites/default/files/aifrte%20docs/Documents%20%26%20Reports/Inputs Draft NEP 2016.pdf)

(iii) 'एजुकेशन एंड स्किल डेवेलपमेंट' इन इंडिया ('भारत में शिक्षा और कौशल विकास') का अध्याय क्र. 20: थ्री ईअर एक्शन एजेंडा, 2017-2018 से 2019-2020 तक, नीति आयोग, नई दिल्ली, अगस्त 2017 (वेबलिंक: http://aifrte.in/sites/default/files/aifrte%20docs/Documents%20%26%20Reports/NITI%20Ayog_India_Action_Agenda.pdf)

उपरोक्त नीतिगत मसविदों का विश्लेषण इस कार्ययोजना के दस्तावेज में किया जा चुका है (देखिए प्रस्तावना, खंड 1.0 व 2.0)। एक देशव्यापी कार्यक्रम के तहत हमें इन नीतिगत मसविदों के खिलाफ़ धरना-प्रदर्शन करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर इनकी प्रतियों का 'दहन' करना होगा और साथ ही परचे बांटकर जनता व मीडिया को बताना होगा कि हम इन दस्तावेजों को क्यों जला रहे हैं। यहां कुछ अंतरिम सुझाव पेश हैं जिनके ज़रिए उपरोक्त राजनीतिक कर्म को इतना ताकतवर बनाया जाए कि जनता, मीडिया व राजनीतिक ध्यान आकर्षित हो ताकि राजसत्ता के मानस को झकझोरा जा सके।

- यह उप-आंचलिक, आंचलिक एवं राज्य-स्तरीय यात्राओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों का हिस्सा हो सकता है जब हम ग्राम-पंचायत भवनों, तहसील/तालुका व जिला मुख्यालयों और अंतत: राज्यों की राजधानियों में विधानसभा या राजभवन के सामने और इसके अलावा बाज़ारों, म्युनिसिपल कार्यालयों और सार्वजनिक पुस्तकालयों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर नीतिगत दस्तावेजों का 'दहन' कर सकते हैं।
- हम जून 2018 और मई 2019 के बीच की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण तारीखों का भी चयन कर सकते हैं जो किसी ऐतिहासिक दिन या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता-प्राप्त दिवसों के अलावा आजादी की लड़ाई के दौरान साम्राज्यवाद-विरोधी और जाति-विरोधी आंदोलनों के किसी नेता के जयंती या शहादत दिवस से जुड़ी हो सकती हैं जिनको मनाने का फ़ैसला अभाशिअम द्वारा लिया गया है (देखिए परिशिष्ट – चार का कैलेंडर)। इन तारीखों पर हम सार्वजनिक स्थलों पर या संभव हो तो ऐसे राष्ट्रीय प्रतीकों की मूर्तियों या उनकी तस्वीरों के सामने, 'नई शिक्षा नीति 2016' (एनईपी 2016) के उपरोक्त तीन दस्तावेजों की प्रतियां जला सकते हैं। उदाहरणार्थ यहां ऐसी कुछ विशिष्ट तारीखों की सूची प्रस्तुत है (विस्तृत सूची के लिए देखिए परिशिष्ट - चार और उसके अंत में दिए गए राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम और उनसे संबन्धित तारीखें जिनको शामिल किया जाना अभी बाकी है)।

विशेष तारीखों पर नई शिक्षा नीति 2016 के तीन मसविदों को जलाते समय उन तारीखों के ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ को निम्नांकित तरीके से उभारा जा सकता है -

- **भारत छोड़ो आंदोलन (9 अगस्त) :** केंद्र सरकार से विश्व व्यापार संगठन-गैट्स (डब्ल्युटीओ-गैट्स) को पेश उच्च शिक्षा प्रस्ताव वापस लेने के लिए कहा जाए, अन्यथा इसे राजसत्ता की गद्दी 'छोड़' देनी चाहिए। क्योंकि केंद्र में इसके बने रहने का अर्थ होगा भारत की उच्च शिक्षा को उन बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेट घरानों को बेच देना जो वैश्विक वित्तीय पूंजी के निर्देशन में काम कर रहे हैं और भारत के युवाओं के हितों के विरुद्ध हैं, जिसके फलस्वरूप राष्ट्र की संप्रभुता कमजोर होगी और बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से निष्कासित किया जाएगा।
- **पेरियार जन्मदिवस (14 सितंबर) :** राष्ट्र को चेताना होगा कि नई शिक्षा नीति के चलते शिक्षा में गैर-बराबरी और भेदभाव बढ़ने से उत्पीड़ित जातियों व वर्गों और खास तौर पर लड़कियों एवं विकलांगों का बड़े पैमाने पर निष्कासन होगा जिसके कारण जाति-व्यवस्था और पितृसत्ता मजबूत होगी और यह उन मूल्यों का तिरस्कार होगा जिनके लिए पेरियार ने आजीवन संघर्ष किया।
- **शहीद भगत सिंह जन्म दिवस (28 सितंबर) :** शहीद भगत सिंह से अपील की जाए कि वे माननीय प्रधानमंत्री को शिक्षित करें कि भारत को लूटने में साम्राज्यवाद की वर्तमान भूमिका क्या है और यह भी बताएं कि डब्ल्युटीओ-गैट्स के पटल पर हमारी उच्च शिक्षा के प्रस्ताव को बनाए रखना और शिक्षा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ़डीआई) की इजाज़त देना देशप्रेम के खिलाफ़ है चूंकि यह नीति भारत की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करेगी और 85 प्रतिशत से अधिक बच्चों/युवाओं को, जो मुख्यतः बहुजन हैं, निष्कासित करेगी। आगे, हमें शहीद भगत सिंह से मार्गदर्शन मांगना चाहिए कि यदि माननीय प्रधानमंत्री नई शिक्षा नीति को संशोधित करने और देश के बच्चों व युवाओंके हितों के पक्ष में काम करने से इंकार कर दें तो हमें क्या करना होगा?

[इस प्रकार की संदर्भित टिप्पणियों के साथ अन्य प्रविष्टियों के लिए परिशिष्ट- पांच देखिए। इनमें महात्मा गांधी (2 अक्टूबर), डॉ. राममनोहर लोहिया (12 अक्टूबर), मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (11 नवंबर), बिरसा मुंडा (15 नवंबर), संविधान दिवस (26 नवंबर), महात्मा जोतिराव फुले (28 नवंबर), डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर परिनिर्वाण दिवस (6 दिसंबर) एवं रूकैय्या बेगम या रूकैय्या सखावत होसैन (9 दिसंबर) को सम्मिलित किया गया है। मई 2019 के पहले सावित्रीबाई फुले (3 जनवरी) जैसी अन्य ऐतिहासिक तारीखों को इसमें जोड़ा जाना बाकी है।]

8.0 मशाल यात्राएं, शहादत दिवस और 'दिल्ली हुंकार' रैली

30 जनवरी 2019 को - महात्मा गांधी का शहादत दिवस, 1948 - ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले अन्य सभी शहीदों को श्रद्धांजली स्वरूप पूरे देश में सैकड़ों स्थानों से एक साथ विकेंद्रित अभियान बतौर मशाल यात्राएं निकाली जाएंगी। इन मशाल यात्राओं के हिस्से के रूप में ही संबन्धित समूहों, संगठनों या आंदोलनों को जहां-जहां गांवों, कस्बों या शहरों में अवाम तक पहुंचना संभव हो वहां-वहां जनसंवादों, सभाओं और सांस्कृतिक प्रतिरोध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यात्राओं की समय सारिणी यह ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी कि सभी मशाल यात्रा अपने-अपने जिलों/राज्यों से एकजुट हुए लोगों के बड़े-बड़े जत्थों

के साथ 2 फरवरी 2019 कि शाम तक या अधिकतम रविवार 3 फरवरी 2019 की भोर तक दिल्ली पहुंच जाएं ताकि वे सभी टीमें नई शिक्षा नीति के विरुद्ध लामबंद आम जनता के प्रतिरोधी विशाल आयोजन 'दिल्ली हुंकार' दिवस में भाग ले सकें।

गांधीजी के शहादत दिवस को अभशिअम की 'आंदोलन की कार्ययोजना' में शामिल किए जाने का प्रस्ताव इस आशय से रखा गया है कि इतिहास की उन परिस्थितियों को समाज के व्यापक तबकों से साझा किया जा सके जिनके चलते हिन्दू-राष्ट्र की राजनीति से उत्प्रेरित राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (रा.स्वं.सं.) से संबंधित कार्यकर्ता नाथूराम गोड्से ने 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की। गांधीजी के दर्शन एवं राजनीति के साथ कुछ अनसुलझे मतभेद हो सकते हैं लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में वे सांप्रदायिक हिन्दू-राष्ट्र परियोजना के रास्ते में संभवतः सबसे बड़े अवरोध बने हुए हैं। उनकी हत्या की पृष्ठभूमि हमें जनता के सामने उस तंत्र की परत खोलने का ऐतिहासिक अवसर देती है जिसका इस्तेमाल सांप्रदायिक हिन्दू-राष्ट्र की ताकतों ने उस दौर में किया था और जिसका रा.स्वं.सं. द्वारा नियंत्रित केंद्रीय एवं विभिन्न राज्य सरकारों ने पिछले चार सालों में भारतीय जनता को ट्रेलर दिखाया है।

हम जिस संकट से गुजर रहे हैं उसे समझने के लिए यह अमूल्य पाठ हो सकता है और संविधान और गणतन्त्र को बचाने के हमारे लोकतांत्रिक प्रतिरोध की राह तलाशने का भी। हमें पुरजोर कोशिश करनी चाहिए कि इस विषय पर आयोजित प्रत्येक जनसंवाद, कार्यशाला, सभा या संगोष्ठी में इस इतिहास के किसी प्रतिष्ठित विद्वान को ज़रूर आमंत्रित करें।

दिल्ली की ओर कूच करने के दौरान मशाल यात्राओं को लोगों तक पहुंचने, उन्हें सुनने और शहादत दिवस के ऐतिहासिक निहितार्थो को उन्हें समझाने में निम्नलिखित उद्देश्यों से मार्गदर्शन मिल सकता है। **पहला,** दो परस्पर जुड़े हुए मुद्दों पर जनचेतना जागरण कार्यक्रम आयोजित करने की ज़रूरत यथा, हिन्दू-राष्ट्र की राजनीति का पर्दाफाश करना जिसके चलते वे हालात बने जिनकी तार्किक परिणति गांधीजी की हत्या में हुई और वर्तमान में उसी प्रकार की राजनीति का चेहरा - जो गो-रक्षा के नाम पर खुले आम हत्याओं, लव-जेहाद के काल्पनिक वितंडावाद (निरर्थक दलील का सहारा लेना), मुसलमानों को भयभीत या अलग-थलग करने के मकसद से किए जाने वाले बलात्कारों (कठुआ कांड, 2018) और मुसलमानों को डराने-धमकाने, उकसाने और स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस मनाते समय उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने (कासगंज प्रसंग, 2018) के साथ ही ऐसे लोगों द्वारा चुप्पी साधे रहना जिन्हें हरेक भारतीय नागरिक की सुरक्षा करने के संवैधानिक प्राधिकार से लैस किया गया हो, से फिर उजागर हो चुका है। **दूसरा,** पहले मुद्दे को शिक्षा पर किए जा रहे नवउदारवादी-सह-ब्राह्मणवादी हमलों से जोड़कर देखा जा सकता है जिसकी व्यापक चर्चा पहले के खंडों में हो चुकी है। **तीसरा,** मशाल यात्राओं के नेतृत्व से विशेष अनुरोध है कि वह दिल्ली कूच के दौरान आम लोगों के बीच एक ताकतवर जनाधारित आंदोलन खड़ा करने के मकसद से 'अभियान साथियों' का पंजीयन करने का काम पूरी सक्रियता से करने का बीड़ा उठाए।

'दिल्ली हुंकार' रैली (इतवार, 3 फरवरी 2019) और उसके बाद होने वाली जनसभा के लिए निम्नलिखित नारे बनाए गए हैं-

"मनुस्मृति और मार्केट को भगाओ! शिक्षा बचाओ!! शिक्षा बचाओ!!"

•

"शिक्षा बचाओ! संविधान बचाओ!!
देश बचाओ! देश बचाओ!!"

9.0 कार्ययोजना की समय-सारिणी

कार्ययोजना की प्रस्तावित समय-सारणी निम्नानुसार है -

15/06/2018 से 15/08/2018 : राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्रों (कें.शा.क्षे.) में सलाह-मशविरा

01/08/2018 से 31/10/2018 : (क) राज्य/कें.शा.क्षे.-स्तरीय आंदोलन (लामबंदी; ब्लॉक/तहसील/तालुका या जिला मुख्यालयों में जनजागरण, कार्यशालाएं/संगोष्ठियां; उप-आंचलिक, आंचलिक या राज्य-स्तरीय यात्राएं; राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों का राज्य की राजधानियों या ऐतिहासिक महत्व के किसी अन्य स्थल (जिसका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साम्राज्यवाद-विरोधी, जाति-विरोधी, शैक्षिक या अन्य किसी सामाजिक-सांस्कृतिक सुधार आंदोलन से संबंध रहा हो) पर समागम रैली व सम्मेलन जिसमें राज्यों/कें.शा.क्षे. में सक्रिय संगठनों एवं आंदोलनों और आम लोगों के बीच दिल्ली में इतवार, 3 फरवरी 2019 को होने वाली 'दिल्ली हुंकार' रैली का आह्वान किया जा सके।

> ***टीप:*** *इन तीन महीनों में कुलमिलाकर 50-60 दिन ही राज्य/कें.शा.क्षे.-स्तरीय लामबंदी तथा आंदोलन से जुड़े अन्य कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध होंगे।*

(ख) (i) राज्य-स्तरीय रैली एवं सम्मेलन के बाद राज्य में नई शिक्षा नीति के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए आंकड़ों पर आधारित एक ज्ञापन (जिसकी तैयारी दो माह पहले से ही शुरू हो जानी चाहिए) राज्य के मुख्यमंत्री को और (ii) अभाशिअम द्वारा नई शिक्षा नीति पर तैयार की गई आलोचना और अभाशिअम के वैकल्पिक शैक्षिक नज़रिए पर प्रधान मंत्री को संबोधित ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा जाएगा।

(ग) राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्र-स्तरीय जनजागरण एवं आंदोलन से संबंधित अन्य कार्यक्रमों के दौरान हरेक अभियान-सहभागी संगठन/समूह से अपेक्षा रहेगी कि वह 'अभियान साथियों ' को जोड़ने व उनका पंजीयन कराने का काम सक्रियता से करें (देखिए परिशिष्ट-तीन, दोनों ऑनलाईन व ऑफ़लाईन पंजीयन संभव) और इन नए सदस्यों या 'अभियान साथियों' को संबंधित राज्य/केंद्र-शासित क्षेत्रों में चल रहे आंदोलन की सभी गतिविधियों में शामिल करते हुए उनका स्वागत करें।

22-24 सितंबर, 2018 : (i) 22 सितंबर - पटना, बिहार में 'भारतीय शिक्षा में संकट - विकल्प के लिए रणनीति' ('द क्राइसिस इन इंडियन एजुकेशन - स्ट्रैटेजी फ़ॉर एन ऑल्टर्नेटिव') विषय पर एक-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। (**ii) 23-24 सितंबर** - पटना, बिहार में राज्य/कें.शा.क्षे.-स्तर पर हुए सलाह-मशविरों एवं राज्य/कें.शा.क्षे.-स्तर के चेतना जागरण व लामबंदी एवं आंदोलन की मध्यावधि प्रगति की समीक्षा और साथ ही कार्ययोजना के बचे हुए हिस्से में यदि ज़रूरत है तो किसी भी प्रकार के संशोधन पर विचार-विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो-दिवसीय बैठक।

मध्य-नवंबर, 2018 : अध्यक्ष मंडल एवं सचिवा मंडल की दो-दिवसीय संयुक्त बैठक जिसमें कार्ययोजना के क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन किया जाएगा; राज्य-स्तरीय आंदोलनों की समस्याओं या मुद्दों को चिन्हित किया जाएगा; तद्नुसार समायोजन/संशोधन किए जाएंगे और 30 जनवरी 2019 से शुरू होने वाली मशाल यात्राओं और इतवार, 3 फरवरी 2019 को तयशुदा 'दिल्ली हुंकार' रैली की विस्तृत कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

30/01/2019 से 03/02/2019 : (क) राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों की मशाल यात्राएं गांधीजी की याद में उनके शहादत दिवस यानी 30 जनवरी 2019 को पूरे देश में सैकड़ों स्थलों से शुरू होंगी जो अधिक-से-अधिक गांवों, कस्बों और शहरों, जहां भी संबन्धित समूहों/संगठनों की आम जनता तक पहुंच हो, सबको आंदोलन से जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगी (देखिए, खंड 8.0)।

(ख) स्थानीय संगठन/समूह की स्थिति के अनुसार 30 जनवरी 2019 को शुरू होकर मशाल यात्राएं अगले एक-दो दिनों तक अपने-अपने नज़दीकी इलाकों में दौरा जारी रखते हुए नई शिक्षा नीति के विरुद्ध जनता के बड़े प्रतिरोध कार्यक्रम के रूप में 'दिल्ली हुंकार' दिवस में हिस्सा लेने 2 फरवरी की शाम या फिर इतवार, 3 फरवरी की सुबह तक दिल्ली पहुंचेंगी।

(ग) मशाल यात्राएं जगह-जगह पर जनशिक्षण के मकसद से सभाओं, पोस्टर प्रदर्शनियों और 'सांस्कृतिक प्रतिरोध' कार्यक्रमों की प्रस्तुति करती चलेंगी जिनका उद्देश्य गांधीजी की हत्या के पीछे हिन्दू-राष्ट्र की नीति और शिक्षा पर नवउदारवादी-सह-ब्राह्मणवादी हमले के बीच परस्पर रिश्तों का अवाम के सामने खुलासा करना और लोगों के साथ विचार-विमर्श करना कि स्थानीय स्तर पर इसके खिलाफ़ प्रतिरोध आंदोलन कैसे खड़ा किया जाए।

(घ) मशाल यात्राओं से 'दिल्ली हुंकार' रैली के रास्ते में हरेक अभियान-सहभागी संगठन/समूह से अपेक्षा है कि वह अभियान में नए-नए 'अभियान-साथियों' को जोड़ते और उनका पंजीयन कराते जाएंगे (जो ऑनलाइन एवं ऑफ़लाइन दोनों प्रकार से संभव है (देखिए, परिशिष्ट - तीन) और उनका संबन्धित राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों में चल रहे आंदोलन के सभी कार्यक्रमों में स्वागत करते हुए उन्हें शामिल करेंगे।

03/02/2019 : 'दिल्ली हुंकार' रैली का समापन एक विशाल जनसभा से होगा जिसका केंद्रीय नारा होगा-

"मनुस्मृति और मार्केट को भगाओ! शिक्षा बचाओ!! शिक्षा बचाओ!!"

•

"शिक्षा बचाओ! संविधान बचाओ!!
देश बचाओ! देश बचाओ!!"

04/02/2019 : दिल्ली में संयुक्त प्रेस वार्ता (सभी हमराही संगठनों के साथ)

04/02/2019 से 05/02/2019 : महामहिम राष्ट्रपति एवं भारत के प्रधानमंत्री व मानव संसाधन विकास मंत्री को ज्ञापन देना। साथ ही सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को हमारी शैक्षिक मांगों का पत्र पेश करना।

फरवरी से मई 2019 : दिल्ली से लौटने के बाद लोकसभा चुनावों तक राज्यों/कें.शा.क्षे. की समितियों/मंचों को अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में विभिन्न प्रचार-प्रसार और आंदोलनात्मक कार्यक्रमों द्वारा जनमानस में आंदोलन का मिज़ाज बनाए रखना होगा। उन्हें दलीय प्रतिबद्धताओं की परवाह किए बगैर सार्वजनिक रूप से लोकसभा प्रत्याशियों को शपथपत्र युक्त ज्ञापन देते रहना होगा।

इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों को आमंत्रित करके गोलमेज़ सलाह-मशविरे आयोजित करने होंगे। इस अवधि में निम्नांकित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तारीखें आएंगी -

21/02/2019 : अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

08/03/2019 : अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस; 23/03/2019 : भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव शहादत दिवस

11/04/2019 : जोतिराव फुले जयंती ; 14/04/2019 : डॉ. आंबेडकर जयंती

01/05/2019 : मई दिवस

राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों के साथियों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने इलाकों में ऐसी अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तारीखें चिन्हित करें (यदि ऐसा करते हैं तो उसकी सूचना संबंधित शख्सियतों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ अभाशिअम के संगठन सचिव/कार्यालय-सचिव को ज़रूर दें ताकि यह जानकारी पूरे अखिल भारत मंच को उपलब्ध की जा सके)। सभाओं, गोलमेज़ सलाह-मशविरों, प्रदर्शनों, रैलियों, प्रेस वार्ताओं आदि के सतत आयोजनों द्वारा सरकारों की जनविरोधी शिक्षा नीति का खुलासा करते रहना और हमारे वैकल्पिक नज़रिए को सामने लाते रहना होगा। स्थानीय मांगों को लेकर कोई भी प्रचार-प्रसार और आंदोलनात्मक गतिविधि जो उनको व्यापक मांगों से जोड़ सके, वह आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। ■

परिशिष्ट - एक

मुद्दों और मांगों की विस्तृत सूची

[ये विस्तृत मांगें विभिन्न राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों में अपने अपने गांवों या कस्बों/जिलों/राज्यों में अभाशिअम के सदस्य-संगठनों द्वारा चलाए जा रहे संघर्षों के अनुसार संयोजित की गई हैं और स्थानीय स्तर पर जन-जागरण का मजबूत आधार प्रदान करती हैं। अभाशिअम और इसके सदस्य-संगठनों की भूमिका लोगों को इनके प्रति जागरूक करना और संघर्ष के दौरान संघर्षरत लोगों को इन मांगों और वैश्विक पूंजी द्वारा आरोपित नव-उदारवादी नीतिगत ढांचे के बीच सम्बन्धों को समझने में मदद करना है। एक बार जब लोग इन दुरभिसंधियों या साजिशों को समझ लेंगे और राजनीतिक रूप से जागरूक हो जाएंगे तब वह बड़े स्तर पर राष्ट्रीय या वैश्विक मसलों पर संघर्षों में सहभागी होने या उनका नेतृत्व तक करने के लिए आगे आएंगे।]

*स्कूलों के प्रावधान: प्रत्येक बस्ती/बसाव में नर्सरी/के.जी., 1 कि.मी. के दायरे में प्राइमरी स्कूल, 3 कि.मी. के दायरे में उच्चतर प्राइमरी स्कूल, 5 कि.मी. के दायरे में (स्कूल के रास्ते में कहीं प्राकृतिक या अन्य कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस दूरी को कम भी रखा जा सकता है) उच्चतर माध्यमिक स्कूल होने चाहिए।

1. एक कक्षा-एक कक्ष-एक अध्यापक
2. शिक्षक-छात्र अनुपात-1:20, जनजातीय क्षेत्रों में 1:10
3. सुबह के नाश्ते के बाद पौष्टिक मध्यावधि आहार, शाम को कुछ और नाश्ता और दूध
4. पीने के लिए शुद्ध पानी
5. जल युक्त शौचालय
6. खेलकूद के उचित सामान के साथ खेल का मैदान
7. राष्ट्रीयकरण के धोखे के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद करना/एक-दूसरे में मिला देना/मिश्रित करना बिलकुल बंद हो; फीस लेने वाले निजी स्कूलों का नियमन हो और उन्हें समाप्त किया जाए।
8. सी.सी.ई. विधि से मूल्यांकन के आधार पर बच्चों को किसी कक्षा में रोक देने की प्रणाली न अपनाई जाए और अपेक्षित संख्या में शिक्षकों तथा आवश्यक सुविधाओं द्वारा उसका समाधान किया जाए।
9. तथाकथित व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर माध्यमिक या अन्य किसी स्तर पर किसी समानान्तर व्यावसायिक विषयों/पाठ्यक्रमों को न चलाया जाए।
10. शिक्षा को कौशल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं किया जाए। शिक्षा को वैश्विक बाज़ार के लिए 'गुलाम एवं कुशल' श्रमशक्ति तैयार करने का उपकरण बनाए जाने वाले नीति आयोग और राष्ट्रीय कौशल विकास के विभिन्न मसविदों को वापस लिया जाए।
11. माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में कोई समानान्तर पाठ्यक्रम न चलाए जाएं।
12. बहुभाषी संदर्भ के अनुसार शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही हो।
13. स्कूलों और कालेजों में पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं उपयोग के लायक बनें।

14. स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति हो। किसी प्रकार की संविदात्मक नियुक्ति या भाड़े का शिक्षण बंद हो।
15. किसी भी स्तर पर छात्रवृत्तियों को समाप्त न किया जाए।
16. प्रवेश एवं नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था पहले की तरह लागू रहे।
17. कालेजों और विश्वविद्यालयों में किसी भी प्रकार की शुल्क वृद्धि न की जाए; स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों की प्रणाली बंद हो; सेमेस्टर प्रणाली समाप्त की जाए; किसी प्रकार की क्रेडिट आधारित चयन प्रणाली न चलाई जाए। ; चार सालों का स्नातक प्रोग्राम न चलाया जाए; किसी प्रकार की स्तरीकृत स्वायत्तता न हो और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रतिष्ठा मापन जैसी व्यवस्था समाप्त हो।
18. स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में किसी भी प्रकार का नकारात्मक भेदभाव न हो (जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, अपंगता, भाषा या क्षेत्र आदि किसी भी रूप में)।
19. सार्वजनिक धन से चलने वाले विश्वविद्यालयों को हर तरह से मजबूत किया जाए।
20. उच्च शैक्षिक संस्थाओं में वैचारिक मतभेदों और असहमतियों और लोकतान्त्रिक ढंग के विरोध प्रदर्शन के लोकतान्त्रिक अधिकार को पुनर्स्थापित किया और बनाए रखा जाए।
21. स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में किसी भी प्रकार की पीपीपी पद्धति न हो।
22. कालेजों और विश्वविद्यालयों में शैक्षिक मामलों की स्वायत्तता हो, उन्हें वित्तीय सहायता देने की ज़िम्मेदारी सरकार पर बनी रहे।
23. विशेष प्रतिष्ठा के संस्थाओं के विकास के नाम पर कुछ खास विश्वविद्यालयों और कालेजों का चयन बंद हो; सार्वजनिक वित्त से संचालित सभी शैक्षिक संस्थाओं का समान रूप से विकास हो जिससे कुछ थोड़े से लोगों जो ऊंचे दामों पर शिक्षा खरीद सकते हों उनके बजाय सम्पूर्ण राष्ट्र की गुणवत्ता की क्षमता लहलहा सके।
24. वर्ष 2018 से ही राष्ट्रीय जीडीपी का कम से कम 10% शिक्षा के लिए निर्धारित हो जिसमें पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सम्मिलित है। यह मांग 2006 की तपस मजुमदार समिति की सिफ़ारिशों पर आधारित है, जब तक कि वर्ष 1966 से (कोठारी आयोग की सिफ़ारिशों का वर्ष) राष्ट्रीय जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय करने के सिफ़ारिश को लागू न किए जाने पर वर्ष 2017 तक पैदा हुए अंतर/घाटे को पूरा न कर लिया जाए।
25. शिक्षा का किसी भी स्तर पर कार्पोरेटाइजेशन न किया जाए।
26. शिक्षा का किसी भी स्तर पर केन्द्रीयकरण न किया जाए।
27. शिक्षा का किसी भी स्तर पर सांप्रदायीकरण न किया जाए।
28. लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष, न्यायपूर्ण, मानवीय एवं जागरूक समाज के निर्माण के उद्देश्य से वैज्ञानिक मानस और सांवैधानिक नज़रिए के प्रति निष्ठा को विकसित करने के लिए उत्थानोन्मुख मुक्तिदायी शिक्षण प्रणाली और लोकतान्त्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रमों को व्यवहार में लाया जाए।
29. हमारे संविधान में निहित संघीय ढांचे के अनुरूप शिक्षा के वर्तमान ढांचे को पूरी तरह बनाए रखा जाए जिसमें राज्यों/केंं.शा.क्षे. के अपने नजरिए की नाभिकीय भूमिका बनी रहती है। केंद्र उस पर किसी प्रकार का पाटा न चलाए। यदि यह पाटा चलाया जाता रहा (जैसा कि हाल में तमिलनाडु में 'नीट' को आरोपित किए जाने से प्रकट है) तो सभी राज्य मिलकर शिक्षा को 'राज्य सूची' में वापस डालने की मांग कर सकते हैं।
30. 'ईसीसीई' समेत केजी से पीजी तक सम्पूर्ण सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए जिससे शून्य से 18 वर्ष की आयु तक सभी को आहार और मुफ्त एवं समान शिक्षा प्राप्त हो सके।
31. पड़ोसी स्कूल प्रणाली पर आधारित समान स्कूल व्यवस्था लागू की जाए।
32. देशज विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समान शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए।■

राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों में सलाह-मशविरे के लिए दिशासंकेत और सांगठनिक रूपरेखा

कई उद्देश्यों को प्रस्तावित राज्य विमर्श के केंद्र में रखा जा सकता है। अतः इन्हें विस्तार से यहां नहीं रखा गया है, क्योंकि राज्यों से सम्पर्क अध्यक्ष मंडल, सचिव मंडल एवं अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच के लिए एक अविवादित मुद्दा रहा है। फिर भी यहां कम-से-कम बुनियादी उद्देश्यों को रेखांकित करना आवश्यक होगा। कार्य योजना में हमने आगामी कुछेक महीनों में दो अखिल भारत स्तर पर कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है और कई शैक्षिक मुद्दों पर लगातार राज्यों और जिलों में विकेंद्रीकृत अभियान चलाने की योजना बनाई है। इस प्रकार राज्य-स्तर पर विमर्शों और इसके फलस्वरुप सांगठनिक मजबूती इन निर्णयों को विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के स्थानीय, प्रांतीय और राज्य-स्तर पर लागू कराने हेतु मार्ग प्रशस्त करेगी। अभाशिअम के संघीय ढांचे के अंतर्गत राज्यों के साथ विमर्श का यह मोटा फौरी मकसद है। दूसरा, बहुत हद तक मौजूदा कार्ययोजना का मकसद सरकार के नवउदारवादी और सम्प्रदायिक नीतियों, जो शिक्षा को प्रभावित कर रही है, के साथ लोगों के बीच जाना और एक वैकल्पिक अवधारणा पर बात करना है। 2019 के केंद्र के चुनाव के संदर्भ में यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जब मतदाता एक नये राजनीतिक संघ के बारे में सोचेंगे। इस अभियान को इस परिस्थिति में एक शक्तिशाली दबाव समूह के रुप में कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार यह एक तार्किक अपेक्षा है कि अभाशिअम के तले संघर्षों के विस्तार और मजबूती के लिए राज्यों के साथ विमर्श दीर्घकालिक उद्देश्यों की पूर्ति करेगा।

राज्यों के साथ विमर्श इस प्रकार आयोजित किए जाने चाहिए कि समाज में शिक्षा से जुड़े लोग, कार्यकर्ता और अन्य लोग अच्छी खासी संख्या में इन में शिरकत करें। यह ऐसा समागम होना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी के सदस्य, सलाहकार मंडल के लोग, अभाशिअम के समर्थक जो बाजाफ्ता मंच में नहीं हैं (जिन्होंने अभियान के सहयोगी के रूप में नाम दर्ज़ नहीं किए हैं), वे लोग जो व्यक्तिगत रुप से मंच से जुड़े हुए हैं और अखिल भारत छात्र संघर्ष परिषद से सम्बद्ध हैं और वे लोग जो ऐसे किसी भी तरह के सदस्य संगठन से जुड़े हुए हैं जो अभाशिअम में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन ये लोग व्यक्तिगत रुप से कुछ करने की इच्छा रखते हैं। राज्यों के साथ विमर्श एक व्यापक कार्य होना चाहिए जिसमें शिक्षक, छात्र, कार्यकर्ता, अभिभावक, माता-पिता, कामगार, छोटे-छोटे संगठनों के प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हो सकें।

इस प्रक्रिया को आगे बढाने के लिए अभाशिअम ने कुछेक कार्यक्रम तय किए हैं। इतने से ही काम चलनेवाला नहीं है। ये महज शुरुआती दौर में काम करने के लिए तय किए गये हैं। राज्य स्तर के संगठनकर्ताओं से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपने स्तर से कार्यक्रमों को विस्तार देंगे, किन्तु वे अभाशिअम के विभिन्न दस्तावेजों में सन्निहित मूलभूत सिद्धांतों को ज़हन में रखेंगे। हम अपने समाचार पत्रों, घोषणापत्रों, परचों और समय-समय पर प्रकाशित दस्तावेजों, शिक्षा घोषणा पत्र (2019 के लोक सभा चुनावों के लिए तैयार किया जानेवाला), कार्य योजना, मनानेवाली घटनाओं की तालिब (परिशिष्ट-चार) और अभियान-साथी सदस्यता फार्म (परिशिष्ट - तीन), आदि को स्त्रोत सामग्री के रुप में विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन विमर्शों के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं।

राज्य-स्तरीय समूहों के मुख्य व्यक्तियों को शिक्षा पर विचारोत्पादक विमर्शों को आयोजित करने की शुरुआत करनी चाहिए। इससे सामूहिक गतिविधि का एक नियमित मंच बनेगा और समन्वय समिति की भूमिका भी उजागर होगी। सांगठनिक कोशिशें सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर शिक्षा के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए की जानी हैं। सिर्फ एकता के लिए लोगों को बुलाने से निराशा ही होगी। एकता विमर्श की तार्किक प्रक्रियाओं से पैदा होनी चाहिए जिससे समान विचार के लोग एकजुट हो जाते है।

राज्यों के साथ विमर्श को आयोजित करने के लिए अन्य जवाबदेहियों को क्षेत्र-स्तर (ज़ोनल) और राज्य स्तर पर निर्धारित करने को निर्णय लिया है जिसका पूर्ण विवरण उपलब्ध है। एक ज़ोन के अंतर्गत कई राज्यों के दल के प्रभारी राज्यों के साथ विमर्श के लिए एक ग्रुप के रुप में कार्य करेंगे। गौर करने लायक यह है कि प्रस्तावित व्यक्तियों के खुले छोर की सूची कार्य के तार्किक वितरण और राज्यों के साथ विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रुप में है। अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच के किसी भी स्थायी ढांचे को प्रभावित करने के लिए ये प्रस्तावित समितियाँ या ग्रुप नहीं है। ये बिखरे हुए संघर्षों की एकजुटता, उनके विस्तार और स्थायित्व के लिए हैं। निःसंदेह जिन व्यक्तियों के नाम ज़ोनल चार्ट में हैं, वे राज्यस्तरीय समन्वय समितियों का गठन राज्यों के साथ विमर्श आयोजित करने के उद्देश्य से कर सकते हैं। विमर्शों के दौरान यह तय होगा कि समन्वय समिति स्थायी रुप से राज्य-स्तरीय स्थाई समिति के रुप में कार्य करे और आंदोलन को आगे बढ़ाए।

आंदोलन की एकजुटता और संगठन की संपूर्ण प्रक्रिया की जटिलताओं की मौजूदगी में हमें आगे काम करने के लिए विवेकशीलता, लचीलापन और विविधता को स्वीकार करने की संवेदनशीलता अपनाने की आवश्यकता होगी। हम हमेशा उपर से नीचे थोपी गई चीजों को अस्वीकार करते हुए केन्द्रीय टीम के साथ उन विस्तृत विमर्शों को ध्यान में रखेंगे जिनसे हमें आंदोलन की जटिलताओं को समझने में सहूलियत होगी और हम आंदोलन की पूरी प्रक्रिया को विस्तार और एकजुटता के संदर्भ में समझ सकेंगे। निःसंदेह, नये सदस्यों को पुराने साथियों के साथ विमर्श का लाभ मिलेगा।

एक बार प्रक्रिया अपना लेने के बाद प्रत्येक राज्यों में काम करने वाले समूहों की पहचान हो जाती है जो संघर्ष को राज्य स्तर पर सुदृढ़ करते हैं और समूह के लोग अपने बीच जवाबदेही का निर्धारण कर कार्य को आग बढ़ाते हैं। राज्यस्तर के इस तरह के कार्यों

का आकलन कर राज्यस्तर के संभावित ढाँचे को खड़ा करने में भूमिका अदा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का राज्यस्तरीय संगठन जो अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच के संघीय ढाँचे के प्रतिकूल होगा, स्वीकार्य नहीं होगा। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए विमर्शों के बाद हमें सहमति बनाने के लिए और जल्दबाजी से बचने और समय-सीमा के अन्दर काम करने के लिए ठोस रणनीतियों का सहारा लेना होगा। अंततः हम अपने निणर्यों के समीक्षा अनुभव से सीखे हुए तथ्यों के आधार पर करते हैं। हम बिना जाने, सोचे और समझे कोई भी काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रतिगामी शक्तियां हमसे ज्यादा सक्रिय है।

ऊपर कही गई सारी बातों के अलावा, आनेवाले दिनों में कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विमर्श करेंगे। मौजूदा वक्त में, दो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो व्यावहारिक प्राथमिकताओं के आधार पर तय किय गए हैं जवाबदेहियों का बटवारा और राज्यों में विमर्श के आधार पर संबंधित लोगों और संगठनों से कार्यक्रम की तिथियों का निर्धारण। इन महत्वपूर्ण कार्यों को संघर्ष और संगठन की एकजुटता की संभावित प्रकृति को समझने के नाम पर रोका नहीं जा सकता है।

जवाबदेहियों का विवरणः

प्रस्तावित दिशा निर्देश और जवाबदेहियों के बंटवारे के लिए विवरण दिए गए हैं। ये विवरण अखिल भारत अधिकार मंच की केन्द्रिय समिति का राज्यों के साथ विमर्श, सदस्य संगठनों और सहभागी संगठनों के साथ विमर्श के लिए हैं। इन सारी बातों का विवरण अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच के वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा।■

***नोटः** कार्यकारिणी के बाहर के व्यक्तियों के नाम अभी प्रस्तावित हैं। इनके लिए उनकी सहमति मिलनी बाकी है।*

उत्तर-पूर्व क्षेत्र

राज्य	रा.का. के सदस्य (सिवाय अध्यक्ष मंडल व सचिव मंडल के)	रा. का. से बाहर के लोग	सचिव मंडल सदस्य (क्षेत्र से)	सचिव मंडल द्वारा सम्पर्क	अध्यक्ष मंडल प्रतिनिधि
असम	डॉ. दिनेश बैश्य श्री देबाशीष दत्ता	प्रो. इन्द्राणी दत्ता	कॉ. सुर्जीत सिंह थॉकचॉम	कॉ. सुर्जीत सिंह थॉकचॉम	प्रो. ज़्हात्सु तर्हूजा
मणिपुर	श्री सुरेश थॉकचॉम				
मेघालय	सुश्री ज्लिना कुर्कलांग				
नागालैण्ड					
अरुणाचल प्रदेश					
त्रिपुरा					
मिज़ोरम					

सम्पर्क विवरण

क्र.	नाम	फ़ोन	ईमेल
1	डॉ. दिनेश बैश्य	9864020112	baishya.dinesh@rediffmail.com
2	श्री देबाशीष दत्ता	09435125701	debasish_dutta03@rediffmail.com
3	श्री सुरेश थॉकचॉम	08974390555	thoksuresh1983@gmail.com
4	सुश्री ज्लिना कुर्कलांग	09862057169	kurkalang.jlina@gmail.com
5	प्रो. इन्द्राणी दत्ता	9435194718	indranee.dutta@gmail.com
6	कॉ. सुर्जीत सिंह थॉकचॉम	09856087035	ssthokchom@gmail.com
7	प्रो. ज़्हात्सु तर्हूजा	09862667122	zhatsohumtsoe@gmail.com

पूर्व क्षेत्र

राज्य	रा.का. के सदस्य (सिवाय अध्यक्ष मंडल व सचिव मंडल के)	रा. का. से बाहर के लोग	सचिव मंडल सदस्य (क्षेत्र से)	सचिव मंडल द्वारा सम्पर्क	अध्यक्ष मंडल प्रतिनिधि
ओडिशा	श्री लिंगराज	कॉ. शिवराम		कॉ. रमेश पटनायक	डॉ. मेहर इंजीनियर
प० बंगाल	सुश्री बर्नाली मुखर्जी श्री कमल बनर्जी/श्री रंजीत राय, डॉ प्रदीप दास गुप्ता				
झारखण्ड	डॉ. चंद्रभूषण चौधरी श्री मोहन प्रकाश				
सिक्किम					

सम्पर्क विवरण

क्र.	नाम	फोन	ईमेल
1	श्री लिंगराज	09437056029	lingaraj.sjp@gmail.com
2	सुश्री बर्नाली मुखर्जी	09007548586/09433119768	barnali35@gmail.com
3	डॉ. चंद्रभूषण चौधरी	09431105585	cbchoudhary@gmail.com
4	श्री कमल बनर्जी	09475809287	kkb_jpg@yahoo.co.in
5	श्री मोहन प्रकाश	09431105908	mpduty@gmail.com
6	श्री रंजीत राय	09735060909	royranjit7@gmail.com
7	डॉ. प्रदीप दास गुप्ता	9422252791	pkd.1955@gmail.com
8	कॉ. शिवराम	9668844555/9437108820	ml.sivaram@gmail.com
9	कॉ. रमेश पटनायक	09440980396	drameshptk@gmail.com
10	डॉ. मेहर इंजीनियर	09903008603	mengineer2003@gmail.com

उत्तर - एक क्षेत्र

राज्य	रा.का. के सदस्य (सिवाय अध्यक्ष मंडल व सचिव मंडल के)	रा. का. से बाहर के लोग	सचिव मंडल सदस्य (क्षेत्र से)	सचिव मंडल द्वारा सम्पर्क	अध्यक्ष मंडल प्रतिनिधि
उत्तर प्रदेश	प्रो. महेश विक्रम श्री ब्रजेश यादव श्री अफ़लातून प्रो. डी.डी. दुबे डॉ. राकेश सिंह, श्री मनोज त्यागी	श्री ज़फ़र बख्त, इलाहाबाद सुश्री रोमा मलिक, (एआइयुएफडब्ल्यु, सोनभद्र ज़िला)	डॉ. स्वाति	डॉ. स्वाति	डॉ. अनिल सद्गोपाल
बिहार	श्री नवेन्दु प्रियदर्शी सुश्री कामायनी श्री गौतम प्रीतम, श्री शाहिद कमाल श्री आशुतोष कुमार राकेश डॉ. अनिल कुमार राय डॉ. जी. शंकर, श्री सुरेश प्रसाद डॉ. भोला पासवान (महासचिव, बीएपीएसएस)	श्री राजेन्द्र राजन, प्रगतिशील लेखक संघ, बेगुसराय	डॉ. स्वाति	डॉ. स्वाति	डॉ. अनिल सद्गोपाल
उत्तराखंड	श्री त्रेपन सिंह चौहान श्री नवेन्दु मठपाल		डॉ. स्वाति	डॉ. स्वाति	डॉ. अनिल सद्गोपाल

सम्पर्क विवरण

क्र.	नाम	फ़ोन	ईमेल
1	प्रो. महेश विक्रम	9415353120	mvs276@gmail.com
2	श्री ब्रजेश यादव	9936838937	05bri78@gmail.com
3	श्री अफ़लातून	08004085923	aflatoon@gmail.com
4	प्रो. डी.डी. दुबे	09453362949/05452-52538(O) 05452-252272(R)	dddubey2003@gmail.com
5	डॉ. राकेश सिंह	09918641913	shikshak14@gmail.com
6	श्री मनोज त्यागी	09415279612	azadi.bachao.andolan@gmail.com
7	श्री ज़फ़र बख्त	9839054009/ 9415252970	zafarbakht@gmail.com
8	सुश्री रोमा मलिक	9451066468, 9415233583	romasnb2013@gmail.com
9	श्री नवेन्दु प्रियदर्शी	9835441750	inavendu@gmail.com
10	सुश्री कामायनी	09771950248	kamayani02@yahoo.com
11	श्री गौतम प्रीतम	09534348694	gautamkumarp848@gmail.com
12	श्री शाहिद कमाल	09835067418	shahidkamal1954@rediffmail.com
13	श्री आशुतोष कुमार राकेश	09431073010	ashutosh.rakesh@gmail.com
14	डॉ. अनिल कुमार राय	9934036404	dranilkumarroy@gmail.com
15	डॉ. जी शंकर	7992453895	g.shankar.begusarai@gmail.com
16	श्री सुरेश प्रसाद	9199367344	
17	डॉ. भोला पासवान	09304430031 / 08544091666	bholapaswan60@gmail.com
18	श्री राजेन्द्र राजन	9471456304/9263394316	
19	डॉ. स्वाति	9450823732	swatid@gmail.com
20	डॉ. अनिल सद्गोपाल	09425600637	anilsadgopal@yahoo.com
21	श्री त्रेपन सिंह चौहान	09411143539	trepansingh@gmail.com
22	श्री नवेन्दु मठपाल	09410373108	navendu.mathpal@gmail.com

उत्तर – दो क्षेत्र

राज्य	रा.का. के सदस्य (सिवाय अध्यक्ष मंडल व सचिव मंडल के)	रा. का. से बाहर के लोग	सचिव मंडल सदस्य (क्षेत्र से)	सचिव मंडल द्वारा सम्पर्क	अध्यक्ष मंडल प्रतिनिधि
जम्मू व कश्मीर	श्री धीरज (पीएसए)	श्री माणिक (पीएसए)		श्री नरभिन्दर सिंह	प्रो. मधु प्रसाद
पंजाब	कॉ. कंवलजीत खन्ना श्री हरचन्द भिन्डर श्री नरभिन्दर सिंह	प्रो. जगमोहन सिंह			
हरियाणा	डॉ. राजेन्द्र शर्मा सुश्री कविता विद्रोही; डॉ. कुश				
राजस्थान	श्री डी.एस. पालीवाल श्री उपेन्द्र शंकर				

सम्पर्क विवरण

क्र.	नाम	फ़ोन	ईमेल
1	श्री धीरज (पीएसए)	09797711311	ddheeraj05@gmail.com
2	कॉ. कंवलजीत खन्ना	09417067344	kanwaljeetkhanna@gmail.com
3	श्री हरचन्द भिन्डर	09417923785	harchandbhinder@yahoo.in
4	श्री नरभिन्दर सिंह	09354430211	narbhindersh@gmail.com
5	डॉ. राजेन्द्र शर्मा	09215545571/09729915178	rajendersharma438@gmail.com
6	सुश्री कविता विद्रोही	09729213056	kavita.kkr08@gmail.com
7	डॉ. कुश	7065457100	choudhary.kush11@gmail.com
8	श्री डी.एस. पालीवाल	09352509395	dspaliwal@gmail.com
9	श्री उपेन्द्र शंकर	757088300	shankerupendra@gmail.com
10	प्रो जगमोहन सिंह	09814001836	jagmohan.info@gmail.com
11	श्री माणिक	9906320212	revoman@rediffmail.com
12	प्रो. मधु प्रसाद	09891234299	madhuchopra@hotmail.com

मध्य क्षेत्र

राज्य	रा.का. के सदस्य (सिवाय अध्यक्ष मंडल व सचिव मंडल के)	रा. का. से बाहर के लोग	सचिव मंडल सदस्य (क्षेत्र से)	सचिव मंडल द्वारा सम्पर्क	अध्यक्ष मंडल प्रतिनिधि
छतीसगढ़	कॉ. सौरा यादव श्री जनकलाल ठाकुर श्री डिग्री चौहान (क्रांतिकारी शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि)	कॉ. सुधा भारद्वाज सुश्री रिनचिन सुश्री श्रेया	कॉ. लोकेश मालती प्रकाश	कॉ. लोकेश मालती प्रकाश	प्रो. वसी अहमद
मध्यप्रदेश	सुश्री माधुरी श्री डी.डी. वासनिक सुश्री शशि मौर्य कॉ. विजय कुमार श्री शाहिद-उल-हुसैनी डॉ. संजय शर्मा	श्री ज़ुबैर अहमद, भोपाल प्रो. एस. ज़ेड. हैदर, भोपाल श्री गौरव जायसवाल, सिवनी श्री प्रियंक जैन, उज्जैन			

संपर्क विवरण

क्र.	नाम	फ़ोन	ईमेल
1	कॉ. सौरा यादव	09425560954	saurayadav_cpiml@yahoo.com
2	श्री जनकलाल ठाकुर	09424107557	saibal.jana@gmail.com
3	श्री डिग्री चौहान	08889326269	chouhandprasad@gmail.com
4	सुश्री माधुरी	09179753640	madhuri.jads@gmail.com
5	श्री डी.डी. वासनिक	09424316360	wasnikdd@gmail.com
6	सुश्री शशि मौर्य	09893068631	shashimourya1952@gmail.com
7	कॉ. विजय कुमार	08989110200	vkumar2050@gmail.com
8	श्री शाहिद-उल-हुसैनी	09301569380	schooltodayhindimasik@gmail.com
9	डॉ. संजय शर्मा	09993859878	sanjaycasi@gmail.com
10	कॉ. सुधा भारद्वाज	9926603877	advocatesudhabharadwaj@gmail.com
11	सुश्री रिनचिन	09425377349	rinchin@gmail.com
12	सुश्री श्रेया	84354 42650	shreyakhemani@hotmail.com
13	श्री ज़ुबैर अहमद	8982605339	zubairmedusa@gmail.com

क्र.	नाम	फ़ोन	ईमेल
14	प्रो एस.ज़ेड. हैदर	9300860018	szhaiderta@gmail.com
15	श्री गौरव जायसवाल	9826835066/7000820445	gourav1009@gmail.com
16	श्री प्रियंक जैन	9404078674	priyanksamagra@gmail.com
17	कॉ. लोकेश मालती प्रकाश	09407549240	lokeshmaltiprakash@gmail.com
18	प्रो. वसी अहमद	09204949034/9031040561	ashutosh.rakesh@gmail.com wasi.ahmed1511@gmail.com
19	प्रो. अनिल सद्गोपाल	09425600637	anilsadgopal@yahoo.com

दक्षिण - एक क्षेत्र

राज्य	रा.का. के सदस्य (सिवाय अध्यक्ष मंडल व सचिव मंडल के)	रा. का. से बाहर के लोग	सचिव मंडल सदस्य (क्षेत्र से)	सचिव मंडल द्वारा सम्पर्क	अध्यक्ष मंडल प्रतिनिधि
केरल	डॉ. गोपा कुमार श्री पी मुरलीधरण श्री नारायणन श्री जोशी जैकब		डॉ. वी. प्रसाद कॉ. प्रिंस गजेन्द्र बाबू	डॉ. वी. प्रसाद	प्रो. जी. हरगोपाल
तमिलनाडु	श्री आई.पी. कनकसुन्दरम	प्रो. रामानुजम डॉ. सी. एस. रेक्स सरगुणम			

सम्पर्क विवरण

क्र.	नाम	फ़ोन	ईमेल
1	डॉ. गोपा कुमार	09744498576	sreegopan@gmail.com
2	श्री पी. मुरलीधरण	09442521027	muralimashkavivellur@gmail.com
3	श्री नारायणन	08547146191	tnarayanan05@gmail.com
4	श्री जोशी जैकब	09447347230	joshyjacobadv@gmail.com
5	श्री आई.पी. कनकसुन्दरम	09443386057	ipk_1941@yahoo.co.in
6	प्रो रामानुजम	044 2448 8138 (R)/ 044 2254 3269 (O)	onlyjam@gmail.com
7	डॉ. सी.एस. रेक्स सरगुणम	94440 46347	csrexsargunam@yahoo.co.in
8	डॉ. वी. प्रसाद	09650469650	prasaddoctor@gmail.com
9	कॉ. प्रिंस गजेन्द्र बाबू	044-28341456 / 044-28443660	spcsstn@gmail.com
10	प्रो. जी. हरगोपाल	09989021741	profharagopal@gmail.com

दक्षिण - दो क्षेत्र

राज्य	रा.का. के सदस्य (सिवाय अध्यक्ष मंडल व सचिव मंडल के)	रा. का. से बाहर के लोग	सचिव मंडल सदस्य (क्षेत्र से)	सचिव मंडल द्वारा सम्पर्क	अध्यक्ष मंडल प्रतिनिधि
कर्नाटक	डॉ. एच.वी. वसु श्री हफिज़ुल्लाह प्रो. पंडिताअराध्या	डॉ. निरंजनअराध्या वी.पी. श्री देवानुरु महादेवा सुश्री इंदिरा कृष्णाप्पा	कॉ. श्रीपाद भट्ट सुश्री मल्लिगे श्री रमेश पटनायक डॉ. एम. गंगाधर डॉ. हरजिंदर सिंह 'लाल्टू' श्री कौशिक टेकुर	कॉ. श्रीपाद भट्ट	प्रो. के. चक्रधर राव
आंध्र प्रदेश	श्री एन.वी. रमनैय्या श्री वाइ. सत्यम श्री सुरेन्दर रेड्डी बांडा श्री सी.एस.आर प्रसाद श्री के. सुब्बारेड्डी				
तेलंगाना	श्री सुरेन्दर रेड्डी बांडा श्री सी. बाबू राव डॉ. के. लक्ष्मीनारायणा श्री के. नारायणा श्री के. रविचन्दर श्री के. नरसिम्हा रेड्डी सुश्री मीरा संघमित्रा				

सम्पर्क विवरण

क्र.	नाम	फ़ोन	ईमेल
1	डॉ. एच.वी. वसु	09945516267	vasukjv@gmail.com
2	श्री हफिज़ुल्लाह	09448302969	hafeez_bgvs@yahoo.com
3	प्रो. पंडिताअराध्या	09448481402	panditaradhya@gmail.com
4	श्री एन.वी. रमनैय्या	9490142680	navera1964@gmail.com
5	श्री सुरेन्दर रेड्डी बांडा	09989455555	bandasurendhar@gmail.com
6	श्री सी.एस.आर प्रसाद	09885446750	csrprasad1947@gmail.com
7	श्री के. सुब्बारेड्डी	09440351683	subbareddy.aptf@gmail.com
8	श्री सी. बाबूराव	09885067660	barathkumarcheladi@gmail.com
9	डॉ. के. लक्ष्मीनारायणा	09441219028	klnhcueco@gmail.com
10	श्री के.नारायणा	09440535349	konjarlan@gmail.com
11	श्री के. रविचन्दर	09848333926	ravichanderk@rediffmail.com
12	श्री ए. नरसिम्हा रेड्डी	09866859701	anraptf@yahoo.com
13	सुश्री मीरा संघमित्रा	7337478993	meeracomposes@gmail.com
14	डॉ. निरंजनअराध्या वी.पी.	9448986913	aradhyaniranjan@hotmail.com
15	श्री देवानुरु महादेवा	9060317065 / 9481819784	mahadevanoor@gmail.com
16	सुश्री इंदिरा कृष्णाप्पा	9739032600	indirakrishnappa6@gmail.com
17	कॉ. श्रीपाद भट्ट	09880453799	shripad.budi@gmail.com
18	सुश्री मल्लिगे	8892939771	malligesmv@gmail.com
19	श्री रमेश पटनायक	09440980396	drameshptk@gmail.com
20	डॉ. एम. गंगाधर	09440414073	manchalagangadhar@gmail.com
21	डॉ. हरजिंदर सिंह 'लाल्टू'	09966878063	laltu10@gmail.com
22	श्री कौशिक टेकुर	7871970969	kaushiktekur@gmail.com
23	प्रो. के. चक्रधर राव	09490148785 / 040-27207705	chraok@gmail.com
24	श्री वाई. सत्यम	9440345150	satyamyejjipurapu6@gmail.com

पश्चिम क्षेत्र

राज्य	रा.का. के सदस्य (सिवाय अध्यक्ष मंडल व सचिव मंडल के)	रा. का. से बाहर के लोग	सचिव मंडल सदस्य (क्षेत्र से)	सचिव मंडल द्वारा सम्पर्क	अध्यक्ष मंडल प्रतिनिधि
महाराष्ट्र	कॉ. श्याम सोनार डॉ. सुगन बरंथ श्री अभय टकसाल श्री अभिजीत डॉ. दिलीप चव्हाण सुश्री सिमंतिनी धुरू श्री नीरज जैन डॉ. शरद जावड़ेकर श्री बुद्धप्रिय कबीर सुश्री अविषा कुलकर्णी श्री अरविन्द वैद्य डॉ. मिलिन्द वाघ प्रो. वंदना सोनालकर सुश्री सुहास कोल्हेकर श्री दत्ता धगे श्री सुधाकर सावंत	श्री अजमल खान श्री विक्रम पाटिल	कॉ. रमेश बिजेकर	कॉ. रमेश बिजेकर कॉ. कौशिक टेकुर	श्री प्रभाकर अराडे प्रो. अनिल सद्रोपाल
गुजरात	डॉ. विक्रम अमरावत डॉ. अमरेन्द्र पाण्डे डॉ. धनंजय राय	प्रो. सुदर्शन आयंगर श्री सुखदेव पटेल			
गोवा					प्रो. आनंद तेलतुम्बड़े

संपर्क विवरण

क्र.	नाम	फ़ोन	ईमेल
1	कॉ. श्याम सोनार	08080829499	shyam.panther@gmail.com
2	डॉ. सुगन बरंथ	09422252791	nayeetaleem.75@gmail.com
3	श्री अभय टकसाल	09850009665	abhay.taksal.aisf@gmail.com
4	श्री अभिजीत	09423507864	abhijit13@gmail.com
5	डॉ. दिलीप चव्हाण	09049938125/ 09420641519	dilipchavan@gmail.com
6	सुश्री सीमंतिनी धुरू	09820528030	simantinidhuru@gmail.com
7	श्री नीरज जैन	09422220311	neerajj61@gmail.com
8	डॉ. शरद जावड़ेकर	08149445526	sharadjavadekar@gmail.com absasindia1995@gmail.com
9	श्री बुद्धप्रिय कबीर	09372720001	buddhaandsujata@gmail.com
10	सुश्री अविषा कुलकर्णी	09821524455	avisha@yahoo.com
11	श्री अरविन्द वैद्य	09969921981	arvindvaidya0303@gmail.com
12	डॉ. मिलिन्द वाघ	09423964966	drmilindwagh@gmail.com
13	प्रो वंदना सोनालकर	9819576733	wsonalkar@gmail.com
14	सुश्री सुहास कोलेकर	9422986771	kolhekar.suhas@gmail.com
15	श्री दत्ता धगे	9225805233	datta.dhage1@gmail.com
16	श्री सुधाकर सावंत	9423286997	sawantsudhakar555@gmail.com
17	श्री अजमल खान	7666842809	atajmalnat@gmail.com
18	श्री विक्रम पाटिल	9028774670	7vikram2@gmail.com
19	कॉ. रमेश बिजेकर	09665054345 / 8275948977	ramesh.bijekar@gmail.com
20	श्री कौशिक टेकुर	7871970969	kaushiktekur@gmail.com
21	श्री प्रभाकर अराडे	09421970000	ardentview@yahoo.co.in
22	प्रो. अनिल सद्गोपाल	09425600637	anilsadgopal@yahoo.com
23	डॉ. विक्रम अमरावत	08128293711 / 9512176710	vsamarawat@gmail.com
24	डॉ. अमरेन्द्र पाण्डे	08490046496	amarendrabaroda@gmail.com
25	डॉ. धनंजय राय	08347611828/ 09811443193	jnudhananjayrai@gmail.com
26	प्रो. सुदर्शन आयंगार	9898636916	sudarshan54@gmail.com
27	श्री सुखदेव पटेल	9825012036	sukhdev.guj@gmail.com

दिल्ली क्षेत्र

रा.का. के सदस्य (सिवाय अध्यक्ष मंडल व सचिव मंडल के)	सचिव मंडल सदस्य (क्षेत्र से)	सचिव मंडल द्वारा सम्पर्क	अध्यक्ष मंडल प्रतिनिधि
डॉ. विकास बाजपेयी, डॉ. मृगांक डॉ. राधिका मेनन, श्री रवि राय, डॉ. प्रेम सिंह डॉ. सरवत अली, प्रो. अजीत झा, डॉ. रवि कुमार डॉ. शिवानी नाग, डॉ. मोहित पाण्डे सुश्री दीपी पाठक, सुश्री आयुषी रावत डॉ. एन. सचिन, श्री फ़िरोज़ अहमद छात्र/युवा/अन्य सदस्य-संगठनों के प्रतिनिधिगण (AISF, AISA, AIRSO, Disha, Pachhas, PDSU, SYS, VYS, Sambhavana)	डॉ. विकास गुप्ता कॉ. प्रेमचन्द	कॉ. प्रेमचन्द डॉ. एन. सचिन	प्रो. के.एम. श्रीमाली प्रो. मधु प्रसाद **अध्यक्ष मंडल के विशेष आमंत्रित सदस्यः** प्रो. अनिल सद्गोपाल प्रो. जी. हरगोपाल प्रो. आनंद तेलतुम्बड़े

राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर के लोग

प्रो. रुक्मिणी सेन	प्रो. वीरामणि	श्री मुलायम सिंह यादव	कॉ. ओम	प्रो. एन. रघुराम
कॉ. चेपल शेरपा	कॉ. सुभाषिनी	श्री ईश्वर	श्री दीपक ढोलकिया	प्रो. मनप्रीत कंग
कॉ. प्रतिम	कॉ. आलोक	सुश्री अस्मिता	श्री आर.एम. मोहला	प्रो. गोपीनाथ रविन्द्रन
कॉ. सुशील	श्री राकेश रंजन	सुश्री मधुरिमा	श्री ब्रिजेश	प्रो. शिखा कपूर
श्री भागवत स्वरूप	सुश्री सांभवी	श्री इकबाल अभिमन्यु	प्रो. एन. सुकुमार	प्रो. बी.एस. सारस्वत
प्रो. नंदिता नारायण	श्री प्रबुद्ध सिंह	श्री राजेश मिश्र	सुश्री मेघना अरोड़ा	प्रो. अजय माहुरकर
प्रो. विवेक सचदेवा	कॉ. विक्रम	श्री सुरेंद्र सिंह	डॉ. सी. सदाशिव	प्रो. पूनम भूषण
प्रो. आयशा किदवई	कॉ. सुनंद	कॉ. नीलगगन सिंह	प्रो. अनूप धर	प्रो. विपिन त्रिपाठी
प्रो. मोहिन्दर सिंह	प्रो. हनी बाबू	कॉ. रतन	प्रो. गोपाल प्रधान	प्रो. संजीव प्रसाद
प्रो. प्रदीप शिंदे	श्री अनुप बाली	कॉ. जहांगीर	डॉ. मानसी थपलियाल	प्रो. मनीष जैन
सुश्री पुष्पा	श्री दीपक	श्री एच.के.भट्टाचार्य	डॉ. राजरानी	कॉ. पराग
श्री अमर सिंह	श्री गौरव	डॉ. नवीन गौर	डॉ. संजय	सुश्री ईशा

राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों और सदस्य संगठनों के सम्पर्क :

नाम	फ़ोन	ईमेल
डॉ. विकास बाजपेयी	09268708291	drvikasbajpai@gmail.com
डॉ. मृगांक	09268708291	mrigankp1@gmail.com
डॉ. राधिका मेनन	09868038981	radhikamenon1@gmail.com
श्री रवि राय	09869661628	aisahq@gmail.com
डॉ. प्रेम सिंह	09873276726/011-22371220	drpremsingh@rediffmail.com
डॉ. सरवत अली	09810525317	ali.sarwat@gmail.com
प्रो. अजीत झा	09868920697	ajitjha801@gmail.com
डॉ. रवि कुमार	09818659770	ravi@soc.sau.ac.in
डॉ. शिवानी नाग	09968800983	shivani.nag@gmail.com
श्री मोहित पांडे	09717571771	mohitpandey21@gmail.com
सुश्री दीपी पाठक	09818261977/011-27252413	dipipathak@yahoo.com
सुश्री आयुषी रावत	09810389118	ayushirawat@hotmail.com
श्री फ़िरोज़ अहमद	09911612445	firozteacher@gmail.com
डॉ. एन. सचिन	09868121122	nsachin05@gmail.com
डॉ. विकास गुप्ता	09818193875	vikasedu@gmail.com
कॉ. प्रेमचंद	09868434175	comprem65@gmail.com
प्रो. के. एम. श्रीमाली	09899156204	kmshrimali@yahoo.com
प्रो. मधु प्रसाद	09891234299	madhuchopra@hotmail.com
ऑल इंडिया स्टूडेंट फ़ेडेरेशन AISF (All India Students Federation)	कॉ. बिश्वजीत कुमार 8467896251	vishwajeetkumar609@gmail.com
ऑल इंडिया स्टूडेंटस् एसोसिएशन AISA (All India Students Association)	कॉ. सुचेता डे, 09869383692 कॉ. नीरज, 09013757372	suchetade@gmail.com niraj.liberation@gmail.com
ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी स्टूडेंटस् ऑर्गनाइज़ेशन AIRSO (All India Revolutionary Students Org.)	कॉ. सायान, 09717223590	massestoiling@gmail.com
दिशा छात्र संगठन (Disha Chhatra Sangathan)	कॉ. बेबी, 09899688073	babykumari52@gmail.com disha.du@gmail.com
परिवर्तनकामी छात्र संगठन PACHHAS (Parivartankami Chhatra Sanghathan)	कॉ. दीपक, 09650170246	deepak.pachhas@gmail.com
प्रोगेसिव एंड डेमोक्रेटिक स्टूडेंटस् यूनियन PDSU (Progressive & Democratic Students Union)	डॉ. मृगांक 09268708291 डॉ. विकास वाजपेयी	mrigankp1@gmail.com
समाजवादी युवजन सभा SYS (Socialist Yuvjan Sabha)	श्री नीरज, 09911970162 सुश्री बंदना पांडे, 09968456838,	niraj.sarokar@gmail.com bandanapandey@gmail.com
विद्यार्थी युवजन सभा VYS (Students Yuvjan Sabha)	श्री इकबाल अभिमन्यु, 09013002488	iqbalbalu@gmail.com
संभावना (Sambhavana)	डॉ. निखिल जैन, 9818021880, श्री विराज काफिले, 9717373322	sambhavana.group@gmail.com virajkafle@gmail.com

राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाहर के लोगों के संपर्क :

नाम	सम्बद्धता	फ़ोन	ईमेल
प्रो. रुक्मणि सेन	Ambedkar University Teachers Association (AUDTA)	9013503666	rukmini@aud.ac.in
कॉ. चेपल शेरपा	Bhagat Sing Ambedkar Students Organisation (BASO) JNU	9818060702	chepal10@gmail.com
कॉ. प्रतीम	Democretic Students Forum (DSF)	8826904714	ghosal.pratim@gmail.com
कॉ. सुशील	Democretic Students Union (DSU)	9953711068	skkumarsushil01@gmail.com
श्री भागवत स्वरूप	Government School Teachers Association (GSTA)	09811379090	bhagwatswaroop15@gmail.com
प्रो. नंदिता नारायण	Delhi University (DU)	9971784104	nanditanarain@gmail.com
प्रो. विवेक सचदेवा	Indra Prastha University	8826250973	viveksachdeva09@gmail.com
प्रो. आयशा किदवई	JNU	9968655009	ayesha.kidwai@gmail.com
प्रो. मोहिंदर सिंह	JNU	9868172876	mohinder.du@gmail.com
प्रो. प्रदीप शिंदे	JNU	8527849783	pradeeppradeeplse@hotmail.com
प्रो. वीरामणी	Jamia Millia Islamia	8800180690	veerajamia@gmail.com
कॉ. सुभाषिनी	COLLECTIVE	8588009793	shriya.subhashini@gmail.com
कॉ. आलोक	Krantikari Yuva Sangthan (KYS)	9313730069	alok_history@rediffmail.com
श्री राकेश रंजन	NOWRUZ	9868500456	wenowruz@gmail.com rakesh343@yahoo.co.in
सुश्री संभावी	Pinjara Tod campaign JNU	9540339809	pinjratod@gmail.com
श्री प्रबुद्ध सिंह	Progressive Students Group, SAU	08285364175	prabudhsingh7@gmail.com
कॉ. विक्रम	Students Federation of India, SFI	09418484418	proletariatvs@gmail.com
कॉ. सुनंद	SFI	9555373853	sunands1@gmail.com
प्रो. हनी बाबू	Samajik Nyay Morcha, SNM	9811971166	hanybabu@gmail.com

. . .जारी

नाम	सम्बद्धता	फ़ोन	ईमेल
श्री अनूप बाली	Progressive & Democratic Student Community, AUD	88602 73307	anupbali350@gmail.com
श्री मुलायम सिंह यादव	United OBC Forum JNU	07838531263	mulayamsingh.88@gmail.com
श्री ईश्वर	AUD	9711178547	eathampi.15@stu.aud.ac.in
सुश्री अस्मिता	AUD	9818487767	asmita.sharma0689@yahoo.com
सुश्री मधुरिमा	AUD	9818076409	madhuk.2004@gmail.com
श्री इकबाल अभिमन्यु	Vidhyarthi Yuvjan Sabha, VYS	9013002488	iqbalbalu@gmail.com
श्री सुरेंद्र सिंह	Youth for Social justice	9312729540	ssmahaan@gmail.com
कॉ. नीलगगन सिंह	DYFI	?	neelgagan.singh@gmail.com
कॉ. रतन	DYFI	9313289092	rtnkumar50@gmail.com
कॉ. जहांगीर	DYFI	8800952989	aman4younall@gmail.com
कॉ. ओम	Revolutionary Youth Association, RYA	9013596196	omprasad14@gmail.com
श्री दीपक ढोलकिया	-	9818848753,	dipak.dholakia@gmail.com
श्री आर. एम. मोहला	-	9871009659,	rmmohlacal@gmail.com
प्रो. एन. सुकमार	DU	9968058907,	suku69@yahoo.com
सुश्री मेघना अरोड़ा	Sabki Library	8860022752;	meghana.arora@gmail.com
प्रो. अनूप धर	AUD	9818883657	anup@aud.ac.in
प्रो. गोपाल प्रधान	AUD	9560375988	gopaljeepradhan@gmail.com
डॉ. मानसी थपलियाल	AUD	9810499097	manasi@aud.ac.in
प्रो. एन. रघुराम	Indra Prastha University	9891252943	raghuram98@hotmail.com
प्रो. मनप्रीत कंग	Indra Prastha University	9818137477	manpreetkang.ipu@gmail.com
प्रो. गोपीनाथ रवींद्रन	Jamia Milia	9818006408	sanjivap@gmail.com
प्रो. शिखा कपूर	Jamia Milia	9818530128	kapur.shikha@rediffmail.com
प्रो. बी. एस. सारस्वत	IGNOU	9868280488	bssaraswat@ignou.ac.in
प्रो. अजय माहुरकर	IGNOU	9717046766	ajaymahurkar@hotmail.com
प्रो. पूनम भूषण	IGNOU	9013575877	poonambhushan14@gmail.com
प्रो. विपिन त्रिपाठी	IIT-Delhi	9717309263	tripathivipin@yahoo.co.in
प्रो. संजीव प्रसाद	IIT-Delhi	9868212199	sanjivap@gmail.com
प्रो, मनीष जैन	AUD	?	manish@aud.ac.in
सुश्री पुष्पा	BLSM	8800631852	pushpa.rti@gmail.com
श्री दीपक	PCS	9650170246	
श्री एच. के. भट्टाचार्य	DU	9818544747	hirenderb@gmail.com
डॉ. राजरानी	DU	9953736392	rajrani.du@gmail.com
श्री राजेश मिश्रा	LSM	9968716544	rajeshmishraedu@gmail.com
सुश्री ईशा	LSM	8860857791	
श्री गौरव	LSM	9350508165	
डॉ. सी. सदाशिव	DU	9312795253	Dr.psadassiva@gmail.co
डॉ. नवीन गौर	DU	9891239213	Gaur.nav@gmail.com
डॉ. संजय	St. Stephens Collage	9868240689	sanjaysudha98@yahoo.co.in
श्री ब्रिजेश	-	9873952952	chaursia.brijesh@gmail.com
श्री अमर सिंह	Delhi University SC/ST Employees Association	9350064144	amar2012sing@gmail.com
कॉ. पराग	Collective, JNU	09205736431/09013472380	paragbanerje@gmail.com

मशविरे में शामिल सहयोगी साथियों की राज्य-वार सूची तैयार की जा रही है। अपडेट की हुई पूरी सूची के लिए अभाशिअम के वेबसाइट पर जाएं। लिंक यह है - http://aifrte.in/POA-June-2018-May-2019

अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच (अभाशिअम)

'अभियान साथी' सदस्यता फ़ॉर्म

1 नाम ----------

2. व्यवसाय / नौकरी / पद ----------

3. पता ----------

----------जिला----------पिन ---------- राज्य ----------

4. फ़ोन ---------- मोबाइल ---------- ह्वाट्सऐप ----------

5. ईमेल ----------

मैं अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच के निम्नलिखित सिद्धांतों का समर्थन करती/ करता हूं, और अभियान में साथी के रूप में काम करना चाहती/ चाहता हूं -

1. शिक्षा का उद्देश्य विविधता, बहुलता व बराबरी पर आधारित लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, न्यायपूर्ण, प्रबुद्ध और मानवीय समाज बनाने में योगदान करना है।

2. भारत के हर बच्चे, किशोर और युवा को शिक्षा मुहैय्या कराना राज्य की संवैधानिक जवाबदेही है और इसमें वर्ग, जाति, जेंडर, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, भाषा व विकलांगता के आधार पर या किसी भी और तरह के भेदभाव के लिए रंचमात्र भी जगह नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में उत्पीड़ित, वंचित और विकलांगों के लिए सामाजिक न्याय मूलभूत रूप से समाहित होना चाहिए।

3. यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह देशभर में पूर्णतः सरकारी खर्च से चलनेवाली और पूरी तौरपर मुफ़्त व शिक्षा के माध्यम बतौर बहुभाषी माहौल में मातृभाषा-आधारित, 'केजी से पीजी' तक हर स्तर पर समान शिक्षा व्यवस्था स्थापित करे जिसमें पेशेवर तालीम और शोध भी शामिल हो। इसमें पड़ोसी स्कूल की अवधारणा पर आधारित समान स्कूल व्यवस्था भी है, जिसे लोकतांत्रिक, संघीय और सहभागी तरीके से चलाया जाए ताकि उसमें विषमताएं न रहें और ज़्यादा से ज़्यादा विविधताएं हों।

4. शिक्षा में साम्प्रदायिकता, बहुसंख्यकवाद (अक्सरियत) या वर्ग, जाति, जेंडर, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, भाषा और 'मानक शरीर' के आधार पर किसी भी तरह के वर्चस्व के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। इसके साथ, ना ही इसमें भारत की समृद्ध विविधता को नकारने, कमतर करने या विकृत करने के लिए कतई कोई गुंजाइश है।

5. अभाशिअम, शिक्षा में धंधा और मुनाफ़ाखोरी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई), अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद या सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) के पक्ष में बने सभी कानूनों और नीतियों को खारिज करता है। साथ ही, शिक्षा के किसी भी चरण में सरकारी एजेंसियों, बैंकों या बाज़ार से निजी तौर पर या संस्थागत कर्ज़ को भी अभाशिअम खारिज करता है।

****

'अभियान साथी' के हस्ताक्षर .....

अभाशिअम की ओर से फ़ॉर्म लेनेवाले का नाम.....संगठन/पद.....

अभाशिअम के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.....तारीख .....

फ़ॉर्म पूरा भर कर इसका फ़ोटो खींच लें और 07871970969 पर ह्वाट्सऐप से भेज दें या aifrteca@gmail.com पर मेल कर दें।

'अभियान साथी' की प्रति

प्रिय **.....**

एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक, न्यायपूर्ण और प्रबुद्ध समाज बनाने के लिए 'केजी से पीजी' तक पूरी तौरपर मुफ़्त और मातृभाषा-आधारित समान शिक्षा व्यवस्था खड़ी करने के अभाशिअम के अभियान में साथ होने के लिए आपका तहेदिल शुक्रिया।

अभाशिअम की ओर से फ़ॉर्म लेनेवाले का नाम.....संगठन/पद.....

अभाशिअम के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.....तारीख .....

अभाशिअम से संपर्क:

संगठन सचिव : डॉ. विकास गुप्ता, दिल्ली; ईमेल : aifrte.secretariat@gmail.com

कोषाध्यक्ष : डॉ. एम. गंगाधर, वारंगल; मो॰: 9440414073; ईमेल : manchalagangadhar@gmail.com

कार्यालय सचिव : श्री लोकेश मालती प्रकाश, भोपाल; मो.: 9407549240; 7024148240; ईमेल : lokeshmaltiprakash@gmail.com

Website: www.aifrte.in

शिक्षा आंदोलन के लिए ऐतिहासिक महत्व की तारीखों का सालाना कैलेण्डर

(तारीखों की सूची पर काम जारी है। आपके सुझावों का स्वागत है।)

जनवरी

03 जनवरी- सावित्री बाई फुले का जन्मदिन

04 जनवरी- लुई ब्रेल दिवस

25 जनवरी- रामके डब्लु मोमिन की पुण्यतिथि। मेघालय के गारो हिल्स के लोगों के लिए गारो माध्यम में शिक्षा की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। इनका जन्म 1830 में और मृत्यु 25 जनवरी 1891 में। वे पहले साक्षर गारो थे जिन्होने गारो माध्यम का स्कूल खोला था। गारो शिक्षा में इनके योगदान को याद करते हुए हाल ही में उनकी पुण्यतिथि मनाई गई।

26 जनवरी- गणतंत्र दिवस

30 जनवरी- महात्मा गांधी शहादत दिवस

फरवरी

18 फरवरी - सिंगरावेलर का जन्मदिवस; **21 फरवरी** - अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

27 फरवरी - चन्द्रशेखर आज़ाद का वीरतादिवस

मार्च

08 मार्च- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस; **14 मार्च**- कार्ल मार्क्स का मृत्युदिवस

23 मार्च- भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहादत दिवस

अप्रैल

02 अप्रैल - एफ़ डब्लु सैविज दिवस (एफ. डब्लु. सैविज ने मिज़ो वर्णमाला और संख्यांक का विकास किया और मिज़ो माध्यम का पहला प्राथमिक स्कूल 2 अप्रैल 1894 को खोला।)

11 अप्रैल - जोतिराव फुले जयंती (अभाशिअम ने इस दिवस को देशभर में समान स्कूल व्यवस्था दिवस के रूप में 2013 में मनाया था।)

14 अप्रैल - डॉ. आंबेडकर जयंती

मई

01 मई - मई दिवस

05 मई - कार्ल मार्क्स का जन्म दिवस

07 मई - रवीन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म दिवस

जून

09 जून- बिरसा मुंडा शहादत दिवस

22 जून- रेवरेंड थॉमस जोन दिवस (रेवरेंड थॉमस जोन ने खासी वर्णमाला और संख्यांक 1842 में विकसित करते हुए लिखित रूप में खासी भाषा को जन्म दिया। उन्होंने पहला खासी प्राईमर विकसित किया। 22 जून 1821 को वे खासी हिल्स पहुंचे। 22 जून को प्रतिवर्ष खासी समुदाय और संगठनों द्वारा थॉमस ज़ोन दिवस मनाया जाता है।

अगस्त

15 अगस्त - स्वतंत्रता दिवस

सितंबर

14 सितंबर - पेरियार जन्म दिवस

27 सितंबर - भगतसिंह जन्म दिवस

28 सितंबर - शंकर गुहा नियोगी शहादत दिवस

30 सितंबर - नेता इराबोट दिवस (हिजाम इराबोट का जन्म 30 सितम्बर 1896 को हुआ था और मृत्यु 26 सितम्बर, 1951 को हुई थी। हिजाम हिराबोट मणिपुर के राजनितिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने बराक घाटी और मणिपुर में महिला शिक्षा और ज़मीन के

हक की लड़ाई लड़ी। इराबोट ने भूमिगत मणिपुर की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 29 अक्टूबर 1948 को की और भारत सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चलाया। 26 सितम्बर 1951 में अंगो घाटी में उनकी मृत्यु हो गई।

अक्टूबर

02 अक्टूबर- महात्मा गांधी जन्म दिवस

12 अक्टूबर-डॉ. राम मनोहर लोहिया स्मृति दिवस।

नवंबर

04 नवंबर - गुइज़ांग मेरु ज़ेलियांग का मृत्यु दिवस, जो नागाओं के पहले प्रधान शिक्षक थे। उनकी मृत्यु 4 नवम्बर, 1918 को हुई।

07 नवंबर - महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति दिवस

11 नवंबर - मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जन्म दिवस

15 नवंबर - बिरसा मुंडा और गिजुभाई बधेका का जन्म दिवस

26 नवंबर - संविधान दिवस

28 नवंबर - जोतिराव फुले स्मृति दिवस

दिसंबर

03 दिसंबर - अंतर्राष्ट्रीय निःशक्तता दिवस

06 दिसंबर - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर परिनिर्वाण दिवस

09 दिसंबर - रुकैय्या बेगम (रुकैय्या शखावत होसैन) जयंती

10 दिसंबर- मानवाधिकार दिवस

24 दिसंबर - पेरियार मृत्यु दिवस

(उपर्युक्त सूची पर काम जारी है और कई ऐतिहासिक शख़्सियतें और उनसे जुड़े दिन शामिल किए जाने हैं यथा, कंदुकुरि वीरसालिंगम व गुरुजाड़ा अप्पाराव (आंध्र प्रदेश), नारायण गुरु (केरल), इयोथी त्थसर (तमिलनाडु), राजर्षि शाहूजी महाराज व कर्मवीर भाऊराव पाटिल (महाराष्ट्र), गोंडल महाराजा व बड़ौदा महाराजा (गुजरात), सुल्तान जहां बेगम, भोपाल (मध्य प्रदेश), मदनमोहन मालवीय व सैयद अहमद खान (उत्तर प्रदेश), लाला लाजपत राय (पंजाब), ईश्वरचंद्र विद्यासागर (पश्चिम बंगाल), ज़ाकिर हुसैन (बिहार))। ■

परिशिष्ट - पांच

'नई शिक्षा नीति' के मुख्य दस्तावेजों का सार्वजनिक दहन

'नई शिक्षा नीति', जिसको अभी भी अंतिम रूप देना बाकी है, के निम्नांकित तीन मूल दस्तावेज उपलब्ध हैं (अगर कभी कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है तो यहां प्रस्तावित आंदोलन का कार्यक्रम उस पर भी लागू हो सकेगा):

1. नई शिक्षा नीति को विकसित करने के लिए गठित टी.एस.आर. सुब्रमन्यन समिति की रिपोर्ट, अप्रैल 2016, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
   (वेबलिंक: http://aifrte.in/sites/default/files/AIFRTE%20docs/Documents%20%26%20Reports/TSR_Subramanian-Committee_Report_for_Evolution_of_the_New_Education_Policy_2016.pdf)
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए कुछ विचार, जुलाई 2016, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

   (वेबलिंक: http://aifrte.in/sites/default/files/AIFRTE%20docs/Documents%20%26%20Reports/Inputs_Draft_NEP_2016.pdf)
3. तीन वर्षीय कार्य योजना, 2017-18 से 2019-20 (INDIA: THREE YEAR ACTION AGENDA), नीति आयोग, नई दिल्ली, अगस्त 2017 - 20वां अध्याय: भारत में 'शिक्षा और कौशल विकास'
   (वेबलिंक: http://aifrte.in/sites/default/files/AIFRTE%20docs/Documents%20%26%20Reports/NITI_%20Ayog_India_Action_Agenda.pdf)

इन नीतिगत दस्तावेजों का इस कार्ययोजना में विश्लेषण किया गया है (देखें, प्रस्तावना, खंड 1.0 व 2.0)। इन दस्तावेजों के अलावा भारत सरकार ने कई हालिया घोषणाएं की हैं, अधिसूचनाएं जारी की हैं या अपनी मातहत एजेंसियों से करवाई हैं और संसद में पेश करने के लिए विधेयक भी तैयार किए हैं। अगर इनको लागू किया गया तो देश की शिक्षा व्यवस्था कर्ज़ में डूब जाएगी व वैश्विक पूंजी के हवाले हो जाएगी और साथ में 85 फीसदी आबादी को शिक्षित करने के काबिल नहीं रह जाएगी। हाल में ही छह दशकों से कार्यरत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को समेटकर उसकी जगह एक अति-केंद्रीकृत 'भारत का उच्च शिक्षा आयोग' गठित करने के लिए विधेयक तैयार है।

इसका मकसद उच्च शिक्षा के तमाम फैसलों को केंद्र सरकार के अधीन प्रस्तावित आयोग को सौंपना है जो देश के कालेजों व विश्वविद्यालयों को कारपोरेट पूंजी के सुपुर्द करने के लिए 'एकल खिड़की' का काम करेगा। इसलिए आइए, हम सब एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत इन नीतिगत दस्तावेजों, अधिसूचनाओं और विधेयकों को सार्वजनिक स्थलों पर धरना-प्रदर्शन करते हुए, रैलियां निकालते हुए जलाएंगे और परचे बांटकर आम जन को समझाएंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहां पर कुछ विचार पेश हैं जो इस जन प्रतिरोध को शक्तिशाली बनाकर लोगों, मीडिया और राजनीतिक दलों का ध्यान खींचने में कारगर हो सकते हैं ताकि राजसत्ता को नई शिक्षा नीति पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार किया जा सके।

- इस प्रतिरोध का आयोजन आंचलिक, ज़िला या राज्य स्तर पर यात्राओं, संगोष्ठियों व सम्मेलनों के दौरान ग्राम पंचायतों, तहसील/तालुका और ज़िला मुख्यालयों और अंततः विधानसभा या राजभवन के सामने उपरोक्त दस्तावेजों को जलाकर किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर बाज़ार, नगरपालिका दफ़्तरों और सार्वजनिक पुस्तकालयों जैसी सार्वजनिक जगहों पर भी।
- जून 2018 और मई 2019 के बीच हम आज़ादी की लड़ाई के दौरान साम्राज्यवाद-विरोधी व जाति-विरोधी आंदोलनों के नेताओं की जन्मतिथी या शहादत दिवस जैसी महत्वपूर्ण तारीखों का चयन करें, साथ में ऐसे अन्य ऐतिहासिक व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारी गई तारीखों पर भी जिसका प्रस्ताव अभाशिअम ने दिया है (देखें, परिशिष्ट – चार में सालाना कैलेंडर)। इन तारीखों पर हम सार्वजनिक तौर पर उपरोक्त दस्तावेजों को जलाएंगे और यदि संभव हुआ तो इन राष्ट्रीय शख्सियतों या प्रतीकों की मूर्तियों या तस्वीरों के सामने। हम नीचे उदाहरण बतौर कुछ चयनित तारीखों को पेश कर रहे हैं (देखें, विस्तृत सूची के लिए परिशिष्ट – चार) –

नीतिगत दस्तावेजों को आम जनों के बीच जलाते हुए,

- **भारत छोड़ो दिवस (09 अगस्त):** इस दिन केंद्र सरकार से मांग करना कि विश्व व्यापार संगठन-गैट्स के पटल पर की गई उच्च शिक्षा की पेशकश को तुरंत वापिस लिया जाए अन्यथा वह 'गद्दी छोड़े'। अगर ऐसा नहीं होता तो यह तय है कि भारत की उच्च शिक्षा वैश्विक वित्तीय पूंजी की तर्ज़ पर बहुराष्ट्रीय कारपोरेट घरानों को बेच दी जाएगी। इसके चलते देश के युवाओं को बड़ी तादाद में उच्च शिक्षा से निष्कासित किया जाएगा और उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, साथ में देश की संप्रभुता भी।
- **पेरियार जन्म दिवस (14 सितम्बर):** यह घोषित किया जाए कि गैरबराबरी और भेदभाव को बढ़ानेवाली नई शिक्षा नीति उत्पीड़ित जातियों व वर्गों के बच्चों को निष्कासित करेगी, खासकर लड़कियों व विकलांगों को। इसकी वजह से जाति व्यवस्था और पितृसत्ता की समाज पर पकड़ और मजबूत होगी जिसके खिलाफ़ पेरियार ने ज़िंदगीभर आवाज उठाई और संघर्ष किया।
- **शहीद भगत सिंह जन्म दिवस (28 सितम्बर):** शहीद भगत सिंह से अपील की जाए कि वे माननीय प्रधानमंत्री को भारत को लूटने में साम्राज्यवाद की भूमिका समझाएं कि डब्ल्युटीओ-गैट्स के पटल पर रखी गई उच्च शिक्षा और उसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की इज़ाज़त देना देशप्रेम नहीं है। अंततः यह नीति भारत की शिक्षा को तबाह कर देगी और 85 प्रतिशत से अधिक बच्चों को, जो मुख्यतः बहुजन हैं, शिक्षा से वंचित कर देगी। हम शहीद भगत सिंह से यह भी पूछें कि यदि माननीय प्रधानमंत्री नई शिक्षा नीति में उपरोक्त संशोधन करने से इंकार करते हैं तो देश के बच्चों व युवाओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाए।
- **महात्मा गांधी जयंती (2 अक्टूबर):** हमें बापू से अपील करनी चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दें ताकि उनको समझ में आए कि शिक्षा में डब्ल्युटीओ-गैट्स, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और पीपीपी को इज़ाज़त देना आज़ादी की लड़ाई के सपनों के खिलाफ़ है। इसीतरह नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को कौशलों का पर्याय बनाना उनके द्वारा अक्तूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में पेश किए गए नई तालीम के विचार के भी खिलाफ़ है जिसके अनुसार आजाद भारत के सभी स्कूलों में उत्पादक काम से ही ज्ञान, मूल्य और कौशलों का निर्माण होगा और यही मुख्य पाठ्यचर्या भी होगी। इस मौके पर देश को यह भी बताया जाए कि माननीय प्रधानमंत्री का कौशल विकास मिशन दरअसल कौशल और शिक्षा छीनने और साथ में बहुजनों को शिक्षा से निष्कासित करने का कार्यक्रम है। इस मायने में उनका मिशन एक ओर जातिव्यवस्था को मजबूत करेगा और दूसरी ओर असंगठित क्षेत्र को नष्ट करेगा। इसलिए यह जनविरोधी, संविधान विरोधी व राष्ट्र विरोधी मिशन है। यदि माननीय प्रधानमंत्री इसके बावजूद नई शिक्षा नीति को बदलने से इंकार करते हैं तो वे गांधीजी को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करने का नैतिक आधार खो देंगे।
- **डॉ. राम मनोहर लोहिया स्मृति दिवस (12 अक्टूबर):** इस अवसर पर डॉ. लोहिया के नारे को "राष्ट्रपति की हो या मजदूर की संतान, सबको शिक्षा एक समान" याद किया जाए। नई शिक्षा नीति उनके समान स्कूल व्यवस्था के विचार को नष्ट करने की साजिश है, इस बात को लोगों के बीच रखा जाए।
- **मौलाना अबुल कलाम आजाद जन्म दिवस (11 नवंबर):** माननीय प्रधानमंत्री को याद दिलाया जाए कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना की जिसको अब वे डब्ल्युटीओ-गैट्स के निर्देश पर खत्म करने जा रहे हैं। मौलाना आजाद ने आईआईटी की भी स्थापना की जिन्हें अब भारी बजट कटौती का सामना करना पड़ रहा है और वहां पढ़ने का खर्च पिछले चार साल में इतना बढ़ा दिया गया है कि देश के नब्बे फीसदी से अधिक युवा वहां पढ़ नहीं सकते और वहां क्या पढ़ाया जाएगा इसका नियंत्रण वैश्विक बाज़ार के हाथ में दिया जा रहा है जिसके चलते आईआईटी अब कॉरपोरेट घरानों की सेवा करेंगे, न कि देश की।

- **बिरसा मुंडा जन्म दिवस (15 नवंबर):** देश की जनता को यह जानने की ज़रूरत है कि बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ़ और आदिवासियों के जंगल पर अधिकारों के पक्ष में जो संघर्ष किया था आज नई शिक्षा नीति उन्हीं अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। यह नीति आदिवासी बच्चों को कक्षा 5 के बाद स्कूली शिक्षा से वंचित करके ऐसी कौशल की दुकानों की ओर धकेलेगी जो उन्हें वित्तीय पूंजी द्वारा नियंत्रित वैश्विक बाज़ार के लिए महज़ निम्न-स्तरीय दिहाड़ी मज़दूर बना देगी। यह तय है कि इस नीति के चलते निकट भविष्य में ऐसे हालात बनेंगे कि आदिवासी इलाकों में कौशल की दुकानों की भरमार होगी और स्कूल नदारद!
- **संविधान दिवस (26 नवंबर):** इस महत्वपूर्ण दिन पर हमें घोषणा करनी होगी कि ब्राह्मणवादी-मनुवादी रुझानवाली नई शिक्षा नीति संविधान के हर सिद्धांत और मूल्य पर हमला है। यह नीति ऐसी शिक्षा व्यवस्था खड़ी कर रही है जो बढ़ते क्रम में मौलिक अधिकारों के खंड तीन के अनुच्छेद 14 (कानून के तहत बराबरी), 15(1) (राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा), 16 (उत्पीड़ित जातियों व वर्गों के लिए सामाजिक न्याय), 19(1)(क) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) व 21 (सम्मानजनक जीवन जीने का हक) और 'राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत' के खंड चार के अनुच्छेद 38(2) (राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जहां हर प्रकार की गैरबराबरी खत्म हो जाए) का खुल्लम-खुला उल्लंघन करती है।
- **महात्मा जोतिराव फुले दिवस (28 नवंबर):** इस दिन माननीय प्रधानमंत्री को सन् 1882 में हंटर आयोग को महात्मा फुले द्वारा पेश किया गया ऐतिहासिक ज्ञापन भेंट किया जाए चूंकि इस ज्ञापन में ब्रिटिश शिक्षा नीति की जो कड़ी आलोचना है वह हूबहू वह प्रस्तावित नई शिक्षा नीति पर भी लागू होती है।
- **डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर परिनिर्वाण दिवस (6 दिसंबर):** इस ऐतिहासिक दिन हम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर से अपील करेंगे कि वे माननीय प्रधानमंत्री को कहें कि उनके सम्मान में स्मारक बनाने पर सार्वजनिक संसाधन की फ़िजूलखर्ची बंद करें चूंकि यह उन्हें तब तक स्वीकार नहीं है जब तक कि वर्तमान नवउदारवादी और ब्राह्मणी-मनुवादी शिक्षा नीति की जगह संविधान सम्मत शिक्षा नीति को लागू न किया जाए। यदि माननीय प्रधानमंत्री डॉ. आंबेडकर की इस सलाह को मानने से इंकार कर देते हैं तो हम उनके सन् 1936 के विख्यात आह्वान ''शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित हो'' को पूरे देश में पुरज़ोर अभियान चलाकर युवा पीढ़ी तक पहुंचाएंगे।
- **रुकैय्या बेगम (रुकैय्या सख़ावत होसैन) जयंती (9 दिसंबर):** इस दिन देश को वह इतिहास जानने की ज़रूरत है जो स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता कि 20वीं सदी की शुरूआत में बंगाल की रुकैय्या बेगम ने नारी मुक्ति व शिक्षा के लिए संघर्ष किया। वे मां-बाप को प्रेरित करने के लिए घर-घर घूमीं ताकि वे अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। उन्होंने अपनी मातृभाषा बांग्ला में पढ़ाया और लेखन किया। इस मौके पर हम माननीय प्रधानमंत्री से पूछें कि क्या वे एनसीईआरटी की नई पाठ्य-पुस्तकों में भारत के इस प्रेरणादायक इतिहास को बच्चों को पढ़ाने की हिम्मत कर पाएंगे।

[उपर्युक्त विवरण सिर्फ़ संकेतात्मक है और उसको स्थानीय सामाजिक-राजनीतिक हालात व शैक्षिक मुद्दों के मद्देनज़र बदला जा सकता है। हमारी कोशिश हर हाल यह रहे कि हम परिशिष्ट - चार के कैलेंडर में इंगित ऐतिहासिक शख़्सियतों के विचारों व संघर्षों के खाके में नई शिक्षा नीति के मुख्य दस्तावेजों को हमारी आलोचना और शिक्षा की वैकल्पिक दृष्टि के सहारे अवाम के बीच बेनकाब कर सकें और आमजनों को हमारे परिवर्तनकामी आंदोलन से जोड़ सकें। इस तरह अलग-अलग ऐतिहासिक तारीखों पर नीतिगत दस्तावेजों को बार-बार सार्वजनिक तौर पर जलाने से हमें सार्वजनिक मानस में यह स्थापित करने का कारगर मौका मिलता है कि केंद्रीय सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर जो कुछ भी कर रही है वह देश के साथ सरासर धोखा है। गौरतलब है कि साम्राज्यवाद-विरोधी व जाति-विरोधी आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो सपने देखे गए थे और उनसे जो संविधान उभरकर आया उसके मूल एजेंडे के ही नई शिक्षा नीति खिलाफ़ है।]

[ऐतिहासिक शख़्सियतों व तारीखों की उपरोक्त सूची को मई 2019 तक आगे बढ़ाने और साथ ही उसमें देश के विभिन्न प्रदेशों से अन्य शख़्सियतों को जोड़े जाने की ज़रूरत है जो अभी परिशिष्ट – 4 में नहीं हैं मसलन, कंडुकुरि वीरसालिंगम व गुरुजाड़ा अप्पाराव (आंध्र प्रदेश), नारायण गुरु (केरल), इयोथी त्थसर (तमिलनाडु), राजर्षि शाहूजी महाराज व कर्मवीर भाऊराव पाटिल (महाराष्ट्र), गोंडल महाराजा व बड़ौदा महाराजा (गुजरात), सुल्तान जहां बेगम, भोपाल (मध्य प्रदेश), मदनमोहन मालवीय व सैयद अहमद खान (उत्तर प्रदेश), लाला लाजपत राय (पंजाब), ईश्वरचंद्र विद्यासागर (पश्चिम बंगाल) व डॉ. ज़ाकिर हुसैन (बिहार)।] ■

अभाशिअम का सलाहकार मंडल और पदाधिकारीगण*
(2018-19)

सलाहकार मंडल

1. प्रो. रमाकांत अग्निहोत्री, राजस्थान; पूर्व अध्यक्ष, भाषा विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय
2. प्रो. सुदर्शन आयंगर, गुजरात; पूर्व उप-कुलपति, गुजरात विद्यापीठ
3. डॉ. हीरेन गोहन, असम; कवि व साहित्यिक आलोचक, गुवाहाटी
4. डॉ. वी. वासंती देवी, तमिलनाडु; अध्यक्ष, मानव अधिकार शिक्षा संस्थान, मदुरै; पूर्व उप-कुलपति, एम एस विश्वविद्यालय
5. प्रो. प्रभात पटनायक, हरियाणा; अर्थशास्त्री एवं प्रोफ़ेसर एमिरिटस, जेएनयू, गुड़गांव
6. श्री केदारनाथ पांडे, बिहार; अध्यक्ष, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, पटना
7. प्रो. एन. डी. पाटील, महाराष्ट्र; शिक्षाविद् एवं किसान-खेतिहर मज़दूर नेता, कोल्हापुर
8. डॉ. जी. जी. पारीख, महाराष्ट्र; यूसुफ़ मेहरअली सेंटर, मुंबई
9. प्रो. राम पुनियानी, महाराष्ट्र; अध्यक्ष, आल इंडिया सेक्युलर फ़ोरम एवं लेखक, मुंबई
10. श्री देवानूरु महादेवा, कर्नाटक; लेखक एवं सामाजिक न्याय कार्यकर्ता, बंगलूरु
11. प्रो. रूपरेखा वर्मा, उत्तर प्रदेश; पूर्व कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय एवं धर्मनिरपेक्षता की प्रमुख पैरवीकार, लखनऊ
12. श्री एस. पी. शुक्ला, उत्तराखंड; व महाराष्ट्र; पूर्व वाणिज्य सचिव, भारत सरकार, पुणे
13. प्रो. जगमोहन सिंह, पंजाब; वरिष्ठ लोकतांत्रिक अधिकार कार्यकर्ता, लुधियाना
14. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, बिहार; महासचिव, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, पटना

अध्यक्ष मंडल

1. **डॉ. मेहर इंजीनियर, पश्चिम बंगाल; अध्यक्ष, अभाशिअम**; पूर्व अध्यक्ष, भारतीय समाज विज्ञान अकादमी, कोलकता
2. श्री प्रभाकर अराडे, महाराष्ट्र; अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षक महासंघ (एआईएफ़ईटीओ), कोल्हापुर
3. प्रो. वसी अहमद, बिहार; पूर्व संयुक्त सचिव, एआईएफयूसीटीओ (आईफ़क्टो), पटना
4. प्रो. ज़्हात्सु तर्हूजा, नागालैण्ड; पूर्व में शिक्षा विभाग, पटकाई क्रिश्चियन कॉलेज, दीमापुर
5. प्रो. आनंद तेलतुम्बड़े, गोवा; लेखक व लोकतांत्रिक अधिकार कार्यकर्ता, वरिष्ठ प्रोफेसर, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट
6. प्रो. मधु प्रसाद, दिल्ली; पूर्व अध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, ज़ाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
7. प्रो. के. चक्रधर राव, तेलंगाना; पूर्व में अर्थशास्त्र विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
8. प्रो. के. एम. श्रीमाली, दिल्ली; पूर्व में इतिहास विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय
9. डॉ. अनिल सद्गोपाल, मध्यप्रदेश; पूर्व डीन, शिक्षा संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, भोपाल
10. प्रो. जी. हरगोपाल, तेलंगाना; विज़िटिंग प्रोफेसर, एनएलएसआईयू, बंगलूरु

सचिव मंडल

1. **डॉ. विकास गुप्ता, दिल्ली - संगठन सचिव**
2. **डॉ. एम. गंगाधर, तेलंगाना - कोषाध्यक्ष**
3. **कॉ. लोकेश मालती प्रकाश, मध्यप्रदेश - कार्यालय सचिव**
4. कॉ. प्रिंस गजेन्द्रबाबू, तमिलनाडु
5. श्री कौशिक टेकुर, आंध्र प्रदेश - विशेष आमंत्रित
6. श्री सुर्जीत सिंह थॉकचॉम, मेघालय
7. कॉ. रमेश पटनायक, आंध्र प्रदेश
8. डॉ. वी. प्रसाद, केरल
9. श्री प्रेमचंद, दिल्ली
10. कॉ. रमेश बिजेकर, महाराष्ट्र
11. कॉ. श्रीपाद भट्ट, कर्नाटक
12. सुश्री मल्लिगे, कर्नाटक
13. डॉ. हरजिंदर सिंह 'लाल्टू', तेलंगाना
14. डॉ. स्वाति, उत्तर प्रदेश

---

*चिन्हित पदाधिकारियों (मोटे हरफ़ों में) को छोड़कर बाकी नामों के आखिरी भाग पर आधारित वर्णमाला क्रम में।

शिक्षित हो! संघर्ष करो!! संगठित हो!!!

- बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर

•

शिक्षा बचाओ! संविधान बचाओ!!
देश बचाओ! देश बचाओ!!

•

राज्य द्वारा वित्त-पोषित पूरी तौरपर मुफ़्त, मातृभाषा पर आधारित और समानता व सामाजिक न्याय पर टिकी हुई हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त 'केजी से पीजी तक' की संविधान-सम्मत शिक्षा के लिए संघर्ष करो!

सहयोग राशि : बीस रुपए